वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2017 - 18

सत्यमेव जयते







तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
Coastal Aquaculture Authority



सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2017 - 18

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टॉवर, 12-ए भारती स्ट्रीट
वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम पोस्ट
चेन्नै-600 091, तमिल नाडु
फोन : 91-44-2260 3783, 3784, 3502, टेलीफैक्स : 044-2260 3780
ई-मेल : aquaauth@vsnl.net / aquaauth@gmail.com
वेबसाइट : www.caa.gov.in

द्वारा प्रकाशित
तटीय जलकृषि प्राधिकरण

संपादन और संकलन
वी. कृपा
ए. एंटनी जेवियर
जी. प्रिया
एस. रमेश कुमार

द्वारा मुद्रित
श्री विग्नेश प्रिंट्स

Published by
Coastal Aquaculture Authority

Compilation and Editing
V. Kripa
A. Antony Xavier
G. Priya
S. Ramesh Kumar

Printed by
Shri Vignesh Prints

विषय वस्तु

क्र.सं.	विषय भूमिका	पृष्ठ सं.
	भाग - I	
	प्राक्कथन	7
I.	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राधिकरण की संरचना	9
	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राधिकरण की संरचना	9
	प्राधिकरण के लक्ष्य और उद्देश्य	10
	प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य	10
	एस.पी.एफ़ लिटोपिनस वेन्नामई पालन का भारत में विनियमन	13
II.	लक्ष्य तथा कार्य निष्पादन	14
	वार्षिक लक्ष्य पर विचार किया गया	14
	वास्तविक निष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा	15
III.	कार्यकलाप व उपलब्धियाँ	15
1.	प्राधिकरण की बैठकें	15
	सीएए की 59 वीं प्राधिकरण की बैठक	15
	बैठक में स्वीकृति प्रमुख प्रस्ताव	16
2.	तकनीकी समिति की बैठक	16
	एक्यूएफ संबधो 14 वीं तकनीकी समिति की बैठक	16
	ए.क्यू.एफ़ की 15 वीं तकनीकी समिति की बैठक	17
3.	एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई ब्रूड़स्टॉक विदेशी आपूर्ति कर्ताओं के संक्षिप्त सूची तैयार करने की समिति की बैठक	19
	तटीय जल कृषि फार्मों के पंजीकरण / नवीनीकरण	19
	झींगा फार्मा का पंजीकरण	19
	झींगाफार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण	25
3a.	सीएए द्वारा जलकृषि फार्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण को बढावा देने के लिए किए गए प्रयास	28
IIIa.	एस.पी.एफ़ लिटोपेनस वेन्नामई पालन	29
	एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई ब्रूड़स्टॉक के आयात को आपूर्तिकर्ताओं के चयन करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक	29
	वर्ष 2017-18 के दौरान एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई ब्रूड़स्टॉक का आयात और बीज उत्पादन	29
	वर्ष 2017-18 के दौरान एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई हैचरियों का निष्पादन	30
IV.	भारत में एल.वेन्नामई हैचरियों का विकास	33
V.	अंतराष्ट्रीय संघठन के हैचरियाँ	35
VI.	एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई बीज़ उन्पादन के लिए न्युप्लाई रियरींग केन्द्रों की स्थापना (एन आर सीज़)	35
VII.	एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई पालन के लिए झींगा फार्मों को अनुमति प्रदान करना।	37
VIII.	एल.वेन्नामई पालन का राज्य-वार निष्पादन	37
IX.	एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई के सामूहिक पालन की योजना	42
X.	झींगा पालन के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई	42
	अवैध हैचरियों के विरुद्ध कार्रवाई करना	42
	सिएए के निर्देश-तत्वों को अनुपालन न किए पंजीकृत हेचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना	42
XI.	एल. वेन्नामई हैचरिज़ / फार्मों की निगरीनी	43
	एंटी बायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों का पंजीकरण	44
	जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला	45
	वेबसाइट का अद्यतन	45

तटीय जलकृषि प्राधिकरण को मज़बूत बनाना 46
सीएए में राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन 47
सीएए के आगे निकल जाने कि क्रिया कलाप 48
वर्ष 2017-18 के दौरान किए जाने वाले संभावित कार्यकलाप 48
2017-18 के वार्षिक लेखों के लिए अनुलग्नक 50

भाग - II

वर्ष 2017-18 के लिए सीएंडएजी की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 149

CONTENTS

Sl. No	Subject	Page No
	Part - I	
	Preface	79
I.	Composition of the Authority during 2017-18	81
	Composition of the Authority during 2017-18	81
	Aims and objectives of the Authority	82
	Powers and Functions of the Authority	82
	Regulations of SPF *Litopenaeus vannamei* culture in India	85
II.	Targets and Performance	
	Annual Targets Contemplated	86
	Brief review of Actual Performance	87
III.	Activities and Achievements	87
	A. Meeting of the Authority and Committees constituted by the Authority	87
	Meeting of the Authority	87
	Meeting of the Technical Committee	88
	Meeting of Committee to shortlist overseas suppliers of SPF *L vannamei* broodstock	91
	B. Registration/Renewal of Coastal Aqua Farms	91
	Registration of shrimp farms	91
	Renewal of Registration of Shrimp Farms	96
	C. Efforts put up by CAA to promote Registration/Renewal of Aqua farms	100
IIIa.	SPF *Litopaneus vannamei* Farming	101
	Meeting of the Technical Evaluation Committee on import of broodstock - Selection of SPF *L. vannamei* Broodstock Suppliers	101
	Import of SPF *L.vannamei* broodstock and seed production in the year 2017-18	101
	Performance of SPF *L vannamei* Hatcheries during 2017-18	101
IV.	Registration of Artemia Hatchery	107
V.	Consortium of Hatcheries	107
VI.	Registration of Nauplii Rearing Centres (NRCs)	107
VII.	Permission to shrimp farms to culture SPF *L vannamei*	109
VIII.	State-wise performance of SPF *L vannamei* farming	109
IX.	Cluster Farming of SPF *L. vannamei*	114
X.	Action on various complaints against Shrimp Farming	114
XI.	Monitoring of *L. vannamei* hatcheries/farms	115
	Action taken against unauthorised *L vannamei* seed production	116
	Registration of Antibiotic-free aquaculture inputs	116
	Water Quality Monitoring Laboratory	117
	Website updation	117
	Strengthening of Coastal Aquaculture Authority	118
	Implementation of official language Hindi in CAA	119
	Outreach Activities of CAA	120
	Activities likely to be taken up during 2017-18	120
	Annexure Annual Accounts for the Year 2017-18	122
	Part - II	
	Separate Audit Report of the C & AG for the year 2017-18	181

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Government of India

सत्यमेव जयते

Dr. C. Gopal
Member Secretary

जी डी आर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट,
वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम पी.ओ.,
चेन्नई- 600 091, तमिल नाडु, भारत
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street,
Vanuvampettai, Madipakkam P.O.,
Chennai - 600 091, Tamilnadu, India.
दूरभाष/ Phone : +91 44 2260 3683
ईमेल/ E-mail : aquaauth@gmail.com
वेबसाइट/Website : http://www.caa.gov.in

CLEAN INDIA

प्राक्कथन

तटीय जलकृषि लोगो की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके अलावा जलकृषि के निर्यात माध्यम मे विदेशी मुद्रा कि पर्याप्त मात्रा में कमाई होती है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण कि स्थापना पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थायी जलकृषि को बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ की गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से पर्यावरण की दृष्टि से प्राधिकरण वैज्ञानिक रूप से पर्यावरणीय को टीकाऊ और लाभदायक तटीय जलीय कृषि को बढ़ावा देता है। इसलिए, कड़े विनियामक उपायो को लागु करके, तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने पर्यावरण संरक्षण के साथ मिलकर उत्पादन रणनीतियों के माध्यम से तटीय जलीय कृषि उद्योग को अभूतपुर्व वृद्दी की ओर अग्रसर किया है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के अथक प्रयासो के साथ, भारत ने वर्ष 2017-18 मे 680,000 मेंट्रिक टन के रिकार्ड मे झींगा उत्पादन को छु लिया, जबकि वर्ष 2008-09 के दैरान 75,000 मेट्रिक टन के स्तर के मुकाबले। यह स्पष्ट है की देश मे किसी भी अन्य खाद्य उत्पादन क्षेत्र ने उच्च विकास दर हासिल नही की है, क्योकि तटीय जलकृषि क्षेत्र ने पिछले 10 वर्षो मे हासील किया है। भारत के तट पर उपलब्ध 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मे से लगभग 10 सें 15% को तटीय जलकृषि गतिविधियों को आगे विकास के लिए भारी गुंजाइश के लाभ के साथ अब तक तटीय जलकृषि के तहत लाया गया है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अच्छी गुणवता वाले एस पी एफ ब्रुडस्टॉक के आयात को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय हैचरी में ब्रुडस्टॉक जैसे अधिसुचित दिशा निर्देशो के उल्लेख के माध्यम से प्रमुख योगदान दिया है, जैसे हैचरियों और फार्मों मे संगरोध, जैव सुरक्षा उपायो पर और निरंतर जलीय कृषि प्रथाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजित करके।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण, भारत सरकार केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनैलिक समर्थन को स्विकार करता है। और विनियमित और स्थायी रूप से तटीय जलीय कृषि प्रथाओं के माध्यम से मिलियन टन के उत्पाद को पूरा करने के लिए अपना प्रयास जारी रखेगा।

(सी. गोपाल)
सदस्य सचिव

I. वर्ष 2017–18 के दौरान प्राधिकरण की संरचना

तटीय क्षेत्रों में तटीय जल कृषि से संबद्ध कार्यकलापों और इससे जुड़े मामलों अथवा घटनाओं को विनिर्मित करने के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत तटीय जल कृषि प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि तटीय जल कृषि से तटीय पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचे और जिम्मेदारी से जल कृषि की अवधारणा का पालन किया जाएगा। तटीय जल कृषि का तात्पर्य तटीय क्षेत्रों में तालाबों, पेंस, संबद्ध क्षेत्रों में झींगा, प्रॉन, मछली अथवा खारे समुद्र अथवा अप्रवाही जल में अन्य तटीय जीवों का नियंत्रिन दशाओं के तहत पालन करना है। परन्तु इसमें स्वच्छ जल के जल कृषि शामिल नहीं है। तटीय क्षेत्र से तात्पर्य समुद्रों, नदियों, संकरी खाड़ियों और अप्रवाही जल की हाई टाइड़ लान (एच टी एल) से दो किमी. की दूरी के भीतर की भूमि के क्षेत्र से है। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है प्रथाओ को नुकसान पहुँचाए बिना तटीय विकास को बढावा देना और तटीय क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न हितधारको की अजीविका कि रक्षा करना है।

1. वर्ष 2017-18 के दौरान प्राधिकरण की संरचना

(i) **अध्यक्ष** … रिक्त
(उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त / वर्तमान न्यायाधीश)

(ii) **डॉ. के. के. विजयन** … सदस्थ
निदेशक, केंद्रीय खारा जल जलकृषि
संस्थान, चेन्नै

(iii) **डॉ. आर. किरूभागरन** … सदस्थ
वैज्ञानिक 'एफ' 'राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी
संस्थान, चेन्नै.
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि
(तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ)
(19 अक्तूबर 2015 से पुनः प्रभावी)

(iv) **डॉ. टी. बालासुब्रमणियम** … सदस्थ
पूर्व निदेशक और डीन,
समुद्र जैविकी विज्ञान के उच्च अध्ययन केन्द्र,
अन्नामलाई विश्वविद्यालय, चिदंबरम,
पारंगीपेट्टई, तमिलनाडु.
(19 अक्तूबर 2015 से प्रभावी)

(v) **डॉ. बी. किसोर, आई.ए.एस.** … सदस्थ
संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी)
पशुपालन, डेरी तथा मत्स्यपालन विभाग
(कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)

(vi) **डॉ. ए. जयातिलक, आई.ए.एस.** ... सदस्थ
अध्यक्ष
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,
एम पी.ई.डीए हाऊस, पनमपिल्लाई अवेन्यु, कोचिन, केरला

(vii) **श्री. रामशंकर नाईक, आई.ए.एस.** ... सदस्थ
मात्स्यिकी की आयुक्त
आंध्र प्रदेश सरकार,
(आंध्र प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि)

(viii) **श्री. विशाल गगन, आई.ए.एस.** ... सदस्थ
सदस्य, तटीय जलकृषि प्राधिकरण और सचिव
(मात्स्यिकी और पशु संसाधन विभाग)
सचिवालय, भुबनेश्वर, ओड़िशा

(ix) **श्री. पि. पार्थिपन, आई.ए.एस** ... सदस्थ
सचिव / विशिष्ट सचिव (मात्स्यिकी)
पुदुचेरी सरकार

(x) **डॉ. राजकूमार खत्रि, आई.ए.एस.** ... सदस्थ
सचिव (मात्स्यिकी)
मात्स्यिकी और पशु संसाधन विभाग
कर्नाटक सरकार
(19 अक्तूबर, 2015, से प्रभावी)

(xi) **डॉ. सी. गोपाल** ... सदस्य सचिव
(केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य)

2. प्राधिकरण के लक्ष्य और उद्देश्य

प्राधिकरण के लक्ष्य एवं उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा "तटवर्ती क्षेत्रों के रूप में" अधिसूचित क्षेत्रों से तटीय जलकृषि गतिविधियों को तथा इससे संबंधित सभी मामलों को विनियमित करना है। प्राधिकरण को तटवर्ती क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और संचालन के लिए विनियमित बनाने और फार्मों तथा हैचरियों के पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन करने के लिए एल.वेन्नामई हेतु फार्में तथा हैचरियों का निरीक्षण करने, जल कृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण करने, प्रदूषण फैलाने वाले तटवर्ती जलकृषि फार्मों को हटाने अथवा नष्ट करने तथा तटीय जलकृषि में सभी तटीय जलकृषि – आगतों जैसे बीज, चारा, बीजवृद्धि – उपकरण, तटीय जलकृषि में प्रयुक्त – रसायनों आदि के लिए मानकों को तय करने और देश में तटीय जलकृषि कार्यकलापों की समग्र निगरानी की शक्ति दी गई है।

3. प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य

प्राधिकरण की शक्तियाँ तथा कार्य सीएए अधिनियम, 2005 के चौथे अध्याय तथा इसके तहत बनाए गए नियम एवं 2008 में अधिसूचित तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट है। सीएए अन्य बातों के साथ-साथ तटीय जलकृषि क्षेत्र के सुव्यवस्थित तथा सतत विकास के लिए विनियम बनाता

है ताकि गतिविधि में शमिल विभिन्न हितधारकों के सामाजिक–आर्थिक लाभों के लिए पर्यावरणी रूप से जिम्मेदार और समाजीक रूप से स्वीकृत तटीय जलकृषि की ओर उन्मुख हुआ जा सके।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व देश में अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर एस.पी.एफ़. झींगा बीज़ उत्पादन सहित तटीय जलकृषि में शामिल अथवा शामिल होने जा रहे सभी प्रकार के तटीय खारा लवणीय जल जलकृषि फ्रार्मों और हैचारियों का पंजीकरण, अपेक्षित जैव सुरक्षा सहित एसपीएफ़ झींगा कृषि के लिए फार्मों के पंजीकरण को सुनिश्चित करना है। किसानों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की देशा में सभी पात्र जलकृषि फार्मों का पंजीकरण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा कई उपाय आरंभ किए गए हैं। तटीय क्षेत्रों में जलकृषि करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम और नियम में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अपने फर्म का तटीय जलकृषि प्राधिकरण में पंजीकरण कराएँ। पंजीकरण पाँच वर्षों की अवधि के लिए किए जाते हैं जो आगे समय–समय पर नवीनीकृत किए जा सकेत हैं। भविष्य में तटीय जलकृषि गति विधियों को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण प्रक्रियाओं को नए फार्मों के लिए तथा मरम्मत किए जानेवाले पुराने फार्मों के लिए जारी रखा जाएगा।

तटीय विनियम जोन के भीतर समुद्र के हाई टाइड़ लाइन, संकरी खाड़ियों, नदियों तथा पश्च जल से दो सौ मीटर के भीतर जलकृषि अनुमति नहीं है। तथापि, यह शर्त तटीय जलकृषि अधिनियम के विधिकरण से पहले स्थापित मौजूदा फार्मों तथा सरकार अथवा सरकार के किसी भी अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित गैर – वाणिज्यिक तथा प्रयोगात्मक जलकृषि फार्मों पर लागू नहीं हैं। तर्थापि, ऐसे सभी फार्म तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास पंजीकृत होने चाहिए। ऐसे पंजीकरण के बिना किसी व्यक्ति द्वारा तटीय जल कृषि करने पर उसे अधिनियम के अनुच्छेद 14 में यथा– निर्धारित कारावास का दड़ जिसे तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना अदा करना पड़ेगा जिसे एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों दंड भुगतने पडेंगे।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण की सीएए नियम, 2005 के प्रावधानों के तहत स्थापित राज्य स्तरीय समितियों (एस.एल.सी) एवं जिला स्तरीय समितियों द्वारा की जाती है, जो प्राथमिक रूप से तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण से संबंधित मामलों पर संबद्ध है। यदी 2 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र वाले फार्मों के मामले में डीएलसी मानकों की अनुपालना के बारे में संतुष्ट होने पर पंजीकरण हेतु विचार करने के लिए सीएए को सीधे आवेदनों की सिफारिश करेंगे और 2 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र से बड़े फार्मों के मामले में डीएलसी मानकों के सत्यापन की पुष्टि करने के लिए फार्मों का निरीक्षण करेंगे और एसएलसी को आवेदनों की सिफारिश करेंगे, जो संतुष्ट होने पर, पंजीकरण के लिए सीएए को इनकी सिफारिश करेंगे।

पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यकी विभाग (डी.ए.एच.डी.एंड एफ़) द्वारा लाइवस्टाक इम्पोर्टेशन अधिनियम, 1898 (लाइवास्टाक इम्पोर्टेशन अधिनियम 2001) के तहत जारी की गई दिनांक 15 अक्तूबर 2008 की अधिसूचना के तहत जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण अनुमोदित विदेशी एसपीएफ़ ब्रूड़स्टाक आपूर्ति कर्ताओं से एसपीएफ़ एल.वेन्नामई का ब्रूड़स्टाक आयात करने के लिए हैचरियों को अनुमति प्रदान करने के लिए और ब्रूड़स्टाक की वार्षिक आवश्य कर्ताओं का आबंटन करने के लिए प्राधिकृत था।

इस प्रकार सीएए वर्ष 2009 की अधिसूचना के तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार एस.पी. एफ.एल.वेन्नामई की कृषि करने की इच्छुक फार्मों को भी अनुमति प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त सीएए की शक्तियाँ तथा कार्य निम्मलिखित है

- यह सुनुश्चित करना कि तटवर्ती क्षेत्रों में रहनेवाले तटवर्ती समुदाय की आजीविका को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कृषि भूमि, लवण पटल जमीन, कच्छीय वन, नमजमीन, वन भूमि, गाँव की सामान्य उदेश्यो के लिए भूमि तथा सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि और राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्मारण समुदाय मे रहने वाले जीवो की सुरक्षा के लिए जलकृषि फार्मों में परिवर्तित न किया जाए।
- पारिस्थिकीय अनुकूल विकास हासिल करने के लिए उचित कार्यनीति तैयार करने के लिए देश के समूचे तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और केन्द्र सरकार तथा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को सलाह देना।
- सामान्य अवसंरचना लाइन, सामान्य जल अंतर्ग्रहण, निकासी नहर एवं सार्वजनिक बहिस्त्राव उपचार प्रणाली के निर्माण के लिए राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को सलाह एवं समर्थन देना।
- बीज़, आहार, वृद्धि सेवर्धकों तथा जल निकायों एवं पाले गए जीवों एवं अन्य जलजीव के रखरखाव के लिए प्रयुक्त रसायनों के लिए मानक निर्धारित करना।
- पर्यावरण संरक्षण संबंधित अध्ययनों योजनाओं को आरम्भ करना या अन्वेषणों को प्रायोजित करना और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन।
- तटीय जलकृषि से संबंधित आंकड़ो एवं अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक – आर्थिक सूचना एकत्रित एवं वितरित करना।
- तटीय जलकृषि के सतत विकास एवं तटीय जलकृषि के क्रियाकलापों से संबंधित सामाग्री तैयार करना।
- तटीय संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग तथा न्याय संगत एवं उचित हिस्से दारी के संबंध में जागरूकता अभियान चला कर प्रचार करना तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
- तकनीकी नियमावली के संबंध विभिन्न तकनीकी समितियाँ, उपसमितियाँ, कार्य दल आदि गठित करना।
- तटीय पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को कम से कम करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए फार्म के मालिकों को निर्देश देना।
- सततता को सुनिश्चित करने के लिए या पर्यावरणीय सततता को बनाए रखने के हित में एवं तटीय पर्यावरण के हित में आजीविका के संरक्षण के लिए मौसमी बंदी का आदेश देना।
- यदि कोई व्यक्ति झूठी सूचना प्रस्तुत करके पंजीकरण प्राप्त करता है अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों अथवा इन नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके पंजीकरण को रद्द करना।
- तटीय जलकृषि से संबंधित मसलों को निपटाना जिनमें ऐसे मसले भी शामिल हैं जिन्हें केन्द्र सरकार को संदर्भित किया जाना है।
- समय-समय पर दिशा-निर्देशों में संशोधन करने के लिए सरकार को उचित सिफारिशें देना।

4. एस.पी.एफ़ लिटोपिनस वेन्नामई पालन का भारत में विनियमन

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (पशुधन आयात अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) के तहत जारी 15-10-2008 की अधिसूचना द्वारा तटीय जलकृषि प्राधिकरण को एस.पी.एफ़ एन.वेन्नामई के ब्रूड़स्टॉक के आयात के लिए अनुमति देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ़.डी.बी), केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान (सी.आई.बी.ए) और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए) के परामर्श से तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अनुवाँशिकी आधार और रोग संबंधी स्थिति के आधार पर ब्रूड़स्टाक आपूर्तिकर्ता चुने गए थे। उक्त अधिसूचना मे शामिल उक्त दिशा-निर्देश में संगरोध के लिए जैव सुरक्षा अपेक्षा, आयात परमिट, प्रवेश के लिए बंदरगाह, पूर्व सरहद संगरोध अपेक्षाएँ, संक्रमण युक्त प्रक्रिया इत्यादि का विवरण दिया गया है।

तटीय जलकृषि (संशोधन) नियम, 2009 से एल.वेन्नामई की शुरूवात करने के लिए हैचारियों और फार्मों को विनियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए-गए थे। इन दिशा-निर्देश जारी किए-गए में वेन्नामई नस्ल के अनुप्रयोग के लिए मानक, तकनीकी आवश्यकताएँ, एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई के उत्पादन और बिक्री के लिए प्रक्रियाशामिल है और फार्मों के अनुमोदन और प्रचालन के लिए मानक और विनियम विनिर्दिष्ट हैं।

हैचरी संचालकों और झींगा कृषकों के सुचारू प्रचालन के लिए, भारत सरकार ने वयस्क ब्रड़स्टाक पालन के लिए 10 ग्राम तक एन.वेन्नामई के एस.पी.एफ़ बच्चों के आयात, अनुमति प्राप्त हैचरियों से न्युप्लाई की बिक्री, पर्याप्त सूखा काल के बाद एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में पालन को बदलने के लिए अनुमति प्रदान करते हुए मार्च, 2012 में अधिसूचना के तहत सीएए नियम, 2005 में और आगे संशोधन किया है। इस अधिसूचना से अप्राधिकृत बीज़ उत्पादन से निपटने की निरीक्षण प्रक्रिया और सीएए के टीम निरीक्षण द्वारा अप्राधिकृत स्टॉक को नष्ट करने के जरिए एल.वेन्नामई पालन को भी सुदृढ़ किया गया।

दिनांक 16 फरवरी, 2015 को अधि सूचना जारी की गई थी जिसमें पेनिअस मोनोडान के लिए पंजीकृत फार्मों को शून्य जल बदलावों को अपनाते हुए निम्न स्टॉकिंग सघनता के साथ एल.वेन्नामई कृषि करने की अनुमति प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे।

सीएए द्वारा तटीय क्षेत्रों में सभी झींगा हैचारियों (पी.मोनोडान सहित) के पंजीकरण के संबंध में सीएए नियम, 2005 के अनुलग्नक 1 के दिशा-निर्देशों मे डिए.एच.डी.एंड.एफ़, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा नवंबर, 2015 में सीएए अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप संशोधन जारी किया गया था।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण एल.वेन्नामई पालन आरंभ करने के लिए हैचारियों एवं फार्मों को अनुमति प्रदान करने में इस उद्यम के सतत-विकास के लिए संपूर्ण प्रचालन के निरीक्षण और मानिटारिंग में सावधानी पूर्वक अनुपालन कर रहा है। बड़ी संख्या में छोड़ दिए गए झींगा फार्मों को पुनर्जीवित करने के मार्ग को प्रशस्त बनाने के लिए एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई को शुरू किया गया और इसके परिणाम स्वरूप देश में झींगा के उत्पादन और निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

II. लक्षय तथा कार्य निष्पादन

1. वार्षिक लक्ष्य पर विचार किया गया

- क्रियान्वयन के लिए उचित निर्णय लेने हेतु – प्राधिकरण की प्रत्येक दो महीनों में कम से कम एक बैठक आयोजित करना।
- तटीय जल कृषि फार्मों का पंजीकरण तथा उनका नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसका विशेष रूप से लक्षय निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) और राज्य स्तरीय समितियों (एस.एल.सी) से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर वर्ष के दौरान अतिरिक्त 3000 तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत/नवीकृत किए जाने की संभावना।
- वर्ष 2015-16 के लिए लगभाग 2000 हेक्टेयर-अतिरिक्त क्षेत्र में समावेश होकर एस.पी.एफ़ एल. वेन्नामई पालन का विस्तार जिसमें एक वर्ष में झींगा का लगभाग 20,000 मेट्रिक टन प्रत्याशित अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा।
- तकनीकी समिति द्वारा आवश्यकता और मौजूदा ब्रूड़स्टॉक आपूर्तिकर्ताओं के निष्पादन की समीक्षा पर निर्भर करते हुए ब्रूड़स्टॉक आपूर्ति-कर्ताओं का चयन।
- ब्रूड़स्टॉक के आयात और सीएए द्वारा अनुमोदित कृषकों को आपूर्ति करने के लिए एस.पी.एफ़ बीजों के उत्पादन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए पर्याप्त जैव सुरक्षा सुविधाएँ रखने वाले भावी हैचरी मालिकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करने।
- तकनीकी समिति द्वारा एल.वेन्नामई कृषि के लिए ब्रूड़स्टॉक की वार्षिक आवश्यकता हैचरी क्षमता और एल.वेन्नामई पालन के लिए पालन क्षेत्र की सीमा के आधार पर तैयार की जाएगी।
- उन कृषकों से प्राप्ति सभी आवेदन-पत्रों को प्रक्रम में लाना, जो पी.मोनोडान, एस.पी.एफ़, एल.वेन्नामई या किसी अन्य खाराजल प्रजाति को अपने फार्म में अपेक्षित सुविधा प्रणाली सृजित करते हुए पालन करना चाहते हैं और तत्पश्चात पंजीकरण तथा / या अनुमति प्रमाण-पत्र जारी करना।
- अन्य सुविधाओं के साथ-साथ जैवसुरक्षा अपेक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दल द्वारा हैचारियों, न्युप्लाई रियरिंग केन्द्रों और फार्मों का निरीक्षण करना।
- निरीक्षण दल द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों पर मंजूरी प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनी नियमित बैठक में विचार करना।
- हैचारियों, न्युप्लाई रियरिंग केन्द्रों और फार्मों की निगरानी सावधिक रूप से करना और अनुमोदन की शर्तों का उल्लंघन करने पर उपयुक्त कार्रवाई करना।
- तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित जल गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए ईटीएस से निकलने वाले अपशिष्टि जल की गुणवत्ता नमूने प्राप्त करना एवं परीक्षण करना।
- पालकों को हैचरियों के पंजीकरण, पी.मोनोडान, एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई, फ़िन फिशेस और केकडा फार्मिंग तथा प्रतिबंधित दवाओं के मुद्दों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों में जागरूक बनाने के लिए जब कभी आवश्यक हो, तटवर्ती राज्यों में जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करना।

- तटीय जलकृषि के संबंध में दीर्घकालिक कृषि सव्यवहारों के प्रदर्शन हेतु कार्यशाला/सेमिनारों का आयोजन अथवा संबंधित संगठन द्वारा आयोजित कार्यशालाओं / सेमिनारों /प्रदर्शनियाँ में भागीदारी होना।
- हितधारियों को वितरित करने के लिए-स्थानीय भाषाओं में जलकृषि के अच्छे संव्यवहारों (जीएक्यूपी) / बीएमपीस पर ब्रँशर / हैंड़ आउट तैयार करना।

2. वास्तविक निष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा

- चालू वर्ष 2017 अप्रैल से मार्च 2018 के दौरान आयोजित की गयी तीन अन्य बैठकों के अलावा साथ में और एक नियमित बैठक को सीएए ने संयोजित किया।
- कुल मिलाकर 1972 आवेदन तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण हेतु एस.ए.सी.स/डी.एल.सीस की ओर से प्राप्त किया था। अनुमोदन के लिए सबकुछ पर सोच-विचार किया था। जिसको अनुमोदन न किया था, उनकी त्रुटि के परिशोधन करके फिर भेजने हेतु डीएसीस/एस एसीस को भेजा गया।
- सीएए द्वारा अनुमोदन किया गया फार्मों के पंजीकृत प्रमाण पत्र को वितरण किया।

III. कार्यकलाप व उपलब्धियाँ

सीएए से नियमित बैठक के प्राधिकरण और समिति ने चालू वर्ष 2017 अप्रैल से 2018 मार्च के दौरान आयाजित की गयी तीन अन्य बैठकों को अलावा साथ में और एक नियमित बैठक को संयाजित किया।





1. प्राधिकरण की बैठकें;

सीएए की 59 वीं प्राधिकरण की बैठक

कोचिन के एम.पी.ई.डी.ऐ के-अध्यक्ष डा.ए.जयतिलक के अध्यक्षता में 59 वीं प्राधिकरण के वार्षिक बैठक एड़िस्सन ब्लू होटल में वर्ष 2018 जनवरी 10 वाँ दिनांक में आयोजित किया गया।

फार्मों के पंजीकरण के आवेदन-अनुमोदन कार्रवाई के अतिरिक्त, प्राधिकरण ने कई प्रकार के महत्वपूर्ण प्रस्तावित विषयों पर ध्यान दिया है। ये हैं कि हैचारियों के पंजीकरण पर विचार-विमर्श करना; विश्व व्यापी विज्ञापन से ब्रूड़स्टाक आपूर्तिकर्ताओं को पहुँचाना; एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई को पूर्वी तटवर्ती से पश्चिमी तटवर्ती तक भेजने का विमान भाड़ा के विवरण पता करना; सरकारी अनुसंधान फार्मों का पंजीकरण पर ध्यान देना, भेटकी केकडा हैचरियों की अनुमति देना;-निविष्ट तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकरण करना

आदि हैं। सिएए के सदस्य सचिव ने अपने स्वागत भाषण में संकेत किया था कि पंजीकरण रहित चलाए हैचरियों का कारण बताया और नोटिस भेजना और सीएए के निर्देश को उल्लंखन किए हैचरियों को बन्द करने के आदेश का वितरण आदि हैं।

बैठक में स्वीकृति प्रमुख प्रस्ताव

बैठक में निम्नलिखित प्रमुख प्रस्तावों पर विचार विमर्श और प्रमुख प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया।

- आन्ध्र प्रदेश के गण्डूर जिला के सूर्य लंका में स्थित मैंग्रोव कीचड़ केकडा और भेटकी मछलीयों के हैचरियों हेतु निर्माण करने के पूर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान कर एल ओपी वितरण करना।
- अल्प गुणवत्ता बीजों को भेजे गये हैचरियों को नोटिस वितरण करना।
- सीएए, डीएलसी और एस.एल.सी. 60:20:20 के दर से पंजीकरण शुल्क के अंशधारी होने के प्रस्ताव को अनुमोदन करना।
- ब्रूड़स्टॉक की गुणवत्ता सुनिचित करने योग्य आपूर्ति-कर्ताओं की पहचान करने के लिए वैश्विक निविदा जारी करना।
- फार्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण के पंजीकरण कार्यों में तीव्रता दिखाने का उत्साह दिलाना।
- 4385 फार्मों के पंजीकरण के अनुमोदन देने की स्वीकृति देना।
- 3286 फार्मों के पंजीकरण के नवीनीकरण को अनुमोदन देने की स्वीकृति देना।
- ओड़िशा, आन्ध्रप्रदेश, केरला, पुदुचेरी और गोवा में स्थित 1112 झींगा फ्रार्मों के अनुमोदन प्रदान कर एल ओ पी को वितरण करने की अनुमति देना।
- सरकारी अनुसंस्थान फार्में के लिए वास्तविक स्वीकृति देना।
- 38 हैचरियों के पंजीकरण और एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई ब्रूड़स्टाक को निर्यात करने के अनुमोदन करने की अनुमति देना।
- पंजीकरण के लिए 32 NRCS को वास्तविक स्वीकृति प्रदान करना।
- 24 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के हैचरियों के अनुमोदन देने की अनुमति देना।
- सार्वजनिक क्षेत्र में निविष्ट अनिवार्य फार्मों के अनुमोदन प्रदान करने की अधिसूचना जारी करने के लिए सहमति।
- आर्टीमिया को संगरोधन अनिवार्य करने के लिए प्रस्ताव की सहमति देना।
- एन.एफ़.ड़ी.बी. के मानक के आधार पर परामर्शी को नियुक्त करने के प्रस्ताव की सहमति देना।

2. तकनीकी समिति की बैठक

a) एक्यूएफ संबधो 14 वीं तकनीकी समिति की बैठक

एक्यूएफ़ की तकनीकी समिति की 14 वीं बैठक में ई.एच.पी. की बढती आवृत्ति पर व्यापक चर्चा हुई, जिसे जलीय पशु रोग के लिए राष्टीय निगरानी कार्यक्रम के तहत 'भारत के लिए चिंता का रोग' के रूप मे सुचीबद्ध किया गया है।

वर्ष 2017 नौ अगस्त को केन्द्रीय खारा पानी जल कृषि (सी आई बी ए) संस्थान में सदस्य सचिव अथवा सी आई बी ए के निदेशक डॉ के.के. विजयन के अध्यक्षता में बैठक प्रबंध किया गया।

लगभग 15 सदस्य सिएए निदेशक के साथ उपस्थित थे। साथ-साथ ए आई एस एच ए के प्रतिनिधियाँ, आर.जी.सी.ए के प्रति निधियाँ, एम.पी.ई.डीए और सी.आई.बी.ए. के प्रधान विज्ञानी जैसे कई प्रमुख इस बैठक में भाग लिए थे।

भाग लिए सभी सज्जन ने इस बैठक में ई.एच.पी. की झींगा जल कृषि के वर्धमान आवृत्ति कम होने पर अपने अपने विचार और उपायों पर उत्साह से बातें करने लगे। विशेष रूप से पोष्ट लार्वा की हालतों पर अधिक प्रकाश डालने लगे। उन्होने ए.क्यू.एफ़ के आयतित एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई ब्रूड़स्टॉक के ई.एच पी की परीक्षण की आवश्यकता महसूस कीया और इस संबध मे कदम उठाने पर सहमत हूए।

ई.एच.पी. की परीक्षण के शुल्क को भी तय करने के लिए ए.क्यू.एफ़ ने कहा गया था।

b) ए.क्यू.एफ़ की 15 वीं तकनीकी समिति की बैठक

चेन्नै के सम्मेलन भवन में दिनांक सत्रहव 2017 नवम्बर को सदस्य सचिव डॉ.सी.गोपाल के नेतृत्व में जलीय संगरोधन सुविधाओं पर विचार विमर्श करने की 15 वीं तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित किया गया।



सी.आई.बी.ए., एम.पी.ई.डी.ए, पशु पालन विभाग, दुग्ध व्यवसाय औऱ मछली-उद्योग विभाग, एन.एफ़. डी.बी और ए.आई.एस.एच.ए के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 15 सदस्य भाग लिए थे।

ए.क्यू.एफ़. की निगशनी पर तकनीकि सलाहकार समिति की 15 वीं बैठक में लिए गये प्रमुख निर्णय

- संगरोध आरक्षण के दुए होने के अंतिम चार घंटो के दैशन किसी भी समय ए.म्यू.एफ. मे आने वाली माल को एक दिन की देरी हुई माल माना जाएगा विलेखित मालो की संगरोध अवधि इसके आगमन के क्रमिक दिन से दी जाएगी।
- सदस्य सचिव सी.ए.ए से ए.क्यू.एफ़. के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने पर मध्यवर्त्री अवधि से माल आयत करने के लिए हैचरी की अनुमति देना। इस प्रणाली को केवल एक वर्ष मे एक ही माल। हैचरी के लिए अनुमति दी जा सकती है, विशेष मामले मे जुर्माना शुल्क के साथ ताकि सुविधा के सुचारू संचालन कि गलि मे बाधा न आऐ। (अपरिहार्य परिस्थिति कि स्थिति मे)
- नुमति प्राप्त हेचरियों को ए.क्यू.एफ़. को सूचित कर के विशेष अनुमति से आयात करने का प्रावधान है। विशेष रूप से जुर्माना के साथ शायद एकाकी माल को अनुमति दिया गया तो तेजी से सहज प्रचालन होने की संभावना है। (यह अनिवार्य परिस्थितियों में किया गया तो कोईबाधाएँ न आएगी)
- घनाकार उपयोगकती के शुल्क में एक रूपता लाना।
- सधारण संगरोधन घनाकार में ब्रूड़स्टॉक के 16 मिलो के बायेमास को समायोसित ऑपरेटरो द्वारा अयालित अतिरिक्त ब्रूड़स्टॉक के उत्प्रेरण को रोकने के लिए AISHA ने 25 किलोग्राम बायोमास की समायोजित करने का सुझाव दिया।

- भारत को निर्यात किऐ जाने वाले ब्रूड़स्टॉक की एस.पी.एफ़. स्थिति पर परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करने के लिए केवल सूची मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाए ही पात्र है।
- रोग प्रचलन को रोकने के उद्देश्य से निर्यात कर रहे विदेशी कम्पनी असल जहाजी दस्तावेजों को ए.क्यू.एफ़ को सत्यापन के लिए भेजना अनिवार्य है। आनलाईन और मुल प्रति मे अमान्यता के मामले मे, हैचरियों के परिचालक उस कम्पनी को आगे एक वर्ष तक माल भेजने को रोकने के अधिकार है।
- चेन्नै के ए.क्यू.सी.एस. कार्यालय के जलीय संगरोधन अधिकारी हाज़िर न हो तो हैचरी संचालको को N.O.C. जारी करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। (परिचालकों को प्रदान करने के एन.ओ.सी. को प्राप्त करने के वैकल्पिक व्यवस्था को प्रबन्ध करना) अनिवार्य है।
- एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई ब्रूड़स्टाक को भेज रहे विदेशी पूर्ति कर्ताओं से ए.आई.एस.एच.ए ने सीधे संपर्क कर ए.क्यू.एफ़/ए.क्यू.सी.एस. के प्रस्ताव को कभी भी न पहुँचा देगा (मध्यवर्ती के उलझन को कम करने के उद्देश्य से आनलाइन पर पंजीकृत आयातकर्ता से सीधे संपर्क करना)
- रकम भेजने के पेस पहला और तीसरे में संपर्क कर रहे आपूर्ति कर्ताओं को पन्द्रह दिन का अतंराल दिलवाने के समाचार को आर.जि.सि.ए/ए.क्यू.एफ़ के प्रतिनितियों को समझाने के प्रावधान है।
- आर.जी.सी.ए. और ए.क्यू.एफ़ के प्रस्तावित प्रस्ताव के अनुसार ए.क्यू.एफ़ और पी.सी.आर प्रयोगशाला के प्रदर्शित सूची में रोग जनक ई.एच.पी. को शामिल किया गया।







3. एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई ब्रूड़स्टॉक विदेशी आपूर्ति कर्ताओं के संक्षिप्त सूची तैयार करने की समिति की बैठक







B. तटीय जल कृषि फार्मों के पंजीकरण / नवीनीकरण

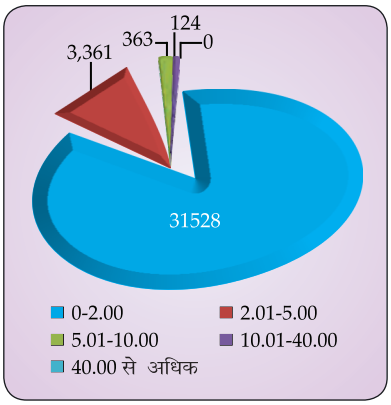
1. झींगा फार्मा का पंजीकरण

राज्य और जिला स्तरीय सिमितियाँ, जिन्हें इसी कार्य के लिए गठित किया गया है। उनकी सिफारिशों पर झींगा फार्मों का पंजीकरण कार्य सीएए द्वारा किया गया एक महत्व पूर्ण कार्य है। प्राधिकरण में हर दो महीने में एक बार नियमित रूप हुई अपनी बैठक में झींगा फार्मों के पंजीकरण के लिए जिला स्तरीय समितियों और राज्य स्तरीय समितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार किया और मार्च 2018 तक (सीएए के आरंभ होने से) में झींगा फार्मों किसानो को 35,395 प्रामाण-पत्र अनुमोदित किए गए तथा मंजुरी जारी किए गए।

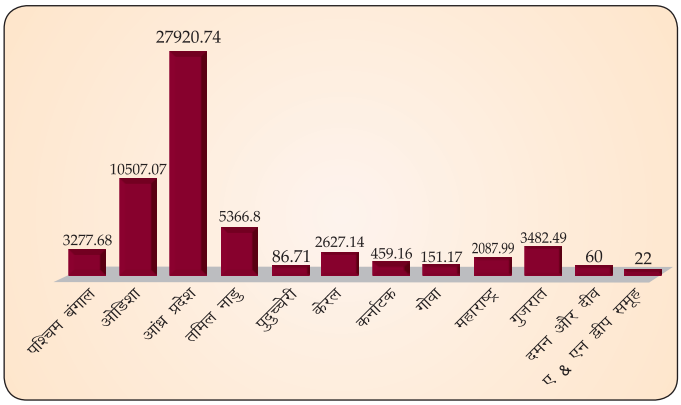
सभी 12 समुद्र तटीय राज्यों के 2015 से 2018 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या को दर्शने वाला विवरण तालिका-एक में दिया गया है और प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत राज्य वार और क्षेत्रवार फार्मों को दर्शाने वाला विवरण चित्र एक और चित्र दो में दिया गया है।

तालिका – 1 2005-2018 तक सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों के ब्योरा

क्र. सं.	राज्यों के नाम	कुलक्षेत्रफल (हे) के तहत फार्मों की संख्या						फार्मों का क्षेत्र फल	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अधिक	योग	टी.एफ़.ए. (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)
1	पश्चिम बंगल	3074	169	6	0	0	**3249**	3277.68	2337.57
2	ओड़िशा	7770	424	30	17	0	**8241**	10507.07	6497.95
3	आन्ध्रप्रदेश	18020	1089	128	60	0	**19306**	27920.74	19669.07
4	तमिलनाडु	1058	645	137	19	0	**1860**	5366.8	3717.29
5	पुदुचेरी	43	3	1	0	0	**47**	86.71	61.75
6	केरला	1020	228	24	5	0	**1278**	2627.14	1779.62
7	कर्नाटका	266	42	2	2	0	**312**	459.16	349.78
8	गोवा	23	15	2	2	0	**42**	151.17	109
9	महाराष्ट्रा	99	125	25	18	0	**273**	2087.99	1315.05
10	गुजरात	152	608	8	1	0	**771**	3482.49	2485.25
11	दमन और दीव	0	12	0	0	0	**12**	60	38
12	अंडमान और निकोबार दीप समूह	3	1	0	0	0	**4**	22	5
	योग	**31528**	**3361**	**363**	**124**	**0**	**35,395**	**56048.95**	**38,365.33**



चित्र – 1, 2015-2018 तक सभी तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (क्षेत्र-वार)



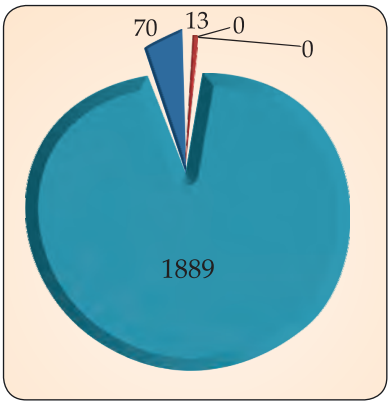
चित्र – 2, 2015-2018 तक सभी राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (राज्यवार)

वर्ष के दौरान (अप्रैल 2017 से मार्च 2018) रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण ने 1,972 आवेदनो पर विचार किया और प्रमाण-पत्र जारी किए गए। पंजीकरण प्रमाण-पत्र किसानों को सीधे भेजे गये थे। और उन प्रमाण पत्रो को बीना किसी शर्त के लौटा दिया गया, वे प्रमाण पत्र नो पूर्ववत लौटे है, वे राज्यो की SLCS के सदस्य संयोजको को भेजे गये थे, जो प्रधिकरण की 27 वीं बैठक मे हल किए गये थे।

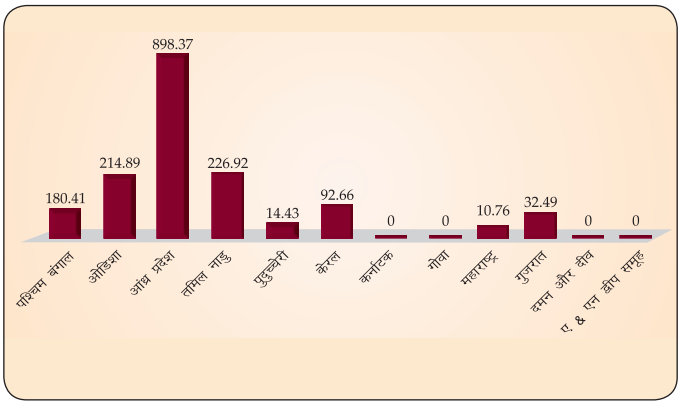
सभी 12 तटीय राज्यों और केंद्रशसित प्रदेशों में अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के दौरान प्राधिकरण का पंजीकृत फार्मों के कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण तालिका 02 में दिया गया है। प्राधिकरण के पास पंजीकृत झींगा फार्मों का विवरण दिखाते हुए चार्ट वर्तमान वर्ष मे (तो PP द्वारा जाए किए गऐ पंजीकरण का प्रभाष पत्र वर्ष के दैशन) (राज्यवार और क्षेत्रवार) के ब्योरे को चित्र 03 और 04 में क्रमानुसार दी गई है।

तालिका 02 – चालू वर्ष के दौरान सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों के ब्योरे (अप्रैल 2017 – मार्च 2018)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	कुलक्षेत्रफल (हे) के तहत फार्मों की संख्या						फार्मों का क्षेत्र फल	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अधिक	योग	टी.एफ़.ए. (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)
1	पश्चिम बंगल	268	4	0	0	0	**272**	180.41	132.78
2	ओड़िशा	388	0	0	0	0	**388**	214.89	189.26
3	आन्ध्रप्रदेश	1119	30	0	0	0	**1149**	898.37	572.02
4	तमिलनाडु	100	14	6	0	0	**120**	226.92	159.43
5	पुदुचेरी	2	2	1	0	0	**5**	14.43	11.6
6	केरला	2	13	6	0	0	**21**	92.66	75.92
7	कर्नाटका	0	0	0	0	0	**0**	0	0
8	गोवा	0	0	0	0	0	**0**	0	0
9	महाराष्ट्रा	4	2	0	0	0	**6**	10.76	8.13
10	गुजरात	6	5	0	0	0	**11**	32.49	24.25
11	दमन और दीव	0	0	0	0	0	**0**	0	0
12	अंडमान और निकोबार दीप समूह	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	योग	**1889**	**70**	**13**	**0**	**0**	**1,972**	**1670.93**	**1173.39**



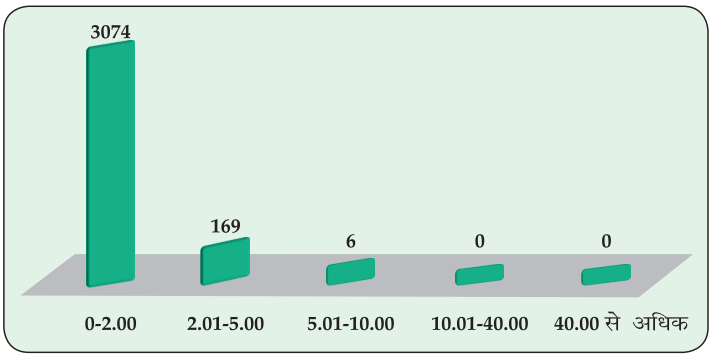
चित्र – 3 अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक के दौरान सभी तटीय राज्य में पंजीकृत फार्मों की संख्या (क्षेत्र-वार)



चित्र 4 वर्ष अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक सभी तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (राज्य-वार)

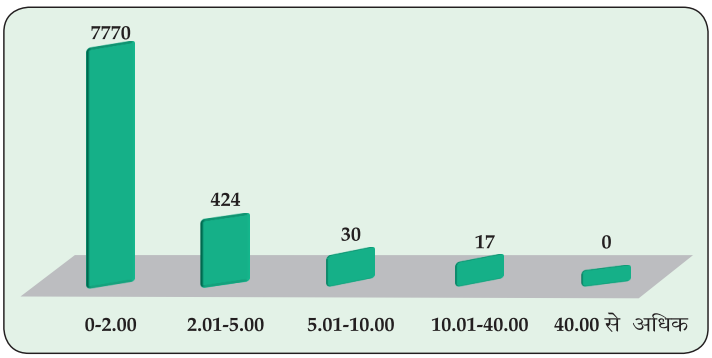
मार्च 2018 तक पंजीकृत फार्मों की संख्या (35,395) और कुल क्षेत्र फल 56,048.95 हेक्टेयर था और जल प्रभावित क्षेत्र फल 38,365.33 हेक्टेयर था। कुल फार्मों के क्षेत्र फल और डब्ल्यू.एस.ए. के चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या (1972) और कुमानुसार 1,670.93 हेक्टेयर और 1173.39 हेक्टेयर था। सब तालिका एक और दो में प्रस्तुत किया और चित्र पाँच और छः में दर्शाया गया है।

दिसंबर 2005 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान पंजीकृत क्षेत्र वारो की संख्या को नीचे दिऐ गये आँकडो मे दर्शाया गया है।



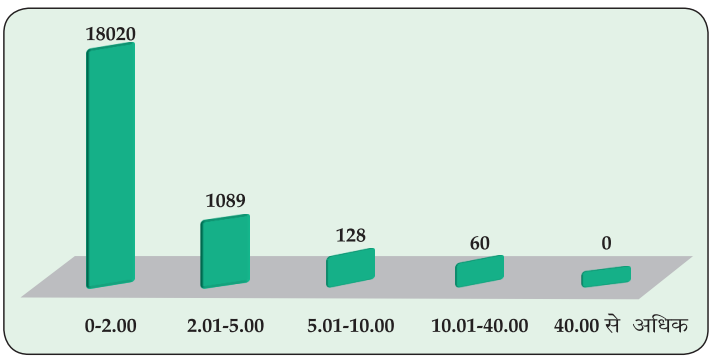
क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	3074
2.01-5.00	169
5.0-10.00	0
10.01- 40.00	0
40.00 के अधिक	0

चित्र– 5 पश्चिम बंगाल के दिसंबर 2005 से मार्च 2018 के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या



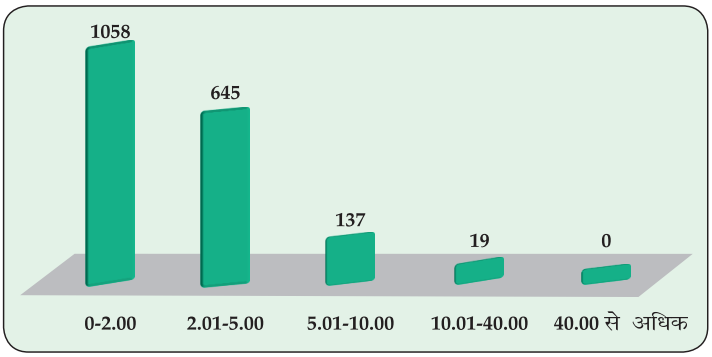
क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	7770
2.01-5.00	424
5.0-10.00	30
10.01- 40.00	17
40.00 के अधिक	0

चित्र 06 – दिसंबर 2005 से मार्च 2018 के दौरान पंजीकृत ओड़िशा के फार्मों की संख्या



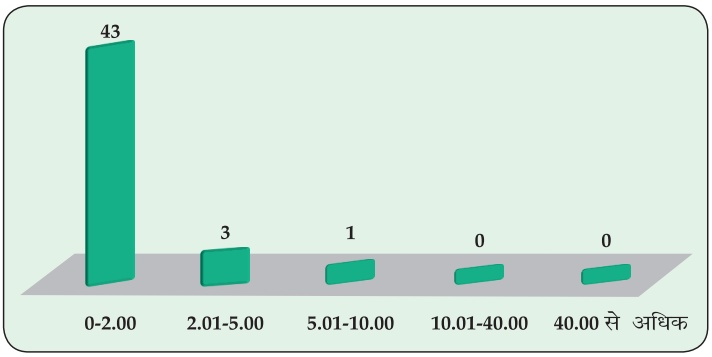
क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	18020
2.01-5.00	1089
5.0-10.00	128
10.01- 40.00	60
40.00 के अधिक	0

चित्र 07 – दिसंबर 2005 से मार्च 2018 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के पंजीकृत फार्मों की संख्या



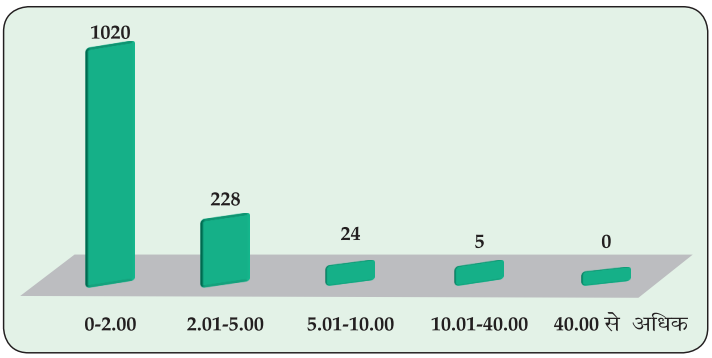
क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	1058
2.01-5.00	645
5.0-10.00	137
10.01- 40.00	19
40.00 के अधिक	0

चित्र 08 – दिसंबर 2005 से मार्च 2018 के दौरान तमिलनाडु के पंजीकृत फार्मों की संख्या



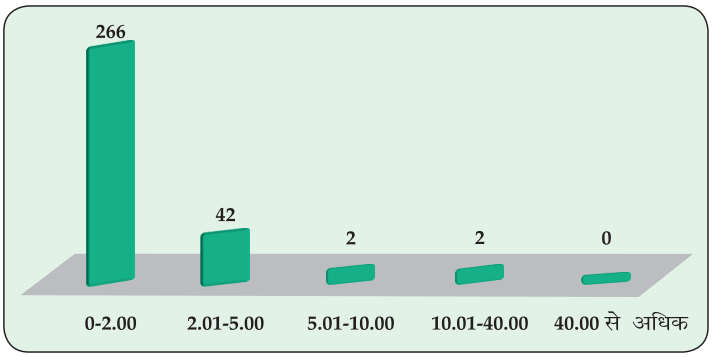
क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	43
2.01-5.00	3
5.0-10.00	1
10.01- 40.00	0
40.00 के अधिक	0

चित्र 09 – दिसंबर 2005 से मार्च 2018 के पुदुचेरी के पंजीकृत फार्मों की संख्या



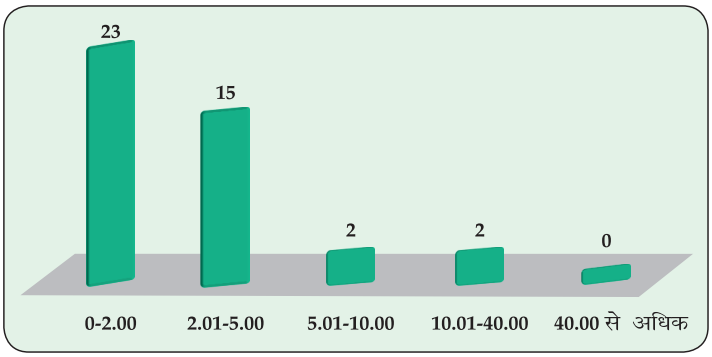
क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	1020
2.01-5.00	228
5.0-10.00	24
10.01- 40.00	5
40.00 के ऊपर	0

चित्र 10 – दिसंबर 2005 से मार्च 2018 के केरल के पंजीकृत फार्मों की संख्या



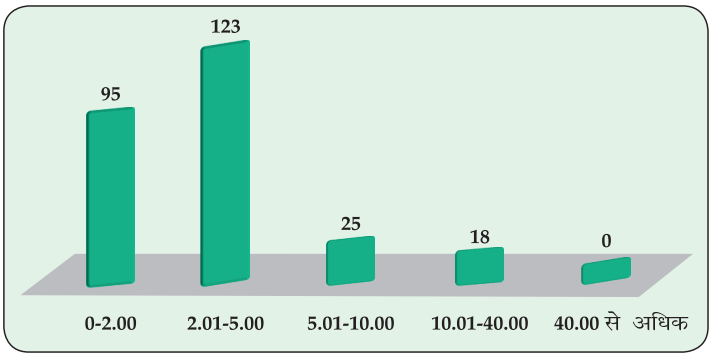
क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	266
2.01-5.00	42
5.0-10.00	2
10.01- 40.00	2
40.00 के अधिक	0

चित्र 11 – दिसंबर 2005 से मार्च 2018 के कर्नाटक के पंजीकृत फार्मों की संख्या



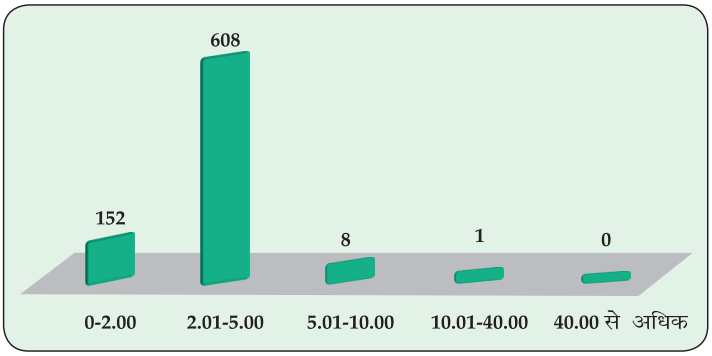
क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	23
2.01-5.00	15
5.0-10.00	2
10.01- 40.00	2
40.00 के अधिक	0

चित्र 12 – दिसंबर 2005 से मार्च 2018 के गोवा के पंजीकृत फार्मों की संख्या



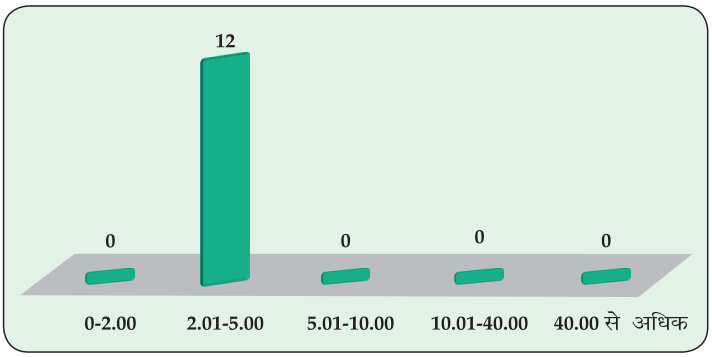
क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	95
2.01-5.00	123
5.0-10.00	25
10.01- 40.00	18
40.00 के अधिक	0

चित्र 13 – दिसंबर 2005 से मार्च 2018 के महाराष्ट्र के पंजीकृत फार्मों की संख्या



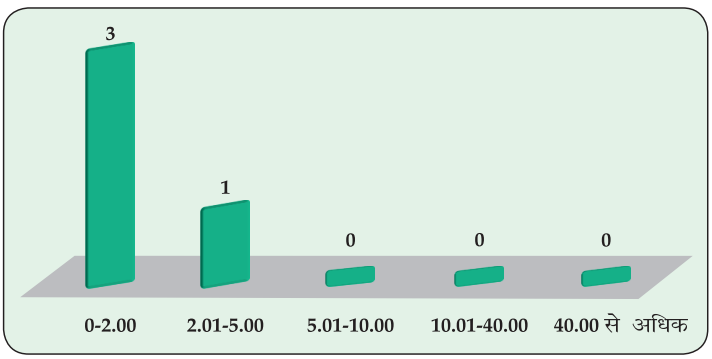
क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	152
2.01-5.00	608
5.0-10.00	8
10.01- 40.00	1
40.00 के अधिक	0

चित्र 14 – दिसंबर 2005 से मार्च 2018 के गुजरात के पंजीकृत फार्मों की संख्या



क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	0
2.01-5.00	12
5.0-10.00	0
10.01- 40.00	0
40.00 के अधिक	0

चित्र 15 – दिसंबर 2005 से मार्च 2018 के दमन और दीव के पंजीकृत फार्मों की संख्या



क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	3
2.01-5.00	1
5.0-10.00	0
10.01- 40.00	0
40.00 के अधिक	0

चित्र 16 – दिसंबर 2005 से मार्च 2018 के अंडमान और निकोबार दीप समूह के पंजीकृत फार्मों की संख्या

1. झींगाफार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण

प्राधिकरण द्वारा तटीय जलकृषि के पंजीकरण के अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के बाद पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्य है। सितंबर 2012 के दौरान शुरु हुई 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद पंजीकरण का नवीनीकरण शुरु किया गया था और मार्च 2018 तक 5908 फार्मों के कुल क्षेत्र फल 10,819.527 हेक्टेयर (डब्ल्यू.एस.ए. 7498.93 हेक्टेयर) के पंजीकरण के नवीनीकरण को अनुमोदन किया गया।

- वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने 1651.11 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल (डब्ल्यू.एस.ए 1223.45 हेक्टेयर) के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए किसानों से प्राप्त 934 आवेदनों पर विचार किया, प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद फार्मों के मूल पंजीकरण प्रमाण पत्रों में आवश्यक पृष्ठांकन किए गए थे।

सभी 12 तटीय राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशो में सितंबर, 2012 से मार्च, 2018 तक प्राधिकरण में नवीकृत किए गए फार्मों के पंजीकरण की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण तालिका 5 में दिया गया है और अवधि के दौरान पंजीकरण के नवीनीकरण के ब्योरे राज्य-वार और क्षेत्रवार चित्र 7 और 8 में दिए गए है। चालू वर्ष (अप्रेल 2017 से मार्च 2018) के दौरान नवीकृत फार्मों के राज्यवार और क्षेत्रवार ब्योरे तालिका 6 में दर्शाए गए हैं। वर्ष के पंजीकरण के नवीनीकरण के राज्यवार और क्षेत्रवार ब्योरे 9 और 10 में दिए गए हैं।






अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के दौरान सीएए द्वारा जारी किए गए नवीनीकरण प्रमाण पत्र के ब्योरे

क्र. सं.	राज्यों के नाम	कुलक्षेत्रफल (हे) के तहत फार्मों की संख्या						फार्मों का क्षेत्र फल	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अधिक	योग	टी.एफ़.ए. (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)
1	पश्चिम बंगल	0	0	0	0	0	**0**	0	0
2	ओड़िशा	147	0	0	0	0	**147**	137.18	101.3
3	आन्ध्रप्रदेश	499	39	0	0	0	**538**	930.36	714.25
4	तमिलनाडु	189	23	5	0	0	**217**	511.13	348.67

5	पुदुचेरी	3	0	0	0	0	**3**	11.48	9.07
6	केरला	18	9	1	0	0	**28**	59.79	49.11
7	कर्नाटका	0	0	0	0	0	**0**	0	0
8	गोवा	1	0	0	0	0	**1**	1.17	1.05
9	महाराष्ट्रा	0	0	0	0	0	**0**	0	0
10	गुजरात	0	0	0	0	0	**0**	0	0
11	दमन और दीव	0	0	0	0	0	**0**	0	0
12	अंडमान और निकोबार दीप समूह	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	योग	**857**	**71**	**6**	**0**	**0**	**934**	**1,651.11**	**1,223.45**

वर्ष के दौरान, 12 तटीय और केन्द्रशासित प्रदेशों में से 10 राज्यों (पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात) में प्राधिकरण द्वारा झींगा फार्मों का पंजीकरण और पंजीकरण का नवीनीकरण दोनों कार्य अनुमोदित किए गए और उनके क्षेत्र-वार ब्योरे नीचे दिया गए है।

सिदंबर 2012 से मार्च 2018 के पंजीकरण के नवीनीकरण के प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए विवरण हैं

क्र. सं.	राज्यों के नाम	कुलक्षेत्रफल (हे) के तहत फार्मों की संख्या						फार्मों का क्षेत्र फल	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01- 40.00	40.01 से अधिक	योग	टी.एफ.ए. (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)
1	पश्चिम बंगल	7	0	0	0	0	7	6	4
2	ओड़िशा	1254	34	2	6	1	1297	2222.31	1311.68
3	आन्ध्रप्रदेश	3520	61	2	6	3	3592	5937.69	4229.51
4	तमिलनाडु	580	38	5	0	0	623	1450.147	1087.48
5	पुदुचेरी	5	0	0	0	0	5	15.48	12.07
6	केरला	141	15	1	0	0	157	277.37	205.05
7	कर्नाटका	47	6	1	0	0	54	92.25	73.71
8	गोवा	15	6	1	0	0	22	64.78	45.93
9	महाराष्ट्रा	58	7	7	0	0	72	297	211
10	गुजरात	9	60	0	0	1	70	411.5	289.5
11	दमन और दीव	0	9	0	0	0	9	45	29
12	अंडमान और निकोबार दीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	**5636**	**236**	**19**	**12**	**5**	**5,908**	**10819.527**	**7498.93**

3. सीएए द्वारा जलकृषि फार्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण को बढावा देने के लिए किए गए प्रयास

सीएए ने अभि हाल ही में कई प्रकार के प्रवर्तन करने के प्रयास में ऑनलाइन के माध्यम से एकल खिड़की आवेदन को शुरू करने की सुवीधा को परिचय कर, जिला अधिकारी, मत्स्य पालन के सचिवों को तटीय राज्यो मे जागरूकता कायक्रमों का आयोजन करने और किसानो को जागरूक करने, किसानो को अग्रणी और ज्ञानदार दैनिक समाचार पत्रो मे सर्वजनीक नोटीस के माध्यम से सलाह देने के संदर्भ में कई पहल की है को पंजीकरण के प्रक्रीया में तेजी लाने के लिऐ

- पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न तटीय राज्यों के जिला अधिकारों और मत्स्यपालन सचिव को पत्र भेजे गए थे।
- तटीय जलकृषि फार्मों को सीएए में पंजीकृत कराने / नवीनीकृत कराने की आवश्यकता के संबंध में समाचार पत्रों, सीएए वेबसाइट और एस.एल.सी/डीएलसी के जरिए सार्वजनिक सूचना के द्वारा किसानों को सलाह दी गई है कि पंजीकरण नहीं करने पर इसका परिणाम का सामना करना पड़ेगा।
- झींगाओं (पी. मोनोडान, एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई) पंख वाली फिनफिस मछलियों और केकड़ों का पालन करने के लिए जलकृषि फार्मों के पंजीकरण / नवीनीकरण के संबंध में किसानों को जगरूक बनाने के लिए अधिकांश तटीय राज्यों में नियमित अंतराल पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उनके क्षेत्र दौरों के दौरान सीएए निगरानी दल के द्वारा किसानों को संवेदनशील भी बनाया जाता है।











- कार्यशालाएँ आयोजित करना और सीएए में तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण / नवीनीकरण के महत्व को बताने वाली तटीय जलकृषि से जुड़ी प्रदर्शनियों में भागीदारी करना। तटीय जलकृषि करने के लिए फार्मों के पंजीकरण की जरूरत पर जोर देते हुए जलकृषकों और संबद्ध पणधारकों को स्थानीय भाषाओं में तैयार किए गए ब्रौशर्स और हैंड आउट्स का वितरण । किसानों का ध्यान सीएए में फार्मों का पंजीकरण में गैर कानूनी की स्थित होने में दंड / जुर्माने के प्रावधान की ओर भी आकर्षित किया जाता है।
- निरीक्षण दल द्वारा बगैर अनुमोदन वाले फार्मों के स्टाक की नष्ट करना / निपटान करना।
- एन आई सी के साथ परामर्श करके ऑनलाइन व्यवस्था द्वारा नए फार्मों के पंजीकरण के लिए एकल आवेदन पत्र प्रणाली जारी होने के अंतिम चरण में हैं।

III. एस.पी.एफ़ लिटोपेनस वेन्नामई पालन

i) एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई ब्रूड़स्टॉक के आयात को आपूर्तिकर्ताओं के चयन करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक

ii) वर्ष 2017-18 के दौरान एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई ब्रूड़स्टॉक का आयात और बीज उत्पादन

- सीएए जैव सुरक्षित हैचरियों में एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई ब्रूड़स्टाक के आयात और बीज उत्पादन और जैव सुरक्षित फार्मों मे एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई पालन के लिए अनुमति प्रदान करता है। सीएए नियमित तौर पर हैचरियों और फार्मों का निरीक्षण भी करता है। हैचरियों और फार्मों का निगरानी इस लिए की जाती है ताकी यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईटीएस. से छोडे गए अपशिष्ट जल की गुणवत्ता सीएए द्वारा निधारित मानकों के अनुरूप हो।
- नए पंजीकरण जारी करने के लिए हैचरी प्रचालकों से आदन प्राप्त सभी आवेदनों की समीक्षा करने के बाद, सीएए द्वारा गठित निरीक्षण दल ने उनकी सुविधाओं का मूल्यांकन करने और उनकी उपयुक्तकता का पता लगाने के लिए हैचरियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण द्वारा (52 वीं और 57 वीं बैठक में) वर्ष 2017-18 के लिए 18 नई हैचरियों को (पाँच तमिलनाडु में, नौ आन्ध्रप्रदेश में, दो गुजरात में, दो ओड़िशा में) ब्रूड़स्टाक के आयात और एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई के बीज़ उत्पादन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था और 18 हैचारियों को ब्रूड़स्टाक आयात के लिए एलओपीज जारी किए गए थे।

- हेचरियों को अनुमति प्रदान करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार 2016-17 के दौरान अनुमोदित सभी 21 हैचरियों के लिए अनुमति-पत्रों का नवीनीकरण किया गया था।





- चालू वर्ष के दौरान प्राधिकरण की 52 वीं से 57 वीं बैठकों की हैचरियों के अनुमोदन के साथ 18 नई हैचरियों के लिए एल.ओ.पीज अनुमोदित की गयी थी।
- वर्ष 2016-17 के दौरान आन्ध्रप्रदेश में एक का पंजीकरण हैचरी की बिक्री के कारण रद कर दिया गया।
- इसके साथ-साथ 29,155 मिलियन पोस्ट लार्व प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता सहित 298 हैचरियों (तमिलनाडु मे 65, आन्ध्रप्रदेश में 220, ओड़िशा में 06, गुजरात में 06, और कर्नाटका में 01) को अब तक अनुमति पत्र जारी किया गया है और उनका 2017-18 के लिए एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई ब्रूड़स्टाक के 7,36,600 जोड़े का आयात करने की अनुमति दी गई है। एल.ओ.पी की वैधता 31-03-2018. अनुमोदित हैचरियों के राज्यवार ब्योरे उनकी उत्पादन क्षमता सहित तालिका 7 में दिए गए हैं, वितरण प्रतिशत 20 में दिया गया है और जिला वार विवरण चित्र 21 में दिया गया है।

iii) वर्ष 2017-18 के दौरान एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई हैचरियों का निष्पादन

हैचरी मालिकों द्वारा अपनी तिमाही रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए ब्रूड़स्टाक आयात और बीज उत्पादन संबंधी आंकड़े के आधार पर मूल्यांकित किए एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई हैचारियों का निष्पादन निम्नलिखित को दर्शाता है।

- वर्ष 2017-18 के दौरान 298 हैचारियों के लिए अनुमति प्राप्त ब्रूड़स्टाक की कुल संख्या 7,36,000 जोड़े थे जिनकी न्यूनतम उत्पादन क्षमता 29155 मिलियन एस.पी.एफ़ बीज थी। हैचरियों से प्राप्त रिपोर्टों से यह अनुमान है कि वर्ष के दौरान कुल 5,834.686 मिलियन बीज़ (पोस्ट लार्वा) 1,19,163 ब्रूड़स्टाक से उत्पादित और पंजीकृत झींगा किसानों को आपूर्ति की गई। हैचरियों ने 1,90,255.6 स्पाउंनिंग के जारिए लगभग 22037.29 मिलियन न्यूप्लाई का उत्पादन किया और न्यूप्लाई से पीएल तक समग्र जीवित दर का अनुमान 26.5% है।
- जुलाई 2009 में मात्र 09 एल.वेन्नामई हैचरियाँ थी। यह धीरे-धीरे सावधान से मार्च 2018 में 298 हैचरियों तक विकसित हुआ। अब इसकी बीज़ के उत्पादन क्षमता 29,155 मिलियन तक हुआ है।

- आन्ध्रप्रदेश ने वर्तमान वर्ष के दौरान भी एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई हैचरियों के विकास और पंजीकरण में पहला स्थान बनाए रखा है जिसकी 220 हैचरियाँ हैं और पोस्ट लार्वा उत्पादन 4485.626 मिलियन है तथा 3,272.086 मिलियन बीज बिक्री है, जो देश में उत्पादित बीज का 76.48% है। 97,340 ब्रूड़स्टाक के माध्यम से 1,27,873 स्पाउनिंग के द्वारा 15,338.5 मिलियन न्युप्लाई जारी किया।













- तमिलनाडु ने दूसरा स्थान बनाए रखा है जिसकी पंजीकृत एल.वेन्नामई हैचरियों की संख्या 65 है और उत्पादन, 1,110.36 मिलियन पोस्ट लार्वा है और आपूर्ति 809.51 मिलियन बीज है। (देश में उत्पादित बीज का 18.9% है) वर्ष के दौरान रोग मुक्ति ब्रूड़स्टाक की संख्या 18,177 है। 61,524 स्पाफनिंग के द्वारा 5,997.79 मिलियन न्युप्लाई उत्पादित की न्युप्लाई से पोस्ट लार्वा के उत्पादन प्राप्ती 1110.36 मिलियन है, जो समग्र जीवित दर का अनुमान 18.5% है।
- इस वर्ष के दौरान ओड़िशा में सभी 06 हैचरियाँ से 1740 मात्र ब्रूड़स्टाक अर्जित की जो नियुक्त 14,400 से बहुत कम है। इसका दर 12.08% है। उन्होंने 257.5 मिलियन न्युप्लाई से 166.7 मिलियन पोस्ट लार्वा को उत्पादन किया। यह समग्र जीवित दर का अनुमान 64.7% है।
- गुजरात में सभी 06 हैचरियों ने 1000 ब्रूड़स्टाक को बनाए रखा है। इस वर्ष में उसका दर 7.81% है। कैसे भी 130.5 मिलियन न्युप्लाई से 15.5 मिलियन पोस्ट लार्वा को उत्पादन किया है। यह समग्र जीवित दर का अनुमान 11.9% है।
- कर्नाटका में पंजीकृत एक-मात्र एल.वेन्नामई हैचरी ने अपनी उत्पादन क्षमता 60 मिलियन / वार्षिक के आधार पर रोग मुक्ति 906 मिलियन ब्रूड़स्टाक को आयात किया है। इस का दर 56.625% है। 313 मिलियन न्युप्लाई से 56.5 मिलियन बीज उत्पादन किया है। यह समग्र जीवित दर का अनुमान 18.1% है।
- हैचरी मालिकों द्वारा अपनी तिमाही रिपोर्ट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर एस.पी.एफ़. एल.वेन्नामई बीज़ उत्पादन का निष्पादन तालिका 08 में दिया गया है।

तालिका 8 : वर्ष 2017-18 के दौरान एस.पी.एफ एल.वेन्नामई हैचरियों का निष्पादन (राज्य–वार)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	अनुमत हैचरियों की संख्या	उत्पादन क्षमता (मिलियन)	अनुमत ब्रूड़स्टॉक की संख्या	निष्पादन सूचक					
					ब्रूड़स्टॉक की संख्या (आयातित और आर.जी. सी.ए.	स्पाउनिंग की कुल संख्या	उत्पादित न्युप्लाई की कुल संख्या (मिलियन)	उत्पादित पोस्ट लार्वा की कुल संख्या (मिलियन)	न्युप्लाई से पोस्ट लार्वा तक औसत जीवित दर □	विक्रय किये गये बीज (पोस्ट लार्वा की कुल संख्या (मिलियन)
1	आन्ध्रप्रदेश	220	22,589	1,41,600	97,340	127873	15,338.5	4485.626	29.2%	3272.086
2	तमिलनाडु	65	5,429	5,66,200	18,177	61524.6	5997.79	1110.36	18.5%	809.51
3	गुजरात	6	495	12,800	1000	856	130.5	15.5	11.9%	11
4	ओड़िशा	6	582	14,400	1,740	2	257.5	166.7	64.7%	166.7
5	कर्नाटका	1	60	1600	906	0	313	56.5	18.1%	18.76
योग		298	29,155	7,36,600	1,19,163	1,90,255.6	22037.29	5834.686	26.5%	4278.056

iv) भारत में एल.वेन्नामई हैचरियों का विकास

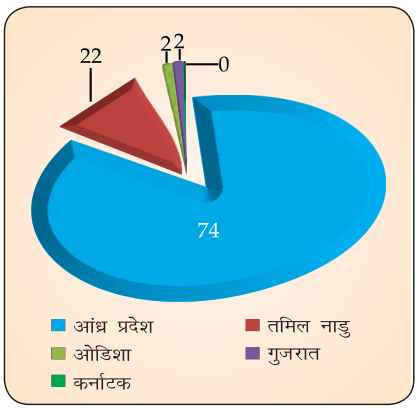
भारत में एल.वेन्नामई हैचरियों में आठ वर्षों की लघु अवधि के भीतर उल्लोखनीय वृद्धि हुई। एल.वेन्नामई हैचरियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है जो कार्यक्रम के प्रारंभ में (जुलाई 2009) 9 थी वह मार्च 2018 के दौरान 298 के स्तर तक पहुँच गई है। और इसकी उत्पादन क्षमता 29,155 मिलियन बीज / वार्षिक है।

अनुमोदित हैचरियों द्वारा बीज उत्पादन की वृद्धि प्रचुर मात्रा में 2009-10 वर्ष के दौरान 310.69 मिलियन से 2017-18 वर्ष के दौरान 5834.686 मिलियन तक हुई थी। आन्ध्रप्रदेश में 2008-09 के दैरान 06 हैचरियाँ थी। धीरे–धीरे प्रचुर मात्रा में 2017-18 वर्ष के दौरान 220 तक वृद्धि हुई। इसके पीछे तमिलनाडु में 2008-09 में तीन से 2017-18 में 65 की वृद्धि हुई। गुजरात में 2008-09 में एक से 2017-18 में 06 की वृद्धि हुई। ओड़िशा में 2008-09 में दो से 2017-18 में 06 की वृद्धि हुई। परन्तु इस वर्ष के दौरान कर्नाटका में कुछ भी नही हुई।

देश में सीएए द्वारा अनुमोदित एल.वेन्नामई हैचरियों में इसके प्रारंभ होने (जुलाई 2009) से 59 वीं बैठक तक (मार्च 2018) हुई वृद्धि तालिका 9 में दी गई है और इस अवधि के दौरान हैचरियों और बीज उत्पादन में हुई राज्य वार वृद्धि चित्र में दी गई है।

तालिका 09 : भारत में प्रारंभ (जुलाई 2009) से 59 वीं बैठक (मार्च 2018) तक सीएए अनुमोदित एल.वेन्नामई में हुई वृद्धि

वर्ष	तमिलनाडु	आन्ध्रप्रदेश	गुजरात	ओड़िशा	कर्नाटका	योग
2008-09	3	6	0	0	0	9
2009-10	8	15	1	0	0	24
2010-11	15	29	1	0	0	45
2011-12	20	31	2	0	0	53
2012-13	25	76	2	0	0	103
2013-14	27	85	3	0	0	115
2014-15	43	135	3	1	1	183
2015-16	54	198	3	3	1	259
2016-17	60	211	4	4	1	281
2017-18	65	220	6	6	1	298



चित्र 12 – एल.वेन्नामई हैचरियों के राज्य-वार वितरण का विवरण

आन्ध प्रदेश के मात्र एक हैचरी पहले ही बिक्री हुई होने के कारण पंजीकरण का रद्द हुआ है।

वर्धित गुणवत्ता वाले एस.पी.एफ लिटोपेमियस वेन्नामई बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हैचरियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, सीएए ने निम्नलिखित उपाए किए है।

- हैचरियों के पंजीकरण के संबंध में सीएए नियम, 2005 के अनुलग्नक में तहत दिशा निर्देशों में संशाधन डीए.एच डी.एंड एफ द्वारा जारी किए गए थे ताकि तटीय जल कृषि प्राधिकरण द्वारा सभी झींगा हैचरियों (पी.मोनोडॉन सहित) को तटीय क्षेत्रों में शामिल किया जा सके।
- हैचरियों को अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखने पूर्ण निरीक्षण दल द्वार निरीक्षण के तुरंत बाद की गई सिफारिशों के आधार पर अनुमोदन प्रदान करके हैचरियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना और प्राधिकरण द्वारा पूर्वव्यापी अनुमोदन प्राप्त करना ताकि एल ओ पीज़ जारी होने में विलंब से बचा जा सके।

- हैचारियों को एल.ओ.पी. जारी करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली शुरू की ताकि प्रत्येक वर्ष एल ओपी के मामले का निपटान हो सके जिसके द्वारा डीएएचड़ी एंड एफ प्रमाण पत्र में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक हैचरी को संस्तुत क्षमता के अनुसार एस आई पी जारी करता है।
- केवल सीएए अनुमोदित एन्टीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों का बीज उत्पादन में प्रयोग करने का समर्थन किया गया ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले एन्टीबायोटिक मुक्त बीजों की आपूर्ति का विस्तार किया जा सके और कृषिगत उत्पाद में खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित किया जा सके।
- प्रमुख हैचरी की उत्पादन क्षमता के आधार पर हैचरियों के परिसंध का अनुमोदन जारी रखा जिससे परिसंध की प्रमुख हैचरी में किए गए न्युप्लाई उत्पादन को भागीदार हैचरियों (जिनका परिपक्वन निष्पादन कमजोर है) को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

आर्टिमिया हैचरी का पंजीकरण

भारत में वर्ष 2017-18 के दौरान सीएए ने पहली बार प्रथम कृत्रिम हैचरी को परिचय कराकर फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन किया है।

कृत्रिम हैचरी आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिला में स्थित है।

एम/एस आई एंड वी बायो इण्टिया प्रारैवेट लिमिटेड के सौजन्य से प्रस्तावित कृत्रिम हैचरी परियोजना के जगह को निरीक्षण दल ने छान-बीन कर जाँच-पड़ताल में अनिवार्य सभी सुविधाओं को नियामनुसार जाँच करने के बाद सीएए ने पंजीकरण के अनुमोदन किया है। वर्ष 2017 जूलाई में आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिला में स्थित वेमवरम गाँव के इस कृत्रिम हैचरी को चालू करने लगा।

v) अंतराष्ट्रीय संघठन के हैचरियाँ

कम उत्पादन करने की क्षमता वाली हैचरियों की मदद करने के उद्देश्य से सीएए ने जो इस हैचरियों की मदद करने की शक्ति शाली अंतराष्ट्रीय संघठन के साथ जुड़ कर काम करने के संकल्प लिया। उन संघठनों के साथ हाथ मिलाकर संयुक्त रूप से एक साथ मिलकर काम करने से छोटे-मोटे हैचरियों भी एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई ब्रूड़स्टाक को कम दाम से निर्यात करने की एक्यूएफ़ की सुविधाएँ प्राप्त करने की संभावना होगी।

vi) एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई बीज़ उन्पादन के लिए न्युप्लाई रियरींग केन्द्रों की स्थापना (एन आर सीज़)

इस वर्ष के दौरान सीएए ने निरीक्षण दल के सिफारिशों के आधार पर और एन आर सीज़ के प्रमुख रूप से पूर्वी तटीय राज्यों पर ध्यान केन्द्रीत करने से पता किए कुल 31 नई न्युप्लाई रियरिंग केन्द्रों के पंजीकरण अनुमोदित हैं। जिनमें 26 हैचरियाँ आन्ध्रप्रदेश में हैं और तमिलनाडु में 05 हैं।

आन्ध्रप्रदेश के गोदावरी जिले में 15 उच्चतम एन आर सीज़ के केन्द्र हैं जिन में उत्पादन क्षमता 885 मिलियन हैं। नेल्लूर में 04 एन आर सीज़ के केन्द्र हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 270 मिलियन हैं। प्रकाशम् जिले में तीन एन आर सीज़ के केन्द्र हैं जिन में उत्पादन क्षमता 415 मिलियन हैं। विशाखापट्नम और विजयनगरम में एक एक हैं। कृष्णा और गुण्टूर जिले में 100 मिलियन उत्पादन क्षमता के केन्द्र हैं, जिनमें पहले की क्षमता 60 मिलियन और दूसरे के 80 मिलियन उत्पादन की क्षमता हैं।

तमिल नाडु के विलुपुरम जिले में पाँच एन आर साज़ केन्द्र के पंजीकरण हुए हैं, जिनकी क्षमता 1615 मिलियन हैं।

2017-18 वर्ष के दौरान 31 एन आर सीज़ केन्द्रों के पंजीकरण हुआ हैं। उनकी उत्पादन की क्षमता कुल मिलाकर 3485 मिलियन हैं।

पश्चिम तट़ के गुजरात राज्य में 2016-17 वर्ष के दौरान एक ही एन आर सीज़ केन्द्र था। आगे का 2017-18 वर्ष के दौरान में भी ऐसा ही एक ही केन्द्र है।

2017-18 वर्ष के दौरान एन आर सीज़ केन्द्रों के अनुमोदन की सूची है.

क्रम. संख्या	राज्यों का नाम	जिला के नाम	2017–18 अनुमोदित एन आर सीज़ की संख्या	क्षमता (मिलियन में)
1	तमिलनाडु	विलुपुरम	5	1615
2	आन्ध्र प्रदेश	प्रकाशम	3	415
		पूर्वी गोदावरी	15	885
		नेल्लूर	4	270
		विशाखापट्नम	1	100
		विजय नगरम	1	60
		कृष्णा	1	60
		गुण्टूर	1	80
योग			31	3485

2015-18 वर्षों के दौरान अनुमोदित हैचरियों के एन आर सीज़ की संख्या की सूची

क्र. सं.	राज्यों का नाम	जिला के नाम	अनुमोदित हैचरियों की संख्या			क्षमता (मिलियन में)			जिला वार योग
			2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18	
1	आन्ध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	1	6	15	40	675	885	1600
		प्रकाशम	2	1	3	125	40	415	580
		नेल्लूर	0	1	4	0	70	270	340
		विशाखापट्नम			1			100	100
		विजयनगरम			1			60	60
		कृष्णा			1			60	60
		गुण्टूर			1			80	80
2	तमिलनाडु	विलुपुरम	1	1	5	100	30	1615	1745
3	केरला	एर्णाकुलम	1			2			2
4	गुजरात	सोमनाथ		1			100		100
योग			**5**	**10**	**31**	**267**	**915**	**3,485**	**4,667**

vii) एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई पालन के लिए झींगा फार्मों को अनुमति प्रदान करना।

एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई पालन करने के लिए किसानों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसरण में, सीएए द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा फार्मों का निरीक्षण किया गया था। और एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई पालन के लिए आवश्यक निम्नलिखित जैव सुरक्षा आवश्यकताओं का सत्यापन किया गया था। दल द्वारा सत्यापन के बाद अनुमति प्रदान की गई।

i) फार्मों के चारों ओर बाड़ लगाना
ii) क्रैब फेंशिंग
iii) जल प्रवेशक जलाशय
iv) बर्ड़ निटिंग / बर्ड़ स्कार्श का संस्थापन
v) उत्प्रवाही उपचार प्रणाली (ईटीएस)

viii) एल.वेन्नामई पालन का राज्य-वार निष्पादन

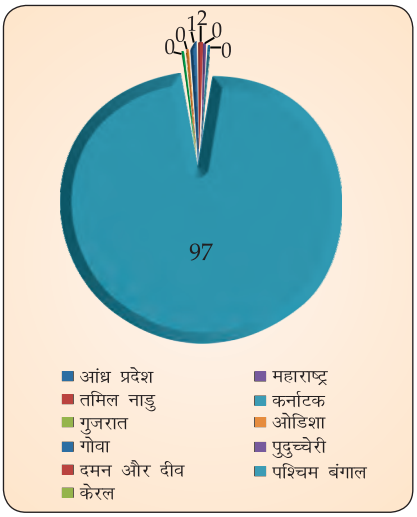
2017-18 वर्ष के दौरान रिपोर्ट के आधार से सीएए ने 749 फार्मों को पंजीकृत हुआ है। जिनके क्षेत्र फल कुल 1,019.94 हेक्टेयर और डब्ल्यू.एच.ए के क्षेत्र फल 634.04 हेक्टेयर हैं। इन में ओड़िशा पहला स्थान प्राप्त कर 727 फार्मों के पंजीकरण हुआ जिनमें 980.09 हेक्टेयर क्षेत्र फल हैं और डब्ल्यू.एस.ए के क्षेत्र फल 609.99 हेक्टेयर हैं। इसरे स्थान पर तमिल नाडु है, इनका 12 फार्मों के पंजीकरण हुआ जिनमें 17.95 हेक्टेयर क्षेत्र फल हैं और डब्ल्यू.एस.ए के क्षेत्र फल 11.26 हेक्टेयर हैं। इसके बाद पुदुचेरी के 07 फार्मों के पंजीकरण हुआ जिनमें 10.32 हेक्टेयर क्षेत्र फल हैं और डब्ल्यू.एस.ए के क्षेत्र फल 6.49 हेक्टेयर हैं। अन्त में गोवा के एक ही फार्म है, इसका क्षेत्र फल 0uo[2 हेक्टेयर हैं और डब्ल्यू.एस.ए के क्षेत्र फल 1.80 हेक्टेयर हैं।

तालिका : 59 वीं समिति की बैठक में अनुमोदित दिसंबर 2009 से मार्च 2018 तक एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई के फार्मों के राज्य-वार विवरण

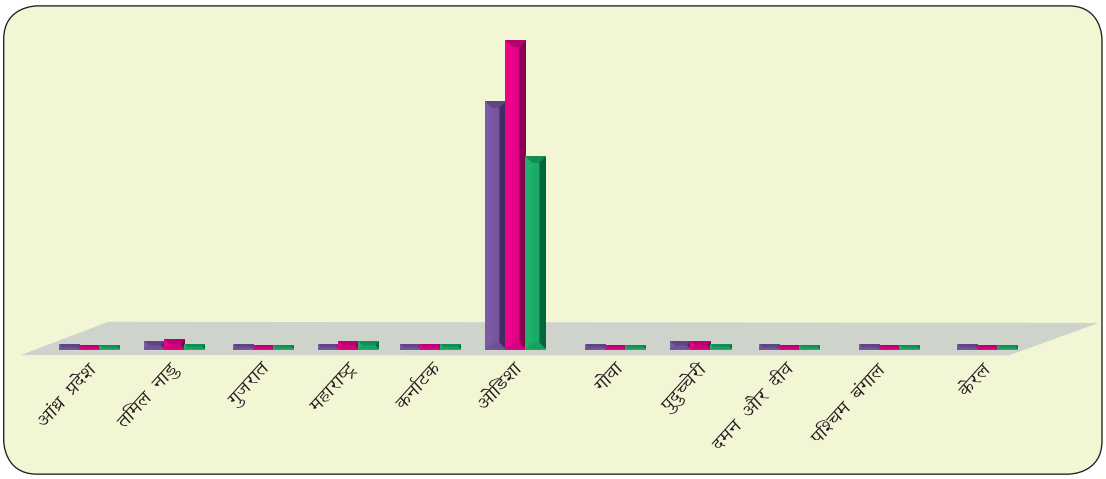
क्र.सं.	राज्यों का नाम	फार्मों की संख्या	टी.एफ़.ए (हे)	डब्ल्यू.एस.ए. (हे)
1	आन्ध्र प्रदेश	702	6,238.50	4,289.81
2	तमिलनाडु	176	1171.84	810.52
3	गुजरात	97	1075.88	769.69
4	महाराष्ट्र	53	1237.71	749.23
5	कर्नाटका	24	72.68	56.97
6	ओड़िशा	1359	2554.94	1597.79
7	गोवा	8	40.11	28.61
8	पुदुचेरी	9	30.43	20.84
9	दमन और दीव	3	60.00	38.40
10	पश्चिम बंगाल	1	3.00	2.00
11	केरला	2	32.56	20.46
	योग	2,434	12,517.65	8,384.32

अप्रेल 2017 से मार्च 2018 के दौरान एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई फार्मों को अनुमदित राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्यों का नाम	फार्मों की संख्या	टी.एफ़.ए (हे)	डब्ल्यू.एस.ए.
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0
2	तमिलनाडु	12	17.95	11.26
3	गुजरात	0	0	0
4	महाराष्ट्र	2	9.58	6.50
5	कर्नाटका	0	0	0
6	ओड़िशा	727	980.09	609.99
7	गोवा	1	2.00	1.80
8	पुदुचेरी	7	10.32	6.49
9	दमन और दीव	0	0	0
10	पश्चिम बंगाल	0	0	0
11	केरला	0	0	0
	योग	**749**	**1,019.94**	**636.04**



चित्र 14 – 2017-2018 वर्ष के दौरान सिएए अनुमोदित ए.वेन्नामई वितरण के प्रतिशत का विवरण

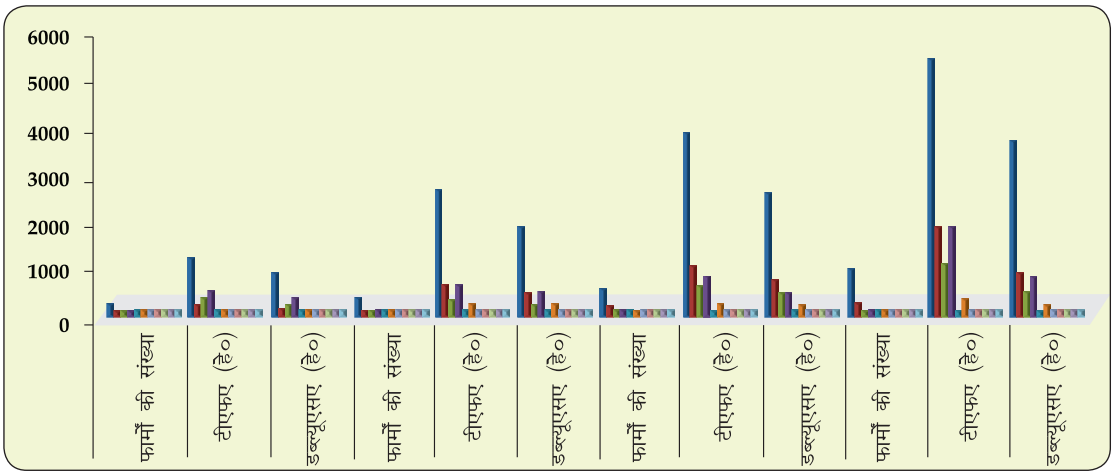


चित्र 14 : वर्ष के दौरान अनुमोदित एल.वेन्नामई फार्मों का विवरण

2018 मार्च तक के दौरान सिएए ने पंजीकृत और एल.ओ.पीस प्रदान करने के एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई की संख्या इसके क्षेत्र फल कुल 12,517.65 हेक्टेयर और डब्ल्यू.एस.ए के क्षेत्र फल 8,384 हेक्टेयर हैं। राज्य-वार के फार्मों का विवरण एक तालिका में दिया-गया है। एक चित्र में वितरण के प्रतिशत का विवरण दिया गया है। एक चित्र में क्षेत्रवार वितरण राज्यों के आधार पर दिय गया है।

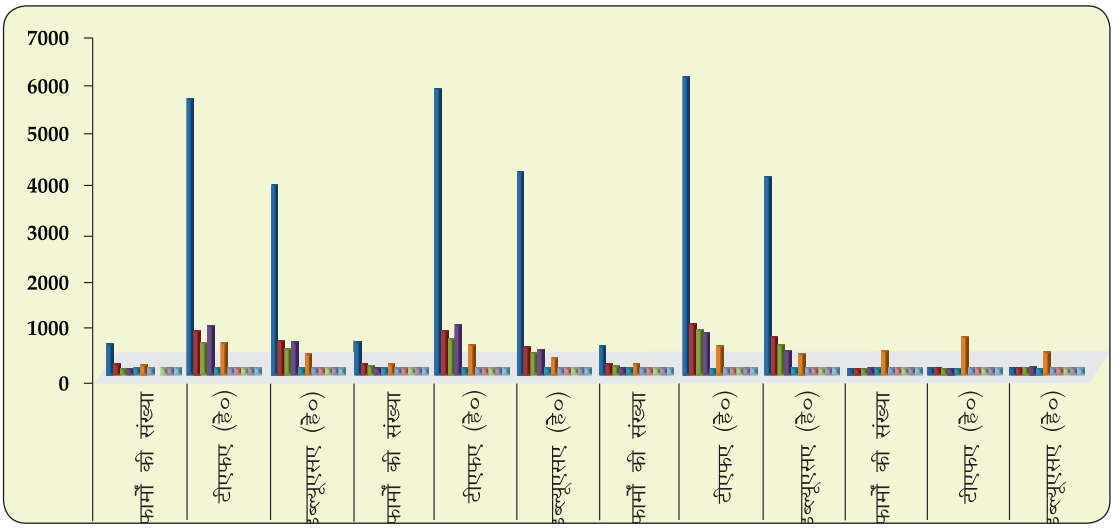
अप्रैल 2015 से मार्च 2018 तक एस.पी.एफ.एल. वेन्नामई फार्मों के राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्यों के नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
		फार्मों की संख्या	टी. एफ़. ए (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)	फार्मों की संख्या	टी.एफ़. ए (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)	फार्मों की संख्या	टी.एफ़. ए (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)	फार्मों की संख्या	टी.एफ़. ए (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)	फार्मों की संख्या	टी.एफ़. ए (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)
1	आन्ध्र प्रदेश	87	1236.32	815.44	192	2442.23	1648.69	321	4062.03	2767.58	580	5536.61	3826.88	585	5666.5	3900.71
2	तमिल नाडु	6	90.14	55.41	38	414.35	258.82	79	691.24	472.6	113	986.54	675.05	123	1044.82	718.17
3	गुजरात	4	146	77.99	10	271	174.99	28	443.5	303.55	39	547.87	377.96	51	651.87	453.17
	महाराष्ट्र	10	272.47	168.62	13	424.47	260.12	16	514.11	291.12	29	997.9	599.97	36	1133.03	684.38
4	कर्नाटका	0	0	0	16	47.04	37.38	17	47.98	38.18	17	47.98	38.18	18	56.3	43.13
5	ओड़िशा	0	0	0	5	140.08	83.78	5	140.08	83.78	16	218.24	132.64	79	488.36	286.5
6	गोवा	0	0	0	1	5.6	2.8	1	5.6	2.8	4	23.91	16.71	6	31.11	22.09
7	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	1	17.07	11.85	1	17.07	11.85	1	17.07	11.85
8	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60	38.4	3	60	38.4
9	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2
10	केरला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	107	1744.93	1117.46	275	3744.77	2466.58	468	5921.64	3971.46	802	8436.12	5717.64	903	9152.06	6160.4



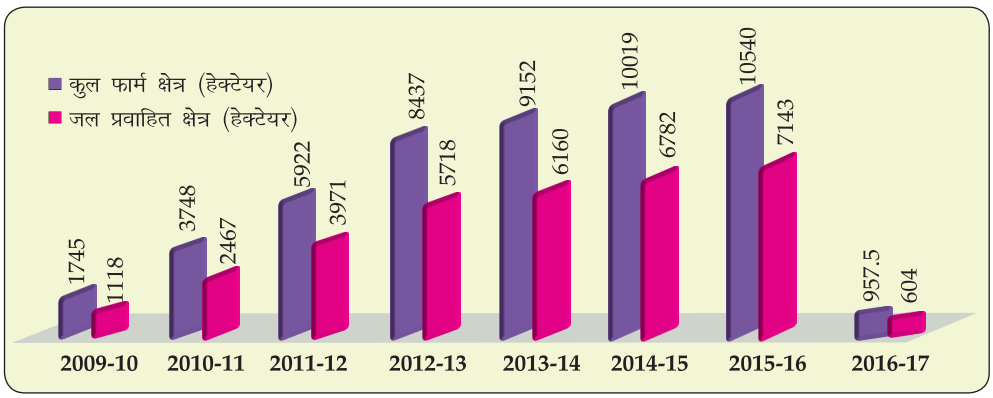
चित्र 19 : दिसंबर 2009 से मार्च 2013 तक के दौरान राज्यवार एल.वन्नामई फार्मों के विकास

क्र. सं.	राज्यों के नाम	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18		
		फार्मों की संख्या	टी.एफ़. ए (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)	फार्मों की संख्या	टी.एफ़. ए (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)	फार्मों की संख्या	टी.एफ़. ए (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)	फार्मों की संख्या	टी.एफ़. ए (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)
1	आन्ध्र प्रदेश	645	5997.32	4131.25	699	6159.65	4244.01	702	6238.5	4289.81	0	0	0
2	तमिल नाडु	147	1123.82	776.03	164	1153.89	799.26	164	1153.89	799.26	12	17.95	11.26
3	गुजरात	86	904.51	638.29	97	1075.88	769.69	97	1075.88	769.69	0	0	0
4	महाराष्ट्र	46	1192.5	724.51	51	1228.13	742.73	51	1228.13	742.73	2	9.58	6.50
5	कर्नाटका	24	72.68	56.97	24	72.68	56.97	24	72.68	56.97	0	0	0
6	ओड़िशा	115	584.32	359.59	148	699.5	430.59	632	1574.85	987.8	727	980.09	609.99
7	गोवा	6	31.11	22.09	7	38.11	26.81	7	38.11	26.81	1	2	1.80
8	पुदुचेरी	2	20.11	14.35	2	20.11	14.35	2	20.11	14.35	7	10.32	6.49
9	दमन और दीव	3	60	38.4	3	60	38.4	3	60	38.4	0	0	0
10	पश्चिम बंगाल	1	3	2	1	3	2	1	3	2	0	0	0
11	केरला	1	29.26	18.56	1	29.26	18.56	2	32.56	20.46	0	0	0
	योग	1076	10018.6	6782.04	1197	10540.21	7143.5	1685	11497.71	7748.28	749	1019.94	636.04



चित्र 20 : अप्रैल 2013 से मार्च 2018 तक के दौरान राज्य-वार एल.वन्नामई के विकास

वर्ष	टी.एफ़.ए (हे)	डब्ल्यू.एस.ए. (हे)
2009-10	1745	1117
2010-11	3745	2467
2011-12	5922	3971
2012-13	8436	5718
2013-14	9152	6160
2014-15	10019	6782
2015-16	10540	7144
2016-17	11498	7748
2017-18	1020	636



चित्र 18 : 2009-10 से 2018 तक के दौरान एल.वन्नामई फार्मों के विकास और क्षत्रफल के विवरण

वर्ष 2009-10 से 2017-18 तक के दौरान एल.वेन्नामई फार्मों के विकास और तटीय राज्यों के फार्मों को एल.ओ.पीज़ प्रदान करने के विवरण तालिका में दिया गया है। देश में फार्मों के विकास अधिक तेजी से बढ़ने की साक्षी दिखा रहा है। आरंभ काल में मात्र 107 फार्म था और इसका क्षेत्र फल 1,744.9 जो 2009-10 वर्ष के था। परन्तु 2017-18 वर्ष के दौरान सावधान से विकास होकर 2,434 फार्मों के क्षेत्रफल कुल 12517.65 हेक्टेयर हैं और डब्ल्यू.एस.ए के क्षेत्रफल 8,384.32 हेक्टेयर हैं। यह विकास नौ वर्षों के अन्दर हुआ है।

ओड़िशा राज्य अपनी ओर से प्रयत्न कर अधिक विकास को दिखाकर पहला स्थान प्राप्त किया। 2010-11 वर्ष के दौरान मात्र पाँच फार्मों में 140.08 हेक्टेयर में पालन कर डब्ल्यू.एस.ए के क्षेत्र फल 83.78 हेक्टेयर से शुरुआत कर 2017-18 वर्ष के दौरान 727 फार्मों के विकास से कुल क्षेत्र-फल 980.09 और डब्ल्यू.एस.ए के क्षेत्रफल 609.99 हेक्टेयर को विकास के रूप में दिखाया। तमिलनाडु 2009-10 वर्ष के दौरान मात्र 06 फार्मों के क्षेत्र फल 90.14 हेक्टेयर और डब्ल्यू.एस.ए के क्षेत्र फल के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान प्राप्त पुदुचेरी मात्र एक फार्म से क्षेत्र फळ 17.07 हेक्टेयर और डब्ल्यू.एस.ए के 11.85 हेक्टेयर से शुरु आत कर 2017-18 वर्ष के दौरान 07 फार्मों के क्षेत्र फल 10.32 हेक्टेयर और डब्ल्यू.एस.ए के 6.39 हेक्टेयर तक आगे बढ़ाया। इस विकास का विवरण डब्ल्यू.एस.ए के साथ एक चित्र में दर्शाया है। राज्य-वार विकास के विवरण इसरे चित्र में दर्शाया है। तीसरे चित्र में मार्च 2018 वर्ष के दौरान जिला-वार एल.वेन्नामई फार्मों के विवरण दिया गया है।

किसानों से प्राप्त प्रस्तावों को सरल और तेजी से संसाधन करने हेतु क्रमानुसार एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामनई को पालन कर वितरण करने सीएए पंजीकरणों को द्रुत गति से आगे बढाने के उद्देश्य से सेक्टर के विकास पर ध्यान देने के दृढ़ संकल्प लिया है। सीएए से नियमित जिला स्तरीय दल (डी.एल.टी.ज़) ने तटीय राज्य में निर्मित डब्ल्यू.एस.ए के पाँच हेक्टेयर से नीचे बना फार्मों को निरीक्षण कर जैव सुरक्षा के आवश्यकताओं के अनिवार्य पर जाँच-पड़ताल करने के बाद पंजीकरण योग्य फार्मों को सीएए के विचारों हेतु भेजने के सिफारिश किया है।

जाँच करने के दल और जिला स्तर दल के सिफारिशों के आधार पर विचार - विमर्श कर सीएए के सदस्य सचिव के स्तर पर संसाधन करने को भेजा। इस के बाद प्राधिकरण के कार्रवाई के लिए रखा था। सिएए के अनुमोदन के बाद फार्मों के पंजीकरण के साथ-साथ किसानों को एल.ओ.पीज़ को प्रदान करने लगा।

ix) एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई के सामूहिक पालन की योजना

छोटे पैमाने के किसानों की मदद के लिए सामान्य ईटीएस का प्रबन्ध है। एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई की कृषि के लिए नाला स्त्रोत्र को अपनाने की योजना हेतु सीएए ने सामूहिक किसानों के धारणा को परिचय कर 2,434 फार्मों के किसानी प्रणाली को सामने रखा और आगे बढ़ाने के प्रबन्ध भी किया।

x) झींगा पालन के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई

a) अवैध हैचरियों के विरुद्ध कार्रवाई करना

सिएए के अनुमोदन के बिना बीज उत्पादन कर रहे आन्ध्र प्रदेश के एम./एस. शाँति हैचरी को बन्द करने के आदेश को जारी की गयी।

b) सिएए के निर्देश-तत्वों को अनुपालन न किए पंजीकृत हेचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना

सक्षम सिएए प्राधिकरन ने कुल 43 हैचरियों को बन्द करने के नोटिस जारी की पूर्वी गोदावरी जिले के ये 43 हैचरियाँ सिएए के अनिवार्य पंजीकरण के बीना चलाया और सिएए के निर्देश-तत्व को पालन न किया।

43 हैचरियों मे 39 हैचरियों को बन्द करा दिया। बाकी तीनों को बन्द न करा सका। तोनडंगी जगह के हैचरी खुद बन्द करा दिया। बाकी हैक्टपली के दो हैचरियों ने चेन्नै के सीएए से अनिवार्य अनुमति प्राप्त कर चलाने लगा।

जिला प्रशासन ने छः अप्राधिकृत हैचरियों को बन्द कराने के अनिवार्य कार्रवाई करने लगा। उनमें तीन हैचरियों को जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया। वै हैं

1. एम./एस. विनायका हैचरी, तुप्पुलिपालम (वी), वाकाडु (एम)
2. एम./एस. आदित्या हैचरी, कट्टपल्ली (वी), टी.पी.गूडुर
3. एम./एस. ए-स्टार हैचरी, मैपाडु (वी) इन्डूकूरपेट्टा (एम)

इसके उपरांत तीन हैचरियों जो, सीएए से अप्राधिकृत किया, वे इसके अधिक्षेत्र से बाहर स्थित था। सिएए के कार्य-क्षेत्र के बाहर होने की वजह से उनकी अनुमति प्रदान न किया। परन्तु भारत सरकार ने सीधा निरीक्षण कर अनुमोदित कर चलाने की अनुमति प्रधान किया। वे तीनों

1. एम./एस. सेवन हिल्स हैचरी, यूनिट II, कुडिटिपालम (वी) इन्डूकूर पेट्टा (एम)
2. एम./एस. के-स्टार हैचरी (अब श्री साईनाथ से बुकारा है) गंगा पट्टनम (वी) इन्डूकूर पेट्टा (एम)
3. एम./एस. अम्मा हैचरी, गंगापट्टनम (वी) इन्डूकूरपेट्टा (एम)

सीएए ने निम्नलिखित नामों के एक हैचरी को बन्द करने के निर्देश को जारी की

1. एम./एस. श्रि द्रीपुरेश्वरी हैचरी, जी.मुसलयापेट्टा विलेज़, तोंडंगी मण्डल, (कुल पाँच हैचरियों) 7-10-14 दिनांक में बंद करने के निर्देश को जारी की.

xi) एल. वेन्नामई हैचरिज़ / फार्मों की निगरीनी

पालन से संबंधित सामाजिक और पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभावों जैसे जल प्रदूषण रोगों में वृद्धि और फैलाव, राहत, पर्यायवास प्रभावों और आस-पास के समुदायों पर सामाजिक प्रभावों को रोकने के लिए नियमित अंतराल में फार्मों / हैचरियों का दौरा करके झींगा हैचरियों और फार्मों की सीएए द्वारा प्राधिकृत दल द्वारा नियमित निगरानी की जाती है। प्रचालन के कारण हैचरियों फार्मों में जैव सुरक्षा की स्थिति उत्पादन प्रणालियों में उत्पादन तरीकों, कार्यनिष्पादन, जल गुणवत्ता, स्वस्थ बीजों / झींगों / पर्यावरणीय समस्याओं, यदि कोई हो, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। अनुमत हैचरियों और फार्मों से निकले अपशिष्ट जल नमूनों को जांच के लिए ईटीएस के अंतिम निकासी बिंदु से एकत्रित किया जाता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अपशिष्ट जल प्राचलों को पूरा किया जाए ।

- वर्ष 2017-18 के दौरान सीएए निगरानी दल ने कुल मिलाकर सीएए द्वारा अनुमोदित 497 हैचरियों का दौरा किया। उत्पादन की सुविधाओं पर निरीक्षण किया गया था। दस्तावेजी भी नियमानुसार निरीक्षण किया गया था। हैचरियों के मालिकों को सीएए के मार्गदर्शन के अनुसार सभी दस्तावेजी को सही ढंग से संभाले रखने के सलाह दिया गया है।
- ई.टी.एस के अंतिम निकास बिंदु से एकत्र किए गए अपशिष्ट जल नमूने सीएए द्वारा निर्धारित अपशिष्ट जल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप थे। जब कि मात्र एक हैचरी ने सीएए के मानदंड से जरा पथ भ्रष्ट किया गया था। एसे हैचरियों और फार्मों को चेतावनी नोटीस के द्वारा सावधानी किया गया। सीएए ने हैचरियों के स्वामियों को जैविक भार के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए

अपनी ईटीएस में आवश्यक सुधार करने का निर्देश भी दिया था कि विशेष रूप से जैव भार पर उचित ध्यान देना अनिवार्य होगा।

- उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण किया गया था और अभिलेखों / पंजिकाओं का भी सत्यापन किया गया था, और आयातित ब्रूड़स्टाक की मात्रा, उनका स्रोत, मोर्टालिटी यदि कोई हो, अंडे, न्युप्लाई, उत्पादित / बेचे गए पोस्ट लार्वा और उन किसानों का नाम और पता जिनको बीज़ बेचे गए थे हैचरियों के सीएए नामांकन की तारीख और संख्या; उत्पादित, बिक्री किए गए झींगा की मात्रा, उन प्रसंस्करण कर्ताओं का नाम एवं पता जिन्हें इनकी ब्रिकी की गई थी, आदि संबंधी ब्योरे की जांच की गई थी।
- किसानों / हैचरी प्रचालकों को उपयुक्त अभिलेखों को अनुरक्षित करने की आवश्यकता और उपयुक्त अधिसूचना में यथा अपेक्षित सीएए को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में बार-बार बताया गया था। किसानों को उक्त स्थिति, पारिस्थितिकीय और आर्थिक तौर पर वहनीय जल कृषि कार्यकलापों को अपनाने और सुरक्षित तथा गुणवत्ता वाले जल कृषि उत्पादों का उत्पादन करने की सलाह भी दी गई थी। स्थल विशिष्ट प्रोबायोटिक लागू करने के साथ-साथ के उत्पादन में श्रेष्ठ जलकृषि पद्धतियों (जी.ए.क्यू.पी.एस) को अपनाने का सुझाव भी दिया गया था।

ब्रूड़स्टाक आपूर्ती कर्ताओं का पता लगाने, ब्रूड़स्टाक के आयात तथा संगरोध में कठोर विनियमन ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि देश में अब तक आयायित एल.वेन्नामई ब्रूड़स्टाक ओआई में सूची बद्ध रोगाणुओं से मुक्त हों। इस प्रकार, जैव सुरक्षा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के बाद हैचरियों और फार्मों का अनुमोदन करना जो यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और नियमित निगरानी है कि दिशा निर्देशों को उचित रूप से कार्यान्वित किया गया है और फार्मों तथा हैचरियों के ईटीएस से निकले अवशिष्ट जल गुणवत्ता प्राचल सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो इसने झींगा पालन क्षेत्र को रोगों विशेष रूप से अर्ली मोरटैलिटी सिन्ड्रोम (ईएमएस) से बचने में सक्षम बनाया है। थद्यपि, इनसे पड़ोसी दक्षिण पूर्व एशिथाई देशों झींगा फार्मों को नष्ट कर दिया है।

गैर प्राधिकृत एल.वेन्नामई बीज़ उत्पादन के विरूद्ध की गई कार्रवाई

I. एंटी बायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों का पंजीकरण

उत्पादों में प्रतिजैविकों के पाए जाने के कारण हाल में निर्यात होने वाले सी-फूड़ की बृहद स्तर पर अस्वीकृति की सूचना पर डीएएचडी एंड एफ़ और वाणिज्य विभाग तथा सी-फूड़ निर्यातकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के कारण सीएए से झींगा हैचरियों और फार्मों में प्रतिजैविकों के उपयोग को रोकने के लिए कड़े उपाय करने के लिए कहा गया था। जलकृषि आदानों के लिए मानक विकासित करने हेतु 24 जूलाई 2015 को सीएए में झींगा फूड़ विनिर्माताओं के साथ हुई बैठक के अनुसरण में मामले की आगे सी-फूड़ निर्याताओं के साथ चर्चा की गई थी। एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसमें यह बताया गया था कि एक्वान किसान और हैचरी प्रचालक को अपने संस्थापनों में केवल पंजीकृत आदानों का उपयोग करने की अनुमति होगी। तदनुसार, जल कृषि आदानों के सभी विनिर्माताओं (स्वदेशी) और वितरकों (आयातित) को उस तारीख से परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करके सीएए में अपने प्रत्येक उत्पादि को पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए थे। ताकि वे प्रति जैविक चिंताओं अर्थात् क्लोरेमफेनीकोल और नाईट्रोफ्यूरान मूल मिक्चर और मेटाबोलाइट्स (फ्यूराजोलिडान – एओजेड़) फ्यूराप्यूराल हैडान–ए एम ओजेड़, नाईट्रोफ्यूरान टोइन ए.एच.डी. और नाईट्रोफ्यूरान (सेमीकार बेजाइड) एसईएस से मुक्त रहें ।

इस वर्ष के दौरान सीएए ने 497 आंटिबयोटिक मुक्त जलकृषि आदानों को पंजीकृत किया गया था। उन आदानों को आठ श्रेणियों मे बांटा था। वे हैः फीड़ एडिटिव, प्रो-बायोटिक, लार्वा फीड़, एडल्ट फीड़, रसायन, ड़िस इन-फिक्टेंट, इम्युनीस्टीमुलेंट, और ड्रग के सूची सीएए की वेबसाइट (www.caa.gov.in) उत्पादों

को सक्रिय सूची में बनाए रखने के लिए बाजार से उत्पादो के नमूनों की सर्वाधिक निगरानी और परीक्षण सीएए द्वारा की जाएगी और यदी प्रतिजैविक अथवा प्रतिबंधित रसायनों के मामले उत्पादों में पाए जाते हैं तो उत्पाद का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा और उसे अनुमोदित उत्पादों की सूची से निकाल दिया जाएगा। इस संबंध में सभी तटीय राज्यों के मात्स्यिकी सचिवों को उक्त निर्णय की सूचना देने के लिए पत्र जारी किए गए थे। और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने राज्यों में संबंधित मात्स्यिकी अधिकारियों के माध्यम से पणधारकों में जागरूकता बढ़ाए ताकि सीएए उपयुक्तों दण्डात्मक कार्रवाई करने में सक्षम हो सके। उपयुक्त कार्रवाईयाँ प्रारंभ करने के कारण और चूँकि पंजीकरण को एक सतत् प्रक्रिया के रूप में खुला रखा जाता है इसलिए अधिक से अधिक संख्या में उत्पादों के शीघ्र पंजीकृत होने की संभावना होती है।

II. जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला

हैचरियों और फार्मों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की नियमित निगरानी के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निष्कासित अपशिष्ट जल गुणवत्ता प्राचल सीएए अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर रहे, सीएए के तकनीकी खण्ड में जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। जल गुणवत्ता निगरानी के लिए अपेक्षित अन्य उपकरों के अलावा प्रयोगशाला सीएच आई एन एस ओ एनेलाइजर, - स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, नाइट्रोजन जले टेक, डिस्टीरलेशन यूनिट, मल्टीपैरामीटर वाटर क्वालिटी सोन्डेस, मिल्ली पोर टिट्रेशन सिस्टम, बीआडी इंक्यूबेटर, सीओड़ी एनालाइजर और हैड़सैम्पालर (जीसी-एमएस) सहित गैस क्रोमोटोग्राफी मास स्पेक्ट्रम जैसे उपकरों के संस्थापनों सहित पूरी तरह से सुसज्जित है। वर्ष के दौरान की गई नियमित निगरानी के दौरान झींगा हैचरी और फार्मों से एकत्र किए गए नमूनों का विश्लेषण किया गया, ताकि अपेक्षित जल गुणवत्ता मानक सीएए विनियमों के अनुरूप रहे।

III. वेबसाइट का अद्यतन

जलकृषि क्षेत्र के विभिन्न पणधारकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कि जलकृषि फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण और नवीनीकरण के तौर तरीकों संबंधी पूरे ब्योरे के साथ ही अपेक्षित आवेदन पत्रों, बीज उत्पादन और पालन संबंधी दिशा निर्देशों और इससे जुड़ी सूचना, परिष्कृत झींगों के बारे में कोई सूचना तथा अन्य उत्पादों तक खरीदारों की व्यापक पहुँच सुनिश्चित की जा सके। सीएए की वेबसाइट अर्थात, www.caa.gov.in को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र चेन्नै के माध्यम से अपलोड़ किया जाता है। इससे आंकडे वैश्विक तौर पर देखे जा सकते हैं और विदेशों में खरीददार पता लगाने योग्य फार्मों के पूरे ब्योरो प्राप्त करते हैं। झींगा किसान और हैचरी प्रचालक नामांकन के लिए आवेदन पत्रों तथा पालन और बीज़ उत्पादन के लिए दिशा-निर्देशों संबंधी विस्तुत सूचना प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर संपर्क करते हैं। वेबसाइट पर विस्तृत सूचनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं। वेबसाइट पर जलकृषि फार्मों / हैचरियों के पंजीकरण और नवीनीकरण के तौर-तरीकों से संबंधित पूरे ब्योरे झींगा हैचरियों के लिए विनियमन, ब्रूड़स्टाक का आयात, जलीय संगरोध, झींगा फार्मों और एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई तथा एस.पी.एफ़ पी.मोनोडॉन झींगाओं से संबंधित ब्योरे भी प्रस्तुत किए जाते हैं । इसके अलावा, वेबसाइट पर सीएए अधिनियम, प्राधिकरण के नियम, विनियम तथा दिशा - निर्देशों, प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य बजट और लेखाओं से संबंधित सूचना, उपलब्ध करवाई जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य, जर्नाहत के अन्य महत्वपूर्ण मामले तथा प्राधिकरण द्वारा गठित विभिन्न समितियों (डी.ए.सीज़ और एस.एल.सीज़) की सूची भी वेबसाइट पर दी गई है। सीएए ने वेबसाइट पर झींगा फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण और नवीनीकरण से संबंधित डाटाबेस को अद्यतन किया है, जिनके जरिए पंजीकृत फार्मों और हैचरियों के ब्योरे अंत्य प्रयोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जाते हैं और डाटाबेस को आवधिक रूप से अद्यतन बनाया जा रहा है।

सीएए के सभी प्रकाशनों, दस्तावेज़ों अधिसूचनाओं, परिपत्रों, विज्ञापन आदि तथा जनहित के अन्य सभी मामलों को भी डाउनलोड़ किए जाने योग्य फार्मेट में वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है, और इन्हें भी नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। सीएए की वेबसाइट पर जल कृषि फार्मों / हैचारियों के पंजीकरण / नवीनीकरण, तिमाहि अनुपालना रिपोर्ट, जलीय संघरोध में स्थापन के आरक्षण, एंटी-बायोटिक्स के परिक्षण के लिए जैविक नमूने, प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स की सूची अपशिष्ट जलगुणवत्ता मानकों आदि से संबंधित विभिन्न फार्म प्रयोक्ताओं के अनुकूल फार्मेट में उपलब्ध हैं जिन्है अंत्य प्रयोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार डाउनलोड़ कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। नई और नवीनतम सूचना वेबसाइट पर पाक्षिक रूप से अपडेट की जाती है।

आवेदन पत्र, पंजीकरण की शर्तों सहित एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आवेदनो के पंजीकरण संबंधी सूचना, पंजीकृत उत्पादों की सूची और संबंधित सूचना आदि भी प्रयोक्ता हितैषी डाउनलोड़ करने योग्य फार्मेट में वेबसाइट पर डाले गए है और इस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए साफ्टवेयर को भी बनाए रखा जाता है।

सीएए वेबसाइट के जरिए जलकृषि फार्मों की आनलाइन पंजीकरण की नई-अवधारणा में सतत रूप से वृद्धि हुई है जो उपयोग के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाएगी और इससे किसानों को लाभ होगा।






IV. तटीय जलकृषि प्राधिकरण को मज़बूत बनाना

तटी जलकृषि प्राधिकरण के पास 10 तटीय राज्यों और 4 तटीय केन्द्रशासित प्रदेशों में तटीय जलकृषि कार्य कलापों की विनियमित करने का क्षेत्राधिकार है। 2005 में जब सीएए अधिनियम, और सांविधिक प्रावधान के तहत सीएए को स्थापित किया गया था तो 1977 में जारी तटीय जलकृषि प्राधिकरण को केन्द्र सरकार ने मूल रूप से 21 कर्मचारियों की मंजूरी प्रदान की थी। 2008 में सीएए का प्रमुख कार्यकलाप नए और

पुराने झींगा फार्मों का डी.एल.सी और एस.एल.सी द्वारा निर्धारित निरीक्षण करवाकर पंजीकरण करना था। 2009 से विदेशी झींगा एस.पी.एफ़ एल.वेन्नामई शुरु होने से सीएए को कई अतिरिक्त कार्य दिए गए है जिनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण है।

जैसे तटीय राज्यों के डी.एल.सीज़ / एस.एल.सीज़ के साथ पत्राचार करना, पणधारकों के साथ बैठक, जलकृषि संगरोधन के प्रचालन की देखरेख के लिए तकनीकी समिति को नियंत्रित करना, एल.वेन्नामई ब्रूड़स्टाक और बीज उत्पादन के अनुमती, आयात के लिए हैचरियों का निरीक्षण, एल.वेन्नामई पालन की अनुमति के लिए झींगा फार्मों का निरीक्षण, हैचरियों और फार्मों की सतत् निगरानी ताकि इन प्राजातियों की अवैध प्रजनन / पालन को रोका जा सके, हैचरियों और फार्मों से छोड़े गए अपशिष्ट जल का मूल्यांकन करने के लिए एकत्र / विश्लेषण करना जिससे वह सीएए के मानकों अनुरूप हो जलकृषि में प्रतिबंधित दवाओं और रसायनों के उपयोग, एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों का पंजीकरण, उत्तरदायी जलकृषि संव्यवहारों के संबंध में न्युप्लाई रियरिंग केन्द्र (एन.आर.सी) जागरूकता निर्माण का कार्यान्वयन आदि, तटीय जलप्राधिकरण को मड़बूत करने की अत्यंत आवश्यकता है। इस संबंध में निम्न लिखित प्रस्ताव रखे गए है।

गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्यों में योग्य स्टाफों के साथ और तमिलनाडु के चेन्नै मे मुख्यालय को मजबूत करने के लिए उचित स्टापों के साथ तीन क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव डी.ए.एच.डी. एंड एफ़ कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के समक्ष सरकार से अनुमोदन के अनुरोध के साथ रखा गया है, क्योंकि इन राज्यों में जलकृषि क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित हुआ है और किसानों, हैचरी प्रचालकों और संबंधित पणधारकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। पूरे औचित्य के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव गैर-योजना व्यय संबंधी समिति के विचारार्थ तैयार किया गया है।

सीएए अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित जलकृषि प्राधिकरण के राष्ट्रीय मुख्यालय परिसर का चेन्नै में निर्माण करने जिसमें कर्मचारियों को समाहित करने (वर्तमान और मुख्यालय को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त पद) और इसके साथ ही प्रयोगशाला के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाने तथा अन्य सुविधाओं को तैयार करने के लिए सरकारी भूमि के आबंटन के लिए किया गया प्रयास सफल नहीं हुआ, इसलिए अलामट्टी, चेन्नै (ड़ीएएचडी एंड एफ़ के लीव स्टाक हेल्थ प्रभाव के तहत एक इकाई) में भूमि आबंटित करने का अनुरोध डीएएचडी एंड एफ़, कृषि और कृषक के कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। इसी बीच, मात्स्यिकीय विभाग, तमिलनाडु सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके सैदापेट, चेन्नै में निर्माणाधीन अपने मात्स्यिकीय परिसर में एक तल पर सीएए के कार्यालय के लिए पर्याप्त जगह आबंटित करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया है। जीओ के अनुसार आबंटित जगह को सिद्धांत में स्वीकार कर लिया गया था और समिति द्वारा आयोजित बैठक में सरकार द्वारा चिन्हित विभाजन संबंधी आवश्यकताओं स्थायी कपबोर्टों / फर्नीचर, विद्युतप्वाडिंट / फिटिंग आदि पर विचार किया गया और सीएए की वास्तविक आवश्यकताएँ उपलब्ध कराई गई।

सीएए में राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन

सीएए हिन्दी में प्रशिक्षण में भागीदारी करके हिन्दी सप्ताह मनाकर और सेमिनार / कार्यशाला का आयोजन करके राजभाषा के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित कर रहा है। वर्ष के दौरान आयोजित निम्नलिखित कार्यक्रमों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

V. सीएए के आगे निकल जाने कि क्रिया कलाप

VI. वर्ष 2017-18 के दौरान किए जाने वाले संभावित कार्यकलाप

i) पंजीकरण

तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण और नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है। उम्मीद है कि अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के दौरान देश के और अधिक तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरयों का पंजीकरण किया जाएगा।

ii) एल.वेन्नामई पालन के लिए अनुमोदन

लगभग 2000 हेक्टेयर के अतिरिक्त फार्म क्षेत्र की एल.वेन्नामई पालन के तहत सीएए पंजीकरण मे लाने के प्रस्तान है।

iii) निरीक्षण और निगरानी

सुविधाओं खासतौर से झिंगा फार्मों और हैचारियों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता और प्रतिजैविक मुक्ति जलकृषि आदानों के उपयोग की आवधिक निगरानी की जाएगी ताकि प्राधिकरण द्वारा निधारित मानकों को पूरा करना सुनिश्चित हो सके।

iv) प्रति जैविक मुक्त जलकृषि आदानों के लिए अनुमोदन

चूंकि, पंजीकरण को सतत् प्रक्रिया के रूप में जारी रखा जाता है और सभी तटीय राज्यों के मात्स्यिकी सचिव स्तर पर विभिन्न कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसी कारण से अधिक संख्या में उत्पादों के पंजीकृत होने की संभावना रहती है।

v) जागरूकता कार्यक्रम

पर्यावरण संरक्षण, तटीय जलकृषि कार्यकलापों और अच्छी जलकृषि पद्धतियों के दीर्घकालिक विकास के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

vi) विज्ञापन और प्रकाशन

प्राधिकृत कार्यकलापों और सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने के संबंध में पणधारकों को सावधान करने के लिए समय-समय पर महत्व पूर्ण मामलों के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है ताकि रोगों के पैदा होने को रोका जा सके।

vii) प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

अन्य तटीय राज्यों के अधिकारियों के लिए भी वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के समान ही अधिकाधिक संख्या में प्रशिक्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगा।

viii) मैनुअल्स / ब्रौशरस तैयार करना

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, नियम और दिशा-निर्देशों के संग्रह को आगे संपादित किया जाएगा ताकि मंत्रालय द्वारा जारी सभी अधिनियम, दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं के संग्रह का कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा।

ix) कार्यशालाएँ और बैठकें

तटीय जलकृषि कार्यकलापों में सामने आ रही समस्याओं का सामना करने के लिए पणधारकों की बैठकें आयोजित की जाएँगी जिनमें प्रौद्योगिकीय सुधारों तथा अन्य पहलुओं के संबंध में विभिन्न समूहों के अनुभवों को साझा किया जाएगा।

सीएए तटीय जलकृषि कार्यकलापों के संबंध में अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं प्रदर्शनियों, सी-फूड़ मेलों और एक्वोशोज में यथासंभव भागीदारी करेगा।

x) क्षमता निर्माण

विनियामक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अपने कार्यक्षेत्र में जानकारी को बढ़ाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ़ के लिए प्रशिक्षण और अध्ययन यात्राओं का आयोजन किया जाएगा।

अनुलग्नक

वर्ष 2017-18 के लिए सीएए की वार्षिक लेखे

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन.पत्र

(**धनराशि** - ₹)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विवरण **संग्रह / पूंजी निधि और देयताएँ**			
संग्रह / पूंजी निधि	1	11,988,499	15,831,742
निर्धारित / अक्षय निधियाँ	2	55,642,225	42,083,237
वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान	3	3,727,958	2,366,463
योग		**71,358,682**	**60,281,442**
संपत्ति			
अचल संपत्ति	4	9,581,910	10,970,272
पूंजी निवेश – निर्धारित / अक्षय निधियों से	5	2,829,831	2,642,503
चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम इत्यादि	6	58,946,941	46,668,667
योग		**71,358,682**	**60,281,442**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	14		
आकस्मिक देयताएँ लेखांकन पर टिप्पणियाँ	15		

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31.03.2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

(**धनराशि** - ₹)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
अनुदान/ राजसहायताएं	7	19,791,100	34,269,650
शुल्क/ अभिदान	8	190	140
निवेश से आय (निर्धारित/ अक्षय निधियों से निवेश पर आय/ निधियों को निधियों में अंतरित किया गया)	9	-	-
अर्जित ब्याज	10	437,280	1,796,272
अन्य आय	11	79,714	6,926
योग (क)		**20,308,284**	**36,072,988**
व्यय			
स्थापना व्यय	12	13,718,377	23,882,555
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	13	9,244,788	12,190,433
अनुदानों, राजसहायताओं आदि पर व्यय		-	-
मूल्य ह्रास	4	1,597,262	1,996,379
योग (ख)		**24,560,427**	**38,069,367**
व्यय से अधिक आय के अधिशेष/(कमी) के रूप में शेष (क-ख)		**(4,252,143)**	**(1,996,379)**
पूर्व कालावधि विषय			
- टेलीफोन		-	39,782
- डाक और टेलीग्राम		200,000	-
विशेष संचय को अंतरित (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)			
सामान्य संचय से / अंतरित किया			
अधिशेष / (घाटे) के रूप में संग्रह निधि / पूंजी निधि में ले जाया गया		**(4,052,143)**	**(1,956,597)**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	14		
आकस्मिक देयताएँ और लेखांकन पर टिप्पणियाँ	15		

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31–03–2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता

प्राप्तियां	(धनराशि–₹)		भुगतान	(धनराशि–₹)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. प्रारंभिक शेष			**I. व्यय**		
क) हाथ में नकदी	-	-	क) स्थापना व्यय	12,869,658	13,280,531
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय	8,354,749	11,527,130
i) चालू खातों में	-	-			
ii) जमा खातों में	-	-	**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किए गए भुगतान**		
iii) बचत खातों में	33,856,687	18,072,300	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विरण सहिल निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)	-	-
II. प्राप्त अनुदान			**III. किए गए निवेश और निक्षेप**		
क) भारत सरकार से					
पूंजीगत प्राप्तियां	208,900	15,446	क) निर्धारित/ अक्षय निधियों में से	-	-
राजस्व प्राप्तियां	19,791,100	37,984,554	ख) अपनो निधियों में	-	-
ख) राज्य सरकार से	-	-			
ग) अन्य स्रोत से	-	-	**IV. अचल संपत्तियाँ एवं चल रहे पूंजीगत कार्य**		
(पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग-अलग दर्शाएं)			क) निर्धारित/ अक्षय निधियों में से	208,900	15,446
			ख) चल रहे पूंजीगत कार्यों पर व्यय	-	-

III. निम्नलिखित से निवेश पर आय			**V. अधिशेष धनराशि/ ऋणों की वापसी**		
क) निर्धारित अक्षय निधियां (एफडीआर ब्याज़)	-	-	क) भारत सरकार को	-	-
ख) अपनी निधियां (अन्य निवेश)	-	-	ख) राज्य सरकार को	-	-
IV. प्राप्त ब्याज					
क) बैंक जमाओं पर	437,280	1,796,272	**VI. वित्त प्रभार (ब्याज)**		
ख) ऋणों, अग्रिम इत्यादि	-	-			
ग) चिन्हित निवेश पर	1,783,253	-	**VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)**		
			क) जमानत राशि	-	455,389
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			ख) निष्पादन जमा राशि की वापसी	-	-
पी.ओ.कमीशन	3,474	-	ग) अक्षय निधियों के इतर खर्च	454	-
विविध आय	1,729	-	घ) पूर्वदत्त भुगतान	-	-
त्योहार अग्रिम	-	18,000	ड.) अक्षय निधियों की खर्च	-	-
आरटीआई शुल्क	190	140	च) चिकित्सा अग्रिम	-	-
एम.टी.एस आवेदन पत्र का शुल्क	-	-	छ) एल.एस.पी.सी/ सी.पी.सी बाकी	126,556	-
जमानत का वापसी - सी. पी.डब्ल्यू.डी - सी.सी.डी	-	482	ज) पोस्ट मास्टर	-	400,000
स्क्रैप बिग्री	-	1,860	झ) हाथ में स्टैंप	3,000	20,000
संसद की खर्च के रोयर - ई.पी.एफ़.ओ.	74,511		ञ) बोनस देय	69,080	-
VI. उधार लेने का रकम			ट) निगरानी की यात्रा खर्च	-	957,369
डी.डी.ओ.	-	-	ठ) विविध लेनदार	-	78,505
			ड) टीडीएस	1,109,049	1,344,844
VII. अन्य प्राप्तियां (ब्यौरें दें)			ढ) एनपीएस.के.श्रीनिवासन बाबू	-	20,620
अर्जित जमाधन	-	-	ण) प्रोफ़ेशनल टैक्स	29,019	29,565

त्योहार अग्रिम कटौती (वसूली)	-	-	त) अप्रत्यक्ष खर्च	92,516	132,723
स्टाम्प नकदी	-	26,040	थ) वेतन देय	-	1,154,155
साख पत्र	-	-	द) संसाधन शुल्क (एल.वी. हैचरी) वापसी	210,000	
अक्षय निधियाँ (प्रोसेसिंग फीस)	4,010,750	7,695,850			
आवेदन शुल्क (30%)	197,190	303,583	**VIII. ऋणस और अग्रिम**		
राज्य मात्स्यिकी - आंध्र प्रदेश	-	-	क) बैठक के लिए अग्रिम	59,000	40,000
प्रतिभूति जमा	-	-	ख) क्राकरीस के लिए अग्रिम	10,000	-
मत्स्यपालन आगत	6,840,000	5,180,750	ग) प्रशिक्षण के लिए अग्रिम	-	60,000
एन.पी.एस.के श्रीनिवासन बाबू	175,830	20,773	घ) वाहन खरीद के लिए अग्रिम	-	5,000
प्रोफ़शनल टैक्स	-	13,140	ड़.) गणतत्र दिवस के लिए अग्रिम	20,000	-
टी.डी.एस	1,109,049	1,344,844	च) डीसल (जनेरेटर) अग्रिम	-	-
मुत्तुसाफ्ट लैब	31,194		छ) आडिट् के लिए अग्रिम	15,000	-
सी.पी.एफ़, जी.पी.एफ़, पेंशन खातों से स्थानान्तरित निधि		8,000	ज) स्टैंम के लिए अग्रिम	10,000	-
			झ) हिन्दी सेमिनार के लिए अग्रिम	5,000	-
अग्रिम वापसी			ञ) एम.एस. सील के लिए अग्रिम	1,700	-
क) बैठक के लिए अग्रिम	1,607	12,499	ट) पूजा सामाग्रियों के लिए अग्रिम	-	-
ख) वाहन खरीद के लिए अग्रिम	-	1,010	ठ) कर्मचारियों के कल्याण अग्रिम	62,000	25,000
ग) क्राकेंरीयस के लिए अग्रिम	11	-	ड) यात्रा और भ्रमण के लिए अग्रिम	328,950	145,968
घ) आडिट् के लिए अग्रिम	89	-	ढ) एल.टी.सी. अग्रिम	-	218,764
ड़.) गजतन्त्र दिवस के लिए अग्रिम	4,950		ण) परामर्श दाता और प्रोग्रामर साक्षातकार	160,000	180,000

त) हिन्दी से भिनार के लिए अग्रिम	127	-	त) टेलीफ़ोन के लिए अग्रिम	1,000	5,000
थ) स्टेंम्प के लिए अग्रिम	5,000	-	थ) आकस्मिक खर्च के लिए अग्रिम	17,000	5,000
द) क्षेत्र भ्रमण और यात्रा अग्रिम	65,927	23,063	द) मारमत और देख-देख अग्रिम	8,000	12,000
ध) एल.टी.सी अग्रिम	-	-			
न) मरामत और देख-रेख अग्रिम	357	595	**सी.पी.एफ़, जी.पी. एफ़, पेंशन खातों से स्थानान्तरित विधि**		8,780,247
ट) परामर्शदाता और प्रोग्रामर जमानत अग्रिम	139,962	137,197	**IX. सी.पी.एफ़, जी.पी.एफ़, पेंशन खातों से स्थानान्तरित विधि**		
ठ) आकस्मिक खर्च का अग्रिम	5,185	3,870	क) हाथ में नकदी	-	-
ड) कर्मचारी कल्याण का अग्रिम	2,923	11,664	ख) बैंक शेष		
ढ) टेलीफ़ोन का अग्रिम	251	800	क) चालू खाता में	-	-
ण) एम.एस. सील का अग्रिम	670		ख) जमा खाता में	-	-
			ग) बचत खाता में	45,360,998	33,856,687
पत्यक्ष खर्च परिवर्तित					
क) स्थापना व्यय	382,128	20,239			
ख) प्रशासनिक व्यय	1,305	56,972			
योग	**69,131,629**	**72,749,943**	**योग**	**69,131,629**	**72,749,943**

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31–03–2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

(धनराशि–₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 1 : अक्षय/पूंजी निधि		
वर्ष के प्रारंभ के शेष	15,831,742	14,057,989
जोड़ें: अक्षय / पूंजी निधि की ओर प्राप्त अनुदान	208,900	15,446
जोड़ें: 31-03-2018 में अव्ययित अनुदान राशि को अक्षय पूंजी को स्थानांतरण किया गया रक़म	-	3,714,904
	16,040,642	17,788,339
घटाएँ : आय एवं व्यय खाते से अंतरित आय से अधिक व्यय को स्थानांतरण किया गया रक़म	(4,052,143)	(1,956,597)
जोड़ें: आय और व्यय खाते से अंतरित व्यय से अधिक व्यय को स्थानांतरण किया गया रक़म		-
वर्ष के अंत में शेष	**11,988,499**	**15,831,742**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31–03–2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

	निधि वार ब्रेक अप												योग	
अनुसूची - 02 निधारित अक्षय निधियाँ	आवेदन पंजीकरण शुल्क	एल.वी. फार्मस प्रोसेसिंग शुल्क	एल. वी. हैचरी प्रोसेसिंग शुल्क	सामान्य भविष्य निधि		अंशदायी भविष्य निधि		पेंशन निधि		ब्याज़	पलना उत्पादन	निधि के अलावा खर्च	चालू वर्ष	पिछली वर्ष
				आई. ओ.बी	इंण्डियन बैंक	आई. ओ.बी	इंण्डियन बैंक	आई. ओ.बी	इंण्डियन बैंक					
क) निधियों का आरंभिक शेष	1,287,306	7,650,379	16,287,350	2,383	2,110,773	1,918	433,983	24,796	9,827,033	914,124	10,030,750	(6,487,558)	42,083,237	20,770,053
ख) निधियों में जोड़													-	-
i. दान / अनुदान	-												-	-
ii. अक्षय निधि खाते में निवेश से प्राप्त आय	-	-	-							-			-	188,480
iii. शुल्क	197,190	317,150	3,483,600								6,840,000		10,837,940	13,180,183
iv. अंशदान					231,000		85,420		1,184,698				1,501,118	8,780,247
v. प्राप्त ब्याज				33	136,444	16	22,344	904	347,562	1,970,127			2,477,430	224,548
योग (क + ख)	**1,484,496**	**7,967,529**	**19,770,950**	**2,416**	**2,478,217**	**1,934**	**541,747**	**25,700**	**11,359,293**	**2,884,251**	**16,870,750**	**(6,487,558)**	56,899,725	43,143,511
ग) उपयोगी / निधियों के उपयोग की दिशा में खर्च														
i. पूंजीगत खर्च														
- अचल संपत्ति	-	-	-	-		-		-					-	-

	निधि वार ब्रेक अप												योग	
अनुसूची - 02 निधारित अक्षय निधियाँ	आवेदन पंजीकरण शुल्क	एल.वी. फार्मस प्रोसेसिंग शुल्क	एल. वी. हैचरी प्रोसेसिंग शुल्क	सामान्य भविष्य निधि		अंशदायी भविष्य निधि		पेंशन निधि		व्याज़	पलना उत्पादन	निधि के अलावा खर्च	चालू वर्ष	पिछली वर्ष
				आई. ओ.बी	इंण्डियन बैंक	आई. ओ.बी	इंण्डियन बैंक	आई. ओ.बी	इंण्डियन बैंक					
-अन्य समाधान	-	-	-	-	1,257,500			-					1,257,500	-
योग	-	-	-	-		-		-					-	-
													-	-
ii. **राजस्व खर्च**													-	-
-वेतन, मज़दूरी एवं भत्ते इत्यादि	-	-	-	-		-		-					-	-
-फार्मों के निरीक्षण इत्यादी पर यात्रा व्यय	-	-	-	-		-		-					-	1,060,274
-जे.आई.एफ़.एस.ए.एन प्रशिक्षण खर्च	-	-	-	-		-		-					-	-
-सेमिनार / कांफ़्रेंस इत्यादि पर खर्च	-	-	-	-		-		-					-	-
योग	-	-	-	-		-		-					-	-
(घ) इण्डियन बैंक खाते का स्थानान्तरण													-	-
योग (ग + घ के समी)	-	-	-	-	1,257,500	-	-	-	-	-	-		1,257,500	1,060,274
वर्ष अंत में निवल शेष (क + ख - ग)	**1,484,496**	**7,967,529**	**19,770,950**	**2,416**	**1,220,717**	**1,934**	**541,747**	**25,700**	**11,359,293**	**2,884,251**	**16,870,750**	**(6,487,558)**	**55,642,225**	**42,083,237**
टिप्पणी														

1) अनुदान के लिए शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा।
2) केन्द्रीय / राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधि के रूप में दिखाया जाना होता है और किसी निधि के साथ मिश्रित नहीं करना होता है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31–03–2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

(धनराशि–₹)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 3: वर्तमान देयताएँ और प्रावधान				
क. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृतियाँ				
2. विविध - ऋणदाना				
क) माल के लिए	-	-	-	-
ख) अन्य		**31,194**		
अ) मुत्तु साफ़्ट लेब्स	31,194			
3. निष्पादन जमानत राशि		**3,662**		**-**
क) एश्वर्या कंस्ट्रक्शन, चेन्नै	3,662		-	
4. पेशगी जमानत राशि		**50,000**		**50,000**
क) मैरिट एंटर प्राइजेज़	-		-	
ख) आर्बिट टैक्नोलाजी	-		-	
ग) डे एंड डे सर्विसेज प्रा.लि	30,000		30,000	
घ) बायो-इनकार्प / एजीलैंट टैक्नोलाजी	-		-	
ड.) सिवा कैब्स, चेन्नै	-		-	
च) ब्राड़ लाइन	5,000		5,000	
छ) मुत्तु साफ़्ट लेब्स	5,000		5,000	
ज) नुकम टैक्नोलाजी	5,000		5,000	
झ) श्रीविग्नेश कैब्स	5,000		5,000	
5. प्रोदभूत व्याज दृ किंतु देय नही				
क) सुरक्षित ऋण / उधारियाँ				
क) असुरक्षित ऋण / उधारियाँ				
6. सांविधिक देयताएँ				
क) नई पेंशन योजना (कर्मचारी अंशदान)				

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
7. अन्य चालू देयताएँ				
क) हिटाची सिस्टम माइक्रो क्लीनिक प्रा.लि.	7,293	**7,293**	10,955	**10,955**
8. राज्य मात्स्यिकी, आन्ध्र प्रदेश	50,700	**50,700**	50,700	**50,700**
9. अन्य प्रावधान (आकस्मिक)	500,000	**500,000**	500,000	**500,000**
10. भुगतान योग्य वेतन - मार्च 2016	1,208,025	**1,208,025**	-	-
11. आई.ओ.बी - खाता 209501000010000	117,692	**117,692**	113,174	**113,174**
12. एन.पी.एस घटाँती दृ श्री के. श्रीनिवासन बाबू	95,659	**95,659**	153	**153**
13. सी.पी.सी. / एल.एस.पी.सी. बाकी	1,445,845	**1,445,845**	1,572,401	**1,572,401**
14. बोनस भुगतान	-	**-**	69,080	**69,080**
15. किराया भुगतान	217,888	**217,888**		
योग		**3,727,958**		**2,366,463**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31-03-2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची भाग

अनुसूची 4		ग्रोस ब्लाक					डीप्रीसीएशन					निवल ब्लाक	
मद	मूल्य ह्रास (%)	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि 30.09.17 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि 30.09.17 के बाद	वर्ष के दौरान घटौती	वर्ष के अंतमे लागत मूलांकन	वर्ष के प्रारंभ में	क वर्ष के दौरान वृद्धि	5000 रु. से कम की खरीद पर 100% की दर से	वर्ष के दौरान कटौति	वर्ष के अंत में योग	चाल वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
संयत्र और मशीनरी	15%	10,807,581				10,807,581	6,833,501	596,112	-		7,429,613	3,377,968	3,974,080
प्रयोगशाला उपस्कर	15%	5,254,588				5,254,588	2,477,595	416,549			2,894,144	2,360,444	2,776,993
कार्यालय उपस्कार	15%	4,465,669	96,760	55,600		4,618,029	2,620,345	295,483			2,915,828	1,702,201	1,845,324
कार	15%	330,860				330,860	313,512	2,602			316,114	14,746	17,348
फर्नीचर्स एवं फिक्चर्स	10%	4,568,171		45,540		4,613,711	2,366,264	222,468			2,588,732	2,024,979	2,201,907
कम्यूटर एवं पेरीफेरल्स	40%	3,374,900		11,000		3,385,900	3,260,924	47,790			3,308,714	77,186	113,976
पुस्तकालय एवं तकनीकि पुस्तकें	40%	2,358,882				2,358,882	2,318,238	16,258	-		2,334,496	24,386	40,644
चालू वर्ष का योग		**31,160,651**	**96,760**	**112,140**	-	**31,369,551**	**20,190,379**	**1,597,262**	**-**	**-**	**21,787,641**	**9,581,910**	**10,970,272**
पिछला वर्ष का													
(ख) चल रहा बड़ कार्य	-												
योग												**9,581,910**	**10,970,272**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31–03–2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 5: निधारित/अक्षय निधियों से निवेश		
मियादी जमा प्रप्तियाँ (आई.ओ.बी)	2,829,831	2,642,503
योग	**2,829,831**	**2,642,503**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31–03–2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 6: वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
1. बैंक शेष		
क) अनुसूचित बैंकों में		
- बचत खातों पर	45,360,998	33,856,687
2. हाथ में मुद्रा		
क) स्टैंप (फ्रैंकिंग)	260,024	196,229
ख) स्टैंप (पोस्टल)	1,964	12,113
3. बैंक में शेष		
क) आई ओ बी.		
पेंशन निधि निवेश, बचत खाता संख्या - 209501000007601	25,700	24,796
सामान्य भविष्य निधि निवेश, बचत खाता संख्या - 209501000006535	2,416	2,383
अंशदानिक भविष्य निधिनिवेश, बचत खाता संख्या - 209501000006536	1,934	1,918
आई.ओ.बी. – 209501000010000	122,276	117,758
ख) इण्डियन बैंक		
पेंशन निधी निवेश, बचत खाता संख्या – 6349080748	11,359,293	9,827,033
सामान्य भविष्यनिधि निवेश, बचत खाता संख्या – 6349080908	1,220,717	2,110,773
अंशदानिक भविष्य निधि निवेश, बचत खाता संख्या – 6349081107	541,747	433,983
योग (क)	**58,897,069**	**46,583,673**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31–03–2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुसूची

प्रपत्र भाग

ख. ऋण/अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ		
अंग्रिम और ऐसी धनराशियाँ जो नकद रूप में अथवा वस्तु के रूप में अथवा मूल्य के लिए प्राप्त होनी हैं		
क) पूर्व भुगतान (अनुलग्न - 1)	0	25,122
ख) निरीक्षण के लिए अग्रिम (अनुलग्न - 1)	0	0
ग) कर्मचारियों के त्योहार अग्रिम (अनुलग्न - 1)	0	0
घ) यात्रा के लिए अग्रिम (अनुलग्न - 1)	10,000	20,000
ड.) वेतन के वसूलने योग्य रक़म	90	90
च) टेलीफोन के जमानत	39,782	39,782
योग (ख)	**49,872**	**84,994**
योग (क + ख)	**58,946,941**	**46,668,667**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31–03–2018 को समाप्त वर्ष के लिए आथ और व्यय का अनुसूची प्रपत्र भाग

(**धनराशि** - ₹)

अनुसूची 7: अनुदान/ राजसहायताएं (गैर-वसूली योग्य अनुदान और प्राप्त राजसहायताएं)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) केन्द्र सरकार	19,791,100	34,269,650
योग	**19,791,100**	**34,269,650**

अनुसूची 8: शुल्क/ अभिदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) निविदा शुल्क	-	-
2) आरटीआई शुल्क	190	140
3) एमटीएस आवेदन पत्र शुल्का	-	-
योग	**190**	**140**

नोट: प्रत्येक मद के संबंध में लेखाकरण नीतियों को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

अनुसूची 9: निवेशों से आय	**निर्धारित निधि से निवेश**	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(निधियों में अंतरित की गई निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)		
इंडियन बैंक में मीयादी जमा पर ब्याज	-	-
योग	**-**	**-**
निर्धारित/ अक्षय निधियों में अंतरित	**-**	**-**

अनुसूची 10: अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) सावधि जमाओं पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में	-	-
2) बचत खातों पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में	437,280	1,796,272
योग	**437,280**	**1,796,272**
नोट: स्रोत पर की कटौती दर्शाई जाएगी		

अनुसूची 11: अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विविध आय	1,729	2,342
पीओ से छूट	3,474	-
ई.पी.एफ़.ओ. से प्राप्त खर्च के शेयर	74,511	-
ब्याजः आई ओ बी 209501000010000	-	4,584
योग	**79,714**	**6,926**

अनुसूची 12: स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	11,514,798	22,922,231
ख) बोनस	93,258	110,528
ग) एलटीसी सुविधा	26,317	230,972
घ) पीएफ अंशदान	293,330	291,700
ड.) ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति		102,210
च) चिकित्सा व्यय	54,692	194,411
छ) कर्मचारी कल्याण	78,743	11,267
ज) अवकास भुनाई	8,820	19,236
छ) जी.एस.एल.आई	720	-
छ) एन.पी.एस	409,982	-
छ) पेंशन अंशदान	1,184,698	-
छ) पेशेवर टैक्स	29,019	-
छ) अधिवेशन शुल्क	24,000	-
योग	**137,18,377**	**238,82,555**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31–03–2018 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय के तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

(धनराशि–₹)

अनुसूची 13: अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. विज्ञापन और प्रचार	609,041	60,998
2. प्रकाशन	-	79,590
3. घरेलू यात्रा व्यय	1,459,543	-
4. आपूर्ति और सामाग्री		-
5. कार्यालय व्यय		
मारामत और अनुरक्षण	106,571	86,779
विद्युत और ऊर्जा	565,025	531,192
ईधन प्रभार	78,000	45,200
किराया, दर और कर	2,995,272	4,481,880
फोटो स्टट्स व्यय	-	-
पोस्टेज, टेलीग्राम	222,337	525,340
प्रिंटिंग, स्टेशनरी और उपभोज्य	314,675	309,904
जल प्रभार	-	-
चाकू और प्लेटें-प्यालें	9,989	-
कंम्प्यूटर अनुरक्षण	5,850	68,828
टेलीफोन व्यय	426,647	-
प्रोफेशनल चार्जेस	593,546	2,338,877
वाहन किराया प्रभार	341,085	780,703
बैठक व्यय	173,300	52,255
टेलीफोन, मोबायल प्रतिपूर्ति व्यय		407,810
मोबायल प्रतिपूर्ति व्यय		68,609
टेलिफोन सामग्रियाँ		4,200
विविध व्यय	59,195	64,057

अनुसूची 13 : अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सेमिनार / कार्यशाला / प्रशिक्षण व्यय	124,123	35,478
अन्य संविदागत सेवाएं	883,271	1,244,341
वेबसाइट अनुरक्षण प्रभार	-	598,360
वेबसाइट विकास	-	-
एएमसी व्यय (कम्प्यूटर) (ए.सी. कार्यालय उपस्कर आदि)	52,511	216,611
ढोना	4,843	-
वार्षिक पी.आर.ए अनुरक्षण प्रभार (एन.एस.डी.एल)	-	2,222
अनुवाद व्यय	-	-
समाचार पत्र एवं मैगजीन	745	9,086
बर्दीधारी (यूनिफार्म)	-	-
सफाई कर्मचारी वेतन	-	-
वेब संस्थापन प्रभार	8,625	43,000
वेब आटिटिंग व्यय	17,700	-
शिफ़टिंग व्यय	-	-
रासायनिक प्रयोगशाला	-	38,804
बैंक व्यय	11,381	6,852
लेखा परीक्षा व्यय	17,395	31,700
आंतरिक आड्टि व्यय	139,080	-
एम.टी.एस परीक्षा व्यय	-	3,000
साक्षातकार व्यय	20,038	42,803
लीगल व्यय	5,000	9,000
पूजा व्यय	-	2,955
योग	**9,244,788**	**12,190,433**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

अनुलग्नक-1

स्टाफ त्योहार अग्रिम			
क्र.सं.	**नाम**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
1	श्रीमती जी. प्रिया, एसटीए	-	-
2	श्री. रामेश कुमार, एसटीए	-	-
3	कुमारी. एस. प्रिया, स्टेनो.ग्रे.डी.	-	-
4	श्री. वी.सेल्वम, स्टाफ़कार ड्राइवर	-	-
5	श्री. इलवरसन, एमटीएस	-	-
6	श्री. पी. राजेश, एमटीएस	-	-
7	श्री. वी. प्रसाद, एमटीएस	-	-
8	श्रीमती. जयंति, जेआर.क्लर्क	-	-
	योग	**-**	**-**

क्र.सं.	**अन्य अग्रिम**		
1	पूर्व भुगतान व्यय	-	25,122
2	निरीक्षण के लिए अग्रिम	-	-
3	श्री.जयरामन - यात्रा अग्रिम	10,000	20,000
	योग	**10,000**	**45,122**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

अनुसूची 14: लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण परंपरा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार किऐ गऐ है और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) आईसीएआई द्वारा जारी और लागू अनिवार्य लेखा मानकों तथा सीजीए द्वारा निर्धारित केंद्रीय स्वामन्त निकायों के लिए यथानिर्धारित संगत प्रस्तुतकरण संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं। प्राधिकरण व्यय और आय के समस्त मदों के संबंध में जब तक कुछ और नहीं जारी कहा जाए, प्रोद्भवन पद्धति अपनाता है।

2. अचल परिसंपत्तियाँ

क) अचल परिसंपत्तियों का लेखा इन्हें प्रभारित किए जाने का निरीक्षण करने के बाद किया जाता है।

ख) अचल परिसंपत्तियों को लागत में से संचित मूल्य ह्रास लागत, जिसमें खरीदी मूल्य, अंदर लाने का भाड़ा, शुल्कों और करों तथा उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए उन्हें कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए लगी अन्य लागत शामिल होती है, को घटाकर दर्शाया जाता है। पात्र अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/ निर्माण से संबंधित वित्तीय लागत को उस सीमा तक शामिल किया जाता है जिस सीमा तक वे उपयोग के लायक रहती हैं।

ग) तत्कालीन जल कृषि प्राधिकरण की उन अचल परिसंपत्तियों का लोखांकन भी उन्हें खरीदने की तारीख से सीसीए द्वारा उनका अधिग्रहण किए जाने तक की अवधि के लिए लागत में से मूल्य सह्रास को घटाकर किया जाता है जिनका मूल्य ज्ञात होता है। जिन अचल परिसंपत्तियों का मूल्य ज्ञात हीं होता है उनका सीसीए की लेखा पुस्तकों में पूंजीकरण करने के लिए 1/- रुपए का नाममात्र का मूल्य मान लिया जाता है।

घ) गैर–मौद्रिक अनुदानों के जरिए प्राप्त हुई अचल परिसंपत्तियों का पूंजीकरण पूंजी निधि में तदनुरूपी जमा द्वारा बताए गए मूल्य पर किया जाता है। फ्री गिफ्ट के रूप प्राप्ती हुई अचल परिसंपत्त्यिों का लेखा 1/- रुपए का नाममात्र का मूल्य मान कर किया जाता है।

ड.) विशेष अनुदान सहायता से अधिगृहीत की गई अचल परिसंपत्तियों का लेखा प्राधिकरण के लेखाओं में अचल परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। अनुदान सहायता से सृजित की गई अचल परिसंपत्तितयों की लागत को पूंजी निधि में जमा किया जाता है। इन परिसंपत्तियों पर उनके उपयोग की अवधि के लिए आयकर अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित दरों पर मूल्य ह्रास भी प्रभारित किया जाता है और इसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

3. मूल्य ह्रास

क) मूल्यह्रास का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों पर अपलिक्षित मूल्य पद्धति से किया जाता है।

ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में संवर्धन/कमी होने के संबंध में वित्त वर्ष की पहली छः माही में अधिगृहीत की गई परिसंपत्तिपयों पर आयकर नियमों में विनिर्दिष्ट/ दरों पर पूरा मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है और दूसरी छः माही में अधिगृहीत की गई परिसंपत्तियों पर 50% मूल्य ह्रास प्रभारित किया जाता है।

ग) 5000/- रुपए अथवा इससे कम लागत वाली अचल परिसंपत्तियों पर अधिग्रहण के वर्ष में पूरा मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

4. पट्टा/किराया

पट्टा/किराया का लेखांकन पट्टे की निबंधन और शर्तों के अनुसार व्यय के रूप में किया जाता है।

5. परिसपत्तियों का खराब होना

एक परिसंपत्ति को तब खराब माना जाता है जब उसको बनाए रखने की लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। खराब होने की हानि को उस वर्ष के आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें उस परिसंपत्ति को खराब परिसंपत्ति के रूप में अभिज्ञात किया जाता है। खराब होने की हानि को वसूली योग्य धनराशि के रूप में माना जाता है।

6. सरकारी अनुदान/ राजसहायताएं

पूंजीगत व्यय अर्थात सहायता अनुदान से सृजित मूल्य ह्रास योग्य परिसंपत्तियों की लागत को पूंजी निधि खाते में जमा किया जाता है। सहायता अनुदान से किए गए राजस्वा व्ययों को आय व्यय खाते में नामे किया जाएगा। वर्ष के अंत में व्यायों से अधिक अनुदान को पूंजी निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

7. सेवा निवृत्ति लाभ

क) वर्ष के दौरान नई पेंशन योजना में प्राधिकरण के अंशदान को आय और व्यय खाते में दर्शाया जाता है।

ख) उपदान से संबंधित देयताओं, जिनका पता वर्ष में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है, का प्रावधान किया जाएगा और पृथक रूप से निधीयन किया जाएगा।

ग) कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण से संबंधित देयताओं, जिनका पता वास्तविक मूल्यांकन पर प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में वार्षिक रूप से लगता है, हेतु प्रावधान किया जाता है।

8. कराधान

प्राधिकरण केंद्र/राज्य सरकार को अपनी संपत्ति, आय और लाभ और प्राप्त हुए लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर, सेवा कर, सीएसटी अथवा अन्य किसी कर को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अत: चालू और आस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

पूर्व की घटनाओं के परिणामस्वरूप मौजूदा देयता की स्थिति में प्रमापन में काफी अनुमान के आधार पर प्रावधान किए जाते हैं और यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्गमन हो। आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है किंतु उन्हें लेखाओं के भाग के रूप में नोट में प्रकट किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों न तो मान्यता दी जाती है और ना ही उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

10. आय और व्यय

निचे विनिर्दिष्ट की गई आय और व्यय को छोड़कर वर्ष के सभी आय और व्यय का लेखाओं के विशिष्ट प्रत्यक्ष शीर्षों के तहत प्रोद्भवन आधार पर लेखांकन किया जाता है।

क) पूर्व वर्ष की आय अथवा व्यय जो एक अथवा अधिक पूर्व अवधियों में प्रावधान करने देयता का सृजन करने में चूक करने के कारण हुआ था, का लेखांकन "पूर्व अवधि समायोजन" के तहत किया जाता है।

ख) यदि व्याय आधार पर देयता का सृजन किया जाता है। प्रावधान किया जाता है तो इसका लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है।

ग) वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्राधिकरण को प्रादुभूत होने वाले व्यय-आय, भूतलक्षी प्रभाव से यदि कोई हो, का लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है।

घ) तुलन पत्र और अथवा आय और व्यय खातों में किसी मद को किस प्रकार और किस तरीके से दर्शाया जाए इसका निर्धारण करने में पूर्ती पर विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले में पूर्वदत्त पूर्व अवधि के 1000 रुपए तक के मदों का लेखांकन लेखाओं के आम शीर्षों के तहत नकद आधार पर किया जाता है।

11. राजस्व मान्याता

क) प्राधिकरण डीएलसी/एसएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में फार्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क प्राप्ती कर रहा है। इसके अलावा, प्राधिकरण लिटोपिनियस वेन्नामई फार्मों और हैचरियों के लिए प्रोसेसिंग फीस और प्रति जैविक मुक्त जल कृषि आदानों का पंजीकरण फीस प्राप्त कर रहा है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार इस शुल्क का लेखा इसके प्राप्ते होने के वर्ष और विशेष अथवा निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग करने के वर्ष में प्राधिकरण की निर्धारित/अक्षय निधि के रूप में किया जाता है।

ख) ब्याज की आय का लेखांकन बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए नकद अधार पर किया जाता है।

12. पृथक प्रकटीकरण

प्रथक प्रकटीकरण के संबंध में आय और व्यय खाते में किए जाते हैं:

क) "पूर्व अवधि" के मद जिनमें आय अथवा व्यय के सामग्री मद शामिल होते हैं और जो एक अथवा अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीमय विवरण तैयार करने में चूक करने के परिणाम स्वरूप चालू अवधि में उत्पन्न होते हैं।

ख) "असाधारण" मद, जो प्राधिकरण के सामान्य कार्यकलापों से स्पष्ट तौर पर हुई घटनाओं और लेनदेनों से उत्पन्न आय अथवा व्यय होते हैं और इनके बार बार अथवा नियमित तौर पर होने की उम्मीद नहीं होती है।

ग) "विविध आय" शीर्ष के तहत 50,000 रुपए से अधिक के मद को आय और व्यय खाते में उपयुक्त लेखा शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है।

"विविध व्यय" शीर्ष के तहत 50,000 रुपए से अधिक के मद को आय और व्यय खाते में उपयुक्त लेखा शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है।

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

अनूसूची – 15

आकस्मिक देयताओं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएं

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक देयता का कोई मामला सामने नहीं आया है।

अचल परिसंपत्तियां

तत्कालीन जल कृषि प्राधिकरण की उन अचल परिसंपत्तियों का लोखांकन भी उन्हें खरीदने की तारीख से सीसीए द्वारा उनका अधिग्रहण किए जाने तक की अवधि के लिए लागत में से मूल्यह्रास को घटाकर किया जाता है जिनका मूल्य ज्ञात होता है। जिन अचल परिसंपत्तियों का मूल्य ज्ञात हीं होता है उनका सीसीए की लेखा पुस्तकों में पूंजीकरण करने के लिए 1 (एक) रुपए का नामांकन का मूल्य मान लिया जाता है। सभी परिसंपत्त्यिों पर आयकर नियमों में निर्धारित दर से मूल्यह्रास का परिकलन कर लिया गया है और वर्ष 2017-18 के आय और व्यय खाते में प्रभारित किया गया है।

वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्राधिकरण ने पोस्ट अफिस से फ्रैंक्रिग मशीन ले ली है जिसमें एक निश्चित धनराशि के स्टैंप हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण पोस्ट अफिस से पोस्टल स्टैंप खरीदता है और इसके लिए भुगतान की गई धनराशि को हाथ में स्टैंप के रूप में दर्शाया जाता है। स्टैंप की दैनिक खपत के लिए रखे जा रहे रजिस्टर के आधार पर स्टैंप पर किए गए कुल व्यय को वार्षिक आधार पर हाथ में स्टैंप खाते को धनरूपी जमा करके संबंधित व्यय शीर्ष में नामे किया जाता है। 31 मई, 2017-2018 की स्थिति के अनुसार हाथ में स्टैंप की धनराशि 2,08,342/- रुपए है।

वर्तमान देयता

निष्पादन गारंटी के रूप में प्राप्त हुई रू. 3,662/- की जमानत राशि को इसकी वारंटी की अवधि पूरी होने तक बनाए रखा जाएगा।

कालाधन

प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, लाभ और प्राप्त हुए लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर अथवा अन्य किसी कर को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए और आस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सरकारी अनुदान प्राप्त/शुल्क

"पूंजीगत व्यय" अर्थात सहायता अनुदान से सृजित मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों की लागत को पूंजी निधि खाते में जमा किया जाता है। सहायता अनुदान से किए गए राजस्व व्ययों को 'आय व्यय खाते' में नाम

किया जाएगा। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के अंत में व्ययों से अधिक अनुदान को पूंजी निधि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

प्राधिकरण डीएलसी/ एसएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में फार्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क प्राप्ती कर रहा है। इसके अलावा, प्राधिकरण लिटोपिनस वेन्नामई फार्मों और हैचरियों के लिए प्रोसेसिंग फीस और प्रति जैविक मुक्त, जल कृषि आदानों का पंजीकरण फीस प्राप्तं कर रहा है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार इस शुल्क, का लेखा इसके प्राप्त होने के वर्ष और विशेष अथवा निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग करने के वर्ष में प्राधिकरण की निर्धारित अक्षय निधि के रूप में किया जाता है। निर्धारित निधि 10,60,274/- रु का उपयोग किया गया।

पिछला वर्ष के आंकड़े

सीएजी द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया में तुलन पत्र, आय और व्यय खाते तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में उनसे संबंद्ध विभिन्न अनुसूचियों सहित पिछला वर्ष के आंकड़े दर्शाना विनिर्दिष्ट किया गया है।

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव



सत्यमेव जयते

ANNUAL REPORT 2017-18

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Government of India
Ministry of Agriculture & Farmer's Welfare
GDR Tower, 12-A Bharathi Street
Vanuvampettai, Madipakkam Post
Chennai - 600 091, Tamil Nadu
Tel : 91-44-2260 3783, 3784, 3502, Telefax : 044-2260 3780
Email : aquaauth@vsnl.net / aquaauth@gmail.com
Website : www.caa.gov.in

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Government of India

Dr. C. Gopal
Member Secretary

सत्यमेव जयते

जी डी आर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट,
वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम पी.ओ.,
चेन्नई- 600 091, तमिल नाडु, भारत
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street,
Vanuvampettai, Madipakkam P.O.,
Chennai - 600 091, Tamilnadu, India.
दूरभाष/ Phone : +91 44 2260 3683
ईमेल/ E-mail : aquaauth@gmail.com
वेबसाइट/Website : http://www.caa.gov.in

CLEAN INDIA

PREFACE

Coastal aquaculture plays a pivotal role in India in ensuring food security of the people, apart from earning a substantial quantum of foreign exchange through export of aquaculture produces. The Coastal Aquaculture Authority was established with the primary responsibility to maintain sustainable aquaculture, ensuring protection of the environment. The Authority jointly with the Ministry of Agriculture and Framers Welfare, GOI, New Delhi promotes scientifically adopted environmentally sustainable and profitable coastal aquaculture. So, CAA by implementing stringent regulatory measures, has steered the coastal aquaculture industry to unprecedented growth through sustainable production strategies coupled with environmental protection.

With the relentless efforts of the Coastal Aquaculture Authority, India touched a record shrimp production of 680,000 MT in the year 2017-18 as against the level of 75,000 MT during the year 2008-09. It is evident that no other food production sector in the country has achieved such high growth rates as coastal aquaculture sector achieved in the past 10 years. Furthe-, about 10 to 15% of the 12 lakh ha area available along the coast of India has been brought under the Coastal Aquaculture so far with leverage of enormous scope for further development of sustainable coastal aquaculture activities along the coast.

CAA has made major contribution in ensuring import of high quality SPF broodstock from well-established International broodstock suppliers to Indian hatcheries through implementation of notified guidelines such as the broodstock quarantining, biosecurity measures in hatcheries and farms, and also by conducting training and awareness programmes on sustainable aquaculture practices.

CAA acknowledges the unstinted support of the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India and WU continue its endeavour to accomplish the production of a million tonnes through regulated and sustainable coastal aquaculture practices.



(C. Gopal)
Member secretary

I. Composition of the Authority during 2017-18

The Coastal Aquaculture Authority was established under the Coastal Authority Act, 2005 for regulating activities connected with coastal aquaculture in coastal areas and for matters connected therewith or incidental thereto to ensure that coastal aquaculture does not cause any detriment to the coastal environment and the concept of responsible aquaculture is followed. Coastal aquaculture means 'culturing, under controlled conditions in ponds, pens, enclosures or otherwise, in coastal areas, of shrimp, prawn, fish or any other aquatic life in saline or brackish water; but does not include fresh water aquaculture'. Coastal area means 'area of land within a distance of two kilometres from the High Tide Line (HTL) of seas, rivers, creeks and backwaters'. The main objective of the Authority is to promote sustainable development without causing damage to the coastal aquaculture practices and to protect the livelihood of various stakeholders living in the coastal area.

1. Composition of the Authority during 2017-18

i) **Chairperson** **....Vacant**
(Retired / Sitting Judge of the High Court)

ii) **Dr K K Vijayan** ....Member
Director, Central Institute of Brackishwater
Aquaculture, Chennai

iii) **Dr R Kirubhagaran** ....Member
Scientist 'F', National Institute of Ocean
Technology, Chennai
Representative of the Ministry of Earth Sciences, Govt of India
(Expert in the field of Coastal Ecology)
(With effect from 19th October, 2015)

iv) **Dr T Balasubramanian** ....Member
Former Director & Dean
Centre for Advanced Studies in Marine Biology
Annamalai University, Chidambaram
Parangipettai, Tamilnadu
(With effect from 19th October, 2015)

v) **Dr B Kishore, IAS** ...Member
Joint Secretary (Fisheries)
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries
(Representative of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare,
Government of India)

vi) **Dr A Jayathilak, IAS** ....Member
Chairman
Marine Products Export Development Authority
MPEDA House, Panampilly Avenue, Cochin, Kerala

vii) **Shri Rama Shankar Naik, IAS** ....Member
Commissioner of Fisheries
Government of Andhra Pradesh
(Representative of government of Andhra Pradesh)

viii) **Shri Vishal Gagan, IAS** ....Member
Commissioner cum Secretary
(Fisheries & Animal Resource Development Department),
Secretariat, Bhubaneswar, Odisha

ix) **Shri P Parthipan, IAS** ....Member
Secretary/Special Secretary (Fisheries)
Government of Puducherry

x) **Dr Rajkumar Khatri, IAS** ....Member
Secretary (Fisheries),
Department of Animal Husbandry and Fisheries
Government of Karnataka
(With effect from 19th October 2015)

xi) **Dr C Gopal** ....Member
Secretary
(Member appointed by the Central Government)

2. Aims and objectives of the Authority

The aims and objectives of the Authority are to regulate 'coastal aquaculture' activities in the areas notified by the Central Government as 'coastal areas' and for matters connected therewith. The Authority aims to accomplish these by its powers to make regulations for the construction and operation of aquaculture farms and hatcheries in coastal areas, inspection of farms and hatcheries of *L. vannamei* to ascertain their environmental impact, registration of agriculture farms and hatcheries, removal or demolition of coastal aquaculture farms and hatcheries which cause pollution, fixing standards for all coastal aquaculture inputs, *viz.* seed, feed, growth supplements, chemicals etc., used in coastal aquaculture and for the overall monitoring of coastal aquaculture activities in the country.

3. Powers and Functions of the Authority

The powers and functions of the Authority are specified in Chapter IV of the CAA Act, 2005, the Rules framed there under, and the Regulations framed by Coastal Aquaculture Authority, notified in March 2008. The CAA shall *inter alia* make regulations for the orderly and sustainable development of the coastal aquaculture sector to facilitate environmentally

responsible and socially acceptable coastal aquaculture for the socio-economic benefits of the various stakeholders involved in the activity.

The major responsibility of Coastal Aquaculture Authority towards achieving these goals is to ensure registration of all kinds of coastal, brackish and saline aquaculture farms and hatcheries engaged or to be engaged in coastal aquaculture including SPF shrimp culture with biosecurity, etc., in the country within the notified area. Number of measures have been implemented by the Authority to sensitize the farmers for registering all eligible coastal aquaculture farms through various awareness programmes. It is mandatory for all persons carrying on coastal aquaculture to register their farms with the Coastal Aquaculture Authority, as per the procedures laid down in the Coastal Aquaculture Authority Act and Rules. Registration is valid for a period of five years, which can be renewed from time to time for a like period. The registration process would be continued in respect of existing farms through renewal of registration, new farms as well as for farms that may be renovated for taking up coastal aquaculture activities in future.

Aquaculture is not permitted within two hundred meter from the High Tide Line of the seas, creeks, rivers and backwaters within the Coastal Regulation Zone. However, this condition is not applicable to the 'existing farms' i.e., farms set up before the commencement of the Act and to the non-commercial and experimental aquaculture farms operated by the Government or any research Institute of the Government. However, all such farms need to be registered with the CAA. Any person carrying on coastal aquaculture without such registration is liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees, or with as provided in Section 14 of the Act.

CAA is assisted by the State Level Committees (SLC) and the District Level Committees (DLC) set up under the provision of the CAA Rules, 2005 which are the primary linkages on matters concerning the registration of coastal aquaculture farms. In the case of farms up to 2 ha water spread area, the DLC, upon satisfaction, shall recommend the applications directly to CAA for consideration of registration; and in the case of farms above 2 ha water spread area, the DLC shall inspect the farm to verify compliance of norms and recommend the applications to SLC, who upon satisfaction, shall recommend them to the CAA for registration

Coastal Aquaculture Authority was authorized to grant permission for importing broodstock of SPF *L. vannamei* from approved overseas SPF broodstock suppliers and to allot annual requirements of broodstock, as detailed in the Guidelines issued under Notification dated 15th October 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DAHD &F), under the Livestock Importation Act, 1898, (as amended by Livestock Importation Act, 2001).

CAA is also empowered to monitor SPF *L. vannamei* hatcheries and farms for strict compliance of the Guidelines issued through Notification under the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2009.

The CAA also has the powers and functions as stated below:

- Ensure that agricultural lands, salt pan land, mangroves, wet lands, forest lands, land for village common purposes and land meant for public purposes and national parks and sanctuaries are not converted as aquaculture farms in order to protect the livelihood of coastal community living in coastal areas:
- Survey the entire coastal area and advise the Central Government and the State/ UT Governments for formulating suitable strategies for achieving eco-friendly development;
- Advise and extend support to the State/UT Governments for constructing common infrastructure, common water in-take, discharge canals and common effluent treatment systems;
- Fix standards for seed, feed, growth supplements and chemicals used for the maintenance of the water bodies and the organism reared and other aquatic life.
- Carry out or sponsor investigations and studies/schemes relating to environment protection and demonstration of eco-friendly technologies;
- Collect and disseminate the data and other scientific and socio-economic information related to coastal aquaculture;
- Prepare materials relating to sustainable development of coastal aquaculture and activities relating to coastal aquaculture;
- Give publicity and train personnel regarding sustainable utilization and fair and equitable sharing of the coastal resources;
- Constitute various technical committees, sub-committees, working groups etc., for preparation of technical manuals etc.,
- Direct the owners of the farm to carry out modification to minimize the impacts on coastal environment.
- Order seasonal closure for ensuring sustainability; or in the interest of maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods in the interest of coastal environment;
- Cancel the registration where any person has obtained registration by furnishing false information or contravened any of the provisions of these rules or of the conditions mentioned in the certificate of registration;
- Deal with any issue pertaining to coastal aquaculture including those which may be referred to it by the Central Government;
- Make suitable recommendations to the Government for amending the Guidelines from time to time.

4. Regulations of SPF *Litopenaeus vannamei* culture in India

Coastal Aquaculture Authority has been authorised, vide Notification dated 15th October 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, under the Livestock Importation Act, 1898, (as amended by Livestock Importation Act, 2001), to register hatcheries and to grant permission for importing broodstock of SPF *L. vannamei*. The broodstock suppliers were approved by CAA in consultation with National Fisheries Development Board (NFDB), Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) and Marine Product Export Development Authority (MPEDA). The biosecurity requirements for the quarantine, import permit, port of entry, pre-border quarantine requirements, quarantine requirements on arrival of imported broodstock, disinfection methods etc. are mentioned in the Guidelines specified in the above Notification.

Under the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2009, Guidelines were issued for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L vannamei*. These Guidelines include the criteria for applicants to breed *L. vannamei*, the technical requirements, procedures for production and sale of SPF *L. vannamei* seeds and specific norms and regulations for approval and operation of farms.

To facilitate smooth operations by the hatchery operators and shrimp farmers, Government of India came out with further amendments to the CAA Rules, 2005 through a Notification in March, 2012 by permitting import of SPF juveniles of *L. vannamei* up to 10g for rearing to adult broodstock, sale of nauplii among the permitted hatcheries and for shifting culture of one species to another after adequate dry out period. This Notification also strengthens the inspection process to deal with unauthorized seed production and farming of *L. vannamei* through destruction of the unauthorized stock or through discard and disposal of stock by the Inspection Team of CAA.

An amendment Notification was issued on 16th February 2015 whereby Guidelines have also seen issued for permitting farms which are registered for *Penaeus monodon* to take up *L. vannamei* culture with low stocking density following zero water exchange.

An amendment to Guidelines at Annexure-1 of CAA Rules, 2005 regarding registration of all shrimp hatcheries (including *P.monodon*) in the coastal areas by the CAA was issued by the DAHD&F, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in November 2015 in consonance with the provisions of CAA Act, 2015.

Coastal Aquaculture Authority is following these Guidelines in permitting hatcheries and farms to take up *L. vannamei* farming and in the inspection and monitoring of the farms and hatcheries for the sustainable development of this venture. The introduction of SPF *L. vannamei* paved way for revival of a large number of abandoned shrimp farms and has resulted in substantial increase in the production and export of farmed shrimp in the country.

II. Targets and Performance

1. Annual Targets Contemplated

- Convening of meetings of the Authority at least once in two months to take appropriate decisions for implementation.
- Registration and renewal of coastal aquaculture farms which is a continuous process, and cannot be specifically targeted. An additional 3,000 coastal aquaculture farms are expected to be registered during the next one year subject to the receipt of proposals with the recommendations from the District Level Committees and State Level Committees (DLCs/ SLCs).
- Extension of SPF *L. vannamei* culture, covering an additional area of about 2,000ha for the year 2015-16 with an anticipated additional production of about 20,000MT of the shrimp in a year.
- Selection of broodstock suppliers by the Technical Evaluation Committee depending upon the need and on reviewing the performance of existing suppliers.
- Issuing Public Notice to invite applications from prospective hatchery owners with adequate biosecurity facilities for granting permission to import broodstock and to produce SPF seed for supplying to the farmers approved by CAA.
- The broodstock requirement for *L. vannamei* farming would be worked out by the Technical Committee on the basis of annual requirement, hatchery capacity and extent of farming area for *L. vannamei* culture.
- Processing all the applications received from farmers, who intend to culture P monodon, SPF *L. vannamei* or any other brackishwater species, in their farms after creation of the required facilities and issuing Certificate of Registration and or permission therefore.
- Inspection of hatcheries, NRCs and farms by the Inspection Team to ascertain the bio security as well as other requirements.
- Consideration of the applications recommended by the Inspection Team for granting approval by the Authority in its regular meetings.
- Monitoring of hatcheries and farms will be done periodically; and appropriate action to be taken for violation of the conditions of approval.
- Sampling and testing of wastewater discharged from Effluent Treatment System (ETS) to ensure that water quality parameters conform to the standards notified by the CAA.
- Organising awareness programmes in Maritime States, to sensitize the farmers on registration of farms for undertaking *P. monodon,* SPF *L. vannamei*, finfishes and crab farming and on issues concerning banned drugs and other substances, as and when required.
- Organising workshops/seminars or participation in workshops/seminars/exhibitions conducted by related organization by depicting sustainable farming practices relating coastal aquaculture.

Preparation of brochures/handouts on Good Aquaculture Practices (GAqP)/BMPs in vernacular languages for distribution to stakeholders.

2. Brief Review of Actual Performance

- CAA convened one regular meeting in addition to three other meetings in the current year during the period from April 2017 and March 2018.
- A total of 1,972 applications for registration of coastal aquaculture farms have been received as forwarded from SLCs/DLCs. They were considered for approval and the ones those were not approved were returned to the DLCs/SLCs for rectification of defects.
- Registration Certificates were issued to all the 1972 farms approved by the CAA

III. Activities and Achievements

A. Meeting of the Authority and Committees constituted by the Authority

CAA convened one regular meeting in addition to three other meetings in the current year during the period from April 2017 and March 2018.





1. Meetings of the authority

Fifty Ninth Authority Meeting of CAA

Under the Chairmanship of Dr A. Jayathilak, Chairman, MPEDA, Cochin, 59th annual meeting of the Authority had been taken place at Radisson Blue Hotel on 10th January, 2018.

Besides approving the applications for registration of farms, the Authority discussed many vital issues such as review of the registration of hatcheries, global advertisements to identify the broodstock suppliers, air freight connectivity for transporting SPF *L. vannamei* from east coast to west coast, registration of government research farms, permission for seabass and mudcrab hatcheries and registration of coastal aquaculture inputs. Member Secretary of CAA in his address briefed the house about the action taken against the

unregistered hatcheries and issue of show cause notices/closure orders to the permitted hatcheries/farms violating the guidelines of CAA.

Key decisions taken in the meeting

Following is a short list of key decisions taken during the meeting

- Accorded post-facto approval to the LoP issued to construct the Mangrove Mudcrab and Seabass hatcheries at Suryalanka, Guntur district, Andhra Pradesh.
- Serving notice to hatcheries as they had sent poor quality seeds.
- Approved the proposal to share the registration fee between CAA, DLC and SLC in a ratio of 60:20:20
- To ssue global tenders to identify broodstock suppliers for ensuring the quality of broodstock.
- Intensifying the registration of farms and their renewal of registration.
- Accorded ex-post facto approval for 4385 Farms for registration
- Accorded post facto approval for 3286 farms for the renewal of registration
- Post facto approval to the LoPs issued to 1,112 shrimp farms located in Odisha, Andhra Pradesh, Kerala, Puducherry and Goa.
- Post facto approval to the government research farms
- Post facto approval for 38 hatcheries for registration and permission to import SPF *L. vannamei* broodstock
- Post facto approval to 32 NRCs for registration
- Post facto approval to the LoP issued for consortium to 24 hatcheries
- Agreed for the issue of Notification of Mandatory Registration of Inputs in public domain
- Approved the proposal to make quarantining of Artemia mandatory.
- Approved for the proposal for recruitment of Consultants as per NFDB norms

2. Meetings of the Technical Committee

a) 14th Technical Committee Meeting on AQF

14th meeting of Technical Committee on AQF held wide discussion on increasing frequency of EHP which has been listed as a 'disease of concern to India' under the National Surveillance Programme for Aquatic Animal Disease.

Meeting had been convened under the chairmanship of Dr. K. K. Vijayan, Member secretary in-charge, CAA and Director CIBA, at Central Institute of Brackish water Aquaculture (CIBA) on 9th August, 2017.

Around 15 persons including Director of CAA, representative of AISHA, representatives of RGCA, MPEDA and Principal Scientists of CIBA participated in the meeting.

Participants in the meeting expressed concern over the increasing frequency of detection of the EHP in shrimp aquaculture, particularly in the post larvae stage. They felt the need for EHP testing of imported SPF *L vannamei* broodstock in the AQF and agreed to take steps in this regard.

AQF was also asked to fix the price for EHP testing.

b) 15th Technical Committee Meeting on AQF

Under the Chairmanship of Dr C Gopal, Member Secretary, CAA, 15th meeting of Technical Advisory Committee to oversee and monitor the functioning of the Aquatic Quarantine Facility (AQF) was held on 17th November, 2017 in the Conference Hall of CAA, Chennai.



Around 15 persons including representatives from CIBA, MPEDA, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, NFDB and the representatives from AISHA participated in the meeting.

Key decisions taken in the 15th Meeting of Technical Advisory Committee on monitoring of AQF

- The consignments that arrive in AQF at any time during the last four hours of completion of the quarantine reservation day shall be considered as 'one day delayed consignment'.
- Quarantine period of delayed consignments shall be reckoned from the successive day of its arrival.
- Permitting hatchery to import a consignment beyond buffer period on obtaining special permission from the Member Secretary, CAA with intimation to AQF. This system may be permitted only for a single consignment/hatchery in a year as a special case with penalty charges so that the momentum of smooth operation of the facility is not hampered with. (in the event of unavoidable circumstance)
- To bring uniformity in cubicle user fee
- Instead of accommodating 16 kg of biomass of broodstock in normal quarantine cubicle, AISHA suggested to accommodate 25 kg of biomass of broodstock in order

to prevent the incineration of excess broodstock imported by the hatchery operators.

- Only the enlisted accredited test laboratories are eligible to provide the test report on SPF status of the broodstock being exported to India.
- In view of disease prevalence in broodstock reported in many exporting countries, submission of original copy of shipping documents to AQF for verification is mandatory. In case of invalidity in online and original copy on verification, hatchery operators should be debarred from further booking for a period of one year.
- Alternative arrangements should be made for an issue of NOC to hatchery operators in case Aquatic Quarantine Officer is not available in AQCS office, Chennai.
- Concern expressed by the AISHA was that no direct communication should be made by the AQF/AQCS officers with the suppliers of SPF *L vannamei* broodstock from abroad. (Involvement of intermediates should be minimised by online booking by importers directly)
- RGCA-AQF representatives were informed. Consent to open Phase I and III with a delay of 15 days intervening period for the forthcoming fiscal period.
- RGCA-AQF proposed to include the pathogen EHP in the screening list of AQF PCR laboratory.







3. Meeting of Committee to shortlist overseas suppliers of SPF *L vannamei* broodstock









B. Registration/Renewal of Coastal Aqua Farms

1. Registration of shrimp farms

One of the major tasks accomplished by the CAA was the registration of shrimp farms on the basis of the recommendations of the State and District Level Committees constituted for this purpose. The Authority considered the applications registration of shrimp farms in its meetings held regularly once in two months and has approved and issued 35,395 registration certificates to shrimp farmers till March 2018 (since inception of CAA).

A statement showing the total number of certificates of registration issued by the Authority in all the 12 Maritime States during the period from 2015 to 20198 is given in the Table 1 and their area-wise and State-wise distribution in terms of farms is depicted in Figures 1 and 2 respectively.

Table 1 : Registration Certificates issued by CAA during 2005 – 2018

Sl. No	Name of States	No. of Farms under Total Area(ha)						Area of Farm	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total	TFA(ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	3074	169	6	0	0	**3249**	3277.68	2337.57
2	Odisha	7770	424	30	17	0	**8241**	10507.07	6497.95
3	Andhra Pradesh	18020	1089	128	60	0	**19306**	27920.74	19669.07
4	Tamil Nadu	1058	645	137	19	0	**1860**	5366.8	3717.29
5	Puducherry	43	3	1	0	0	**47**	86.71	61.75
6	Kerala	1020	228	24	5	0	**1278**	2627.14	1779.62
7	Karnataka	266	42	2	2	0	**312**	459.16	349.78
8	Goa	23	15	2	2	0	**42**	151.17	109
9	Maharashtra	99	125	25	18	0	**273**	2087.99	1315.05
10	Gujarat	152	608	8	1	0	**771**	3482.49	2485.25
11	Daman & Diu	0	12	0	0	0	**12**	60	38
12	A & N Islands	3	1	0	0	0	**4**	22	5
	Total	**31528**	**3361**	**363**	**124**	**0**	**35,395**	**56048.95**	**38,365.33**

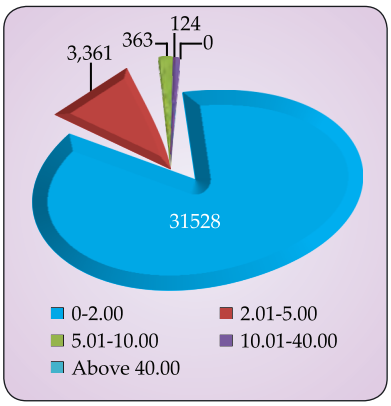


Figure 1 : Registration of farms (Area-wise) in all coastal states from 2015 to 2018

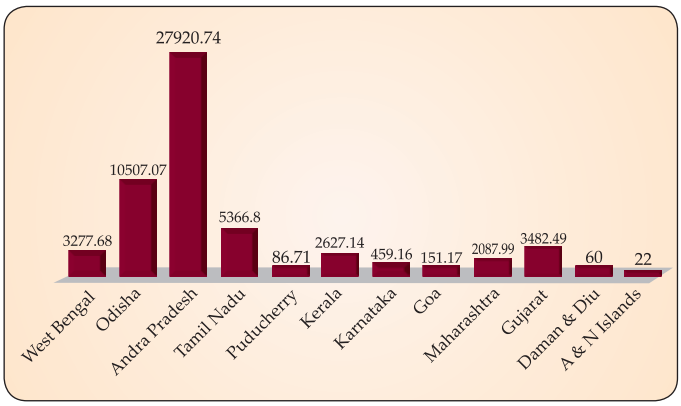


Figure 2 : Registration of farms (State-wise) in all coastal states during 2015 to 2018

During the year under report (April 2017 to March 2018), the Authority has considered and approved 1,972 applications and the registration certificates were issued and dispatched directly to the farmers. Those certificates returned undelivered were sent to the Member Conveners of the SLCs of the States as resolved in the 27th meeting of the Authority.

A statement showing the total number of farms registered with the Authority during April 2017 to March 2018 in the 12 Maritime States and UTs is given in the **Table 2.** Charts showing the details of shrimp farms registered with the Authority (area-wise and state-wise) are depicted in Figures 3 and 4 respectively.

Table 2 : Registration Certificates issued by CAA during the Current year April 2017 – March2018

Sl. No	Name of States	No. of Farms under Total Area(ha)						Area of Farm	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	268	4	0	0	0	**272**	180.41	132.78
2	Odisha	388	0	0	0	0	**388**	214.89	189.26
3	Andhra Pradesh	1119	30	0	0	0	**1149**	898.37	572.02
4	Tamil Nadu	100	14	6	0	0	**120**	226.92	159.43
5	Puducherry	2	2	1	0	0	**5**	14.43	11.6
6	Kerala	2	13	6	0	0	**21**	92.66	75.92
7	Karnataka	0	0	0	0	0	**0**	0	0
8	Goa	0	0	0	0	0	**0**	0	0
9	Maharashtra	4	2	0	0	0	**6**	10.76	8.13
10	Gujarat	6	5	0	0	0	**11**	32.49	24.25
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	**0**	0	0
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	Total	**1889**	**70**	**13**	**0**	**0**	**1,972**	**1670.93**	**1173.39**

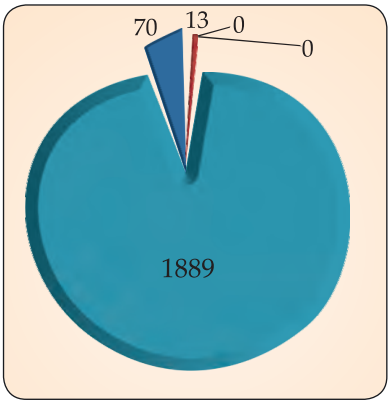


Figure 3 : Registration of farms (Area-wise) in all coastal states from April 2017 to March 2018

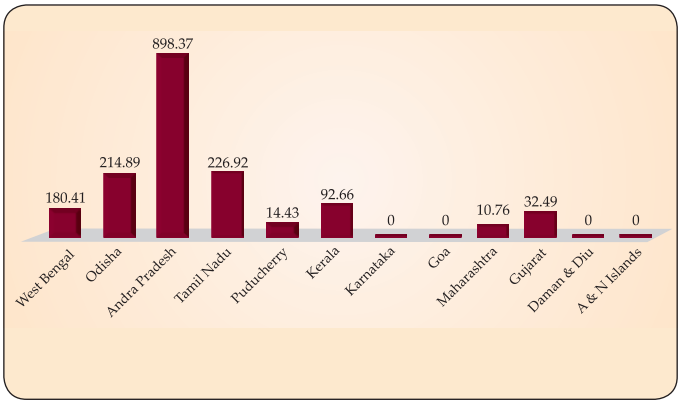
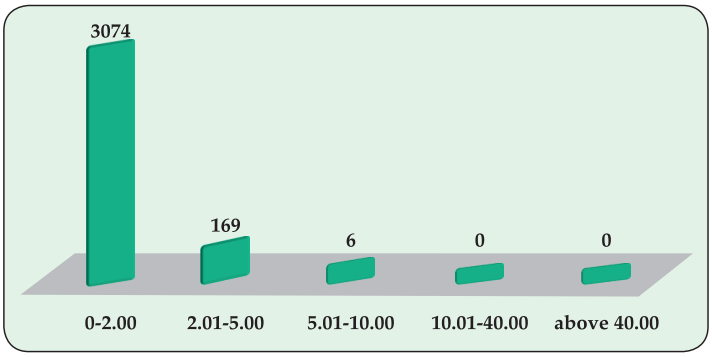


Figure 4 : Registration of farms (State-wise) in all coastal states from April 2017 to March 2018

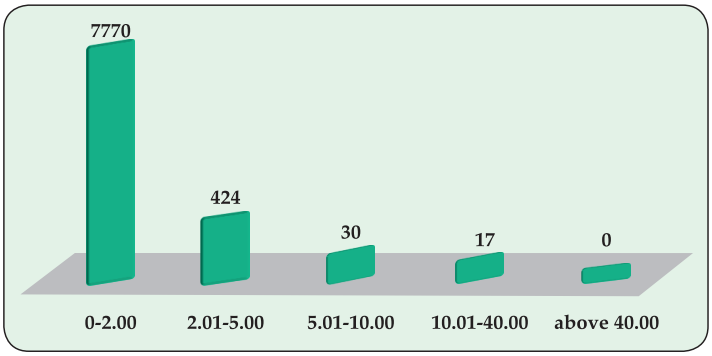
The total area of the farms registered (35,395 numbers) up to March 2018 was 56,048.95 ha and the water spread area was 38,365.33 ha and the total farm area and WSA for the farms registered during the current year (1,972 numbers) were 1,670.93 ha and 1173.39 ha respectively as presented in Tables 1 and 2 are depicted in Figures 5 and 6.

Number of farms registered area-wise during the period from December 2005 to March 2018 are depicted in the figures below



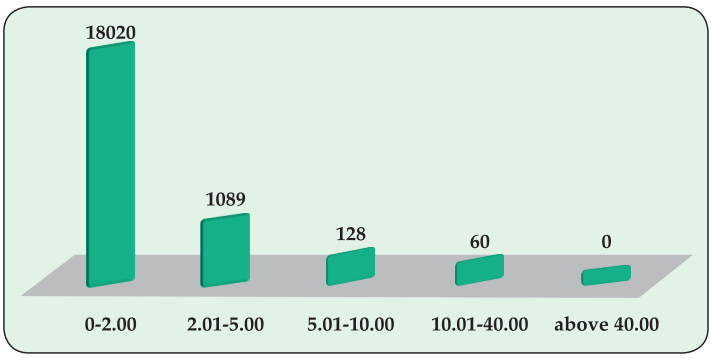
Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	3074
2.01-5.00	169
5.0-10.00	6
10.01- 40.00	0
above 40.00	0

Figure 5 : No. of farms registered in West Bengal from December 2005 to March 2018



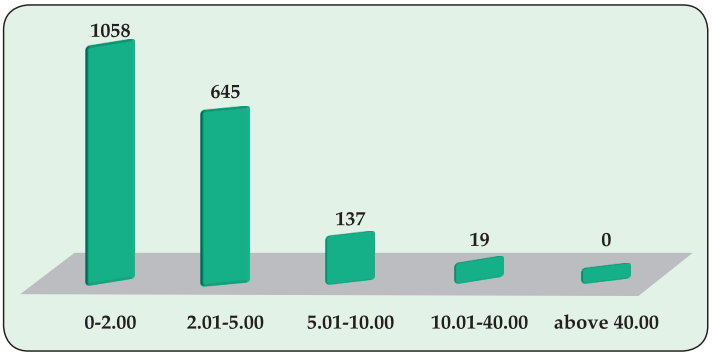
Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	7770
2.01-5.00	424
5.0-10.00	30
10.01- 40.00	17
above 40.00	0

Figure 6 : No. of farms registered in Odisha from December 2005 to March 2018



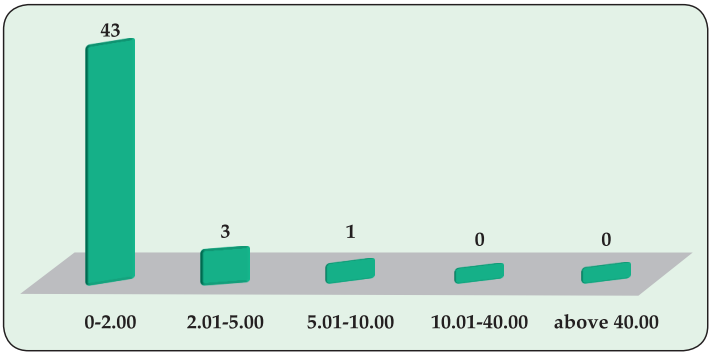
Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	18020
2.01-5.00	1089
5.0-10.00	128
10.01- 40.00	60
above 40.00	0

Figure 7 : No. of farms registered in Andhra Pradesh from December 2005 to March 2018



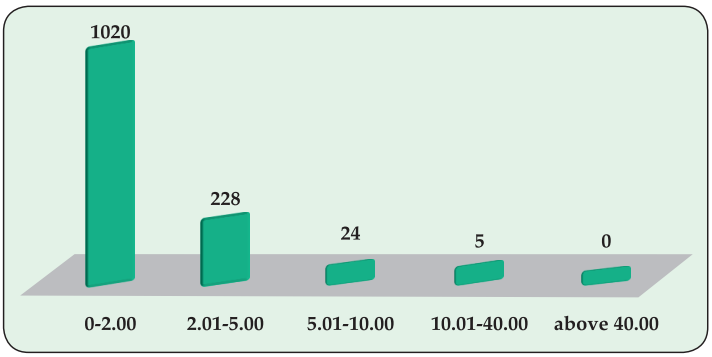
Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	1058
2.01-5.00	654
5.0-10.00	137
10.01- 40.00	19
above 40.00	0

Figure 8 : No. of farms registered in Tamil Nadu from December 2005 to March 2018



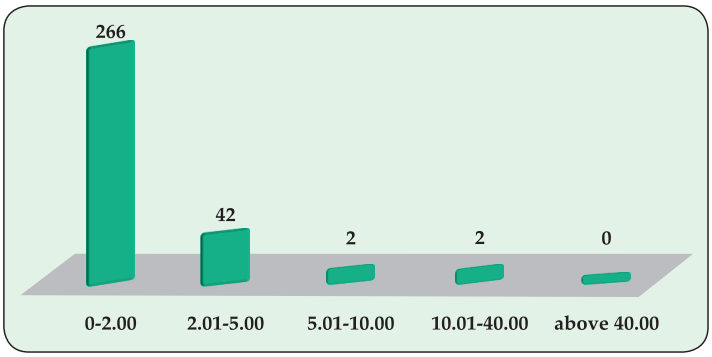
Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	43
2.01-5.00	3
5.0-10.00	1
10.01- 40.00	0
above 40.00	0

Figure 9 : No. of farms registered in Puthuchery from December 2005 to March 2018



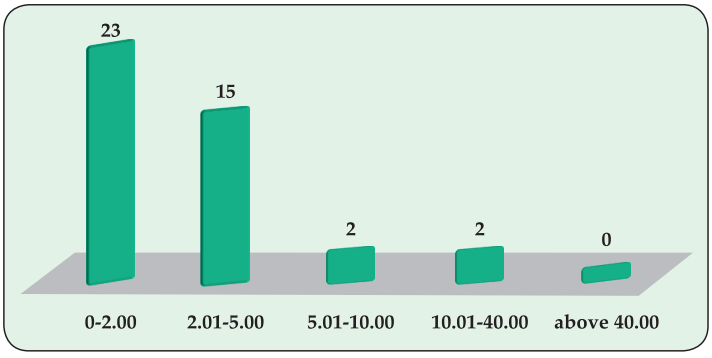
Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	1020
2.01-5.00	228
5.0-10.00	24
10.01- 40.00	5
above 40.00	0

Figure 10 : No. of farms registered in Kerala from December 2005 to March 2018



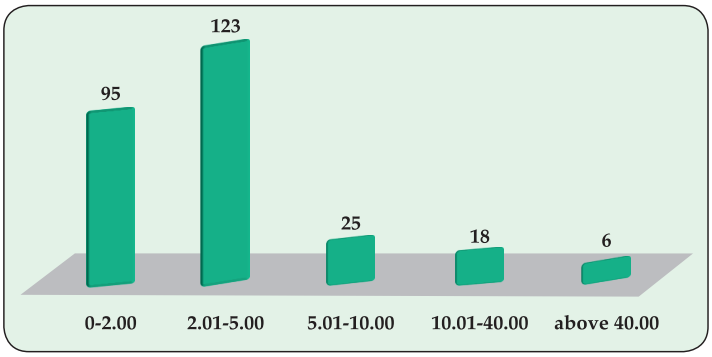
Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	266
2.01-5.00	42
5.0-10.00	2
10.01- 40.00	2
above 40.00	0

Figure 11 : No. of farms registered in Karnataka from December 2005 to March 2018



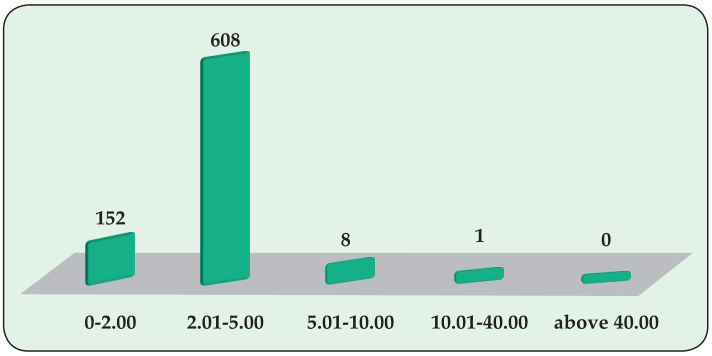
Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	23
2.01-5.00	15
5.0-10.00	2
10.01- 40.00	2
above 40.00	0

Figure 12 : No. of farms registered in Goa from December 2005 to March 2018



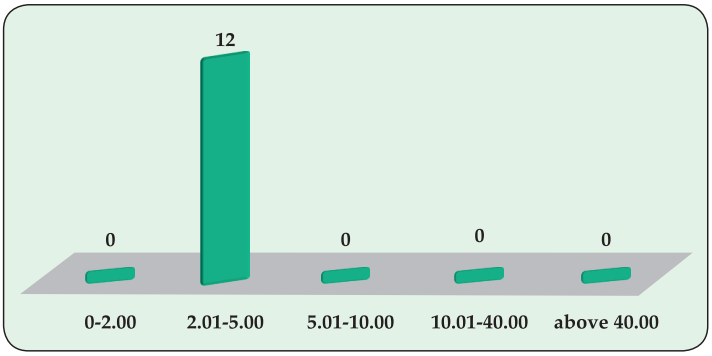
Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	99
2.01-5.00	123
5.0-10.00	25
10.01- 40.00	18
above 40.00	6

Figure 13 : No. of farms registered in Maharashtra from December 2005 to March 2018



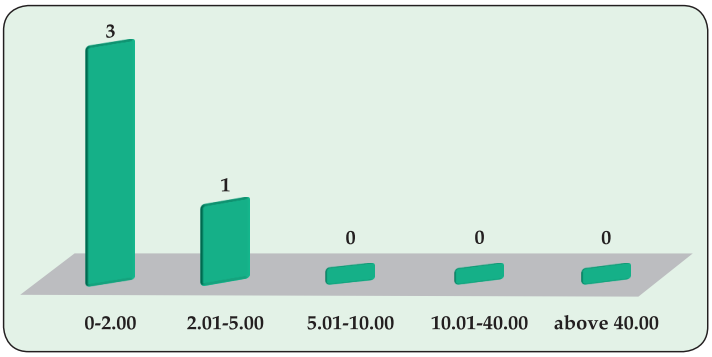
Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	152
2.01-5.00	608
5.0-10.00	8
10.01- 40.00	1
above 40.00	0

Figure 14 : No. of farms registered in Gujrat from December 2005 to March 2018



Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	0
2.01-5.00	12
5.0-10.00	0
10.01- 40.00	0
above 40.00	0

Figure 15 : No. of farms registered in Daman & Diu from December 2005 to March 2018



Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	3
2.01-5.00	1
5.0-10.00	0
10.01- 40.00	0
above 40.00	0

Figure 16 : No. of farms registered in Andaman & Nicobar Islands from December 2005 to March 2018

1. Renewal of Registration of Shrimp Farms

Renewal of registration of coastal aqua farms with the Authority is mandatory after expiry of the period of approval. Renewal of registration process after expiry of 5 years period started during September-2012 and 5,908 farms with a total area of 10,819.527ha (WSA 7498.93ha) were approved for renewal of registration till March 2018.

- During the year, all the 934 applications received from farmers with a total area 1651.11ha (WSA1223.45 ha) were considered by the Authority; renewed and endorsement to that effect has been made in the original Registration Certificates.

A statement showing the registration of total number of farms renewed with the Authority from September -2012 to March 2018 in the 12 Maritime States and UTs is given in Table 5 and the State-wise and area-wise details of renewal of registration during the period is depicted in Figures 7 and 8. The State-wise details of renewed farms during the current year (April 2017 to March 2018) are depicted in Table 6 and State-wise and area-wise details of renewal of registration in terms of number of farms during the current year are depicted in Figures 9 and 10.









Renewal Certificates issued by CAA during April 2017-March 2018

Sl. No	Name of States	No. of Farms under Total Area(ha)						Area of Farm	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	0	0	0	0	0	**0**	0	0
2	Odisha	147	0	0	0	0	**147**	137.18	101.3
3	Andhra Pradesh	499	39	0	0	0	**538**	930.36	714.25
4	Tamil Nadu	189	23	5	0	0	**217**	511.13	348.67

5	Puducherry	3	0	0	0	0	**3**	11.48	9.07
6	Kerala	18	9	1	0	0	**28**	59.79	49.11
7	Karnataka	0	0	0	0	0	**0**	0	0
8	Goa	1	0	0	0	0	**1**	1.17	1.05
9	Maharashtra	0	0	0	0	0	**0**	0	0
10	Gujarat	0	0	0	0	0	**0**	0	0
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	**0**	0	0
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	Total	**857**	**71**	**6**	**0**	**0**	**934**	**1,651.11**	**1,223.45**

*Out of the 12 maritime States and UTs, both the registration and renewal of registration of shrimp farms during the year was carried out in 10 coastal States(West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra and Gujarat), their area-wise break up are depicted in charts given below.

Details of Renewal of Registration Certificates issued by CAA during September 2012-March 2018

Sl. No.	Name of States	No. of Farms under Total Area (ha)						Area of Farm	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01-40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	7	0	0	0	0	7	6	4
2	Odisha	1254	34	2	6	1	1297	2222.31	1311.68
3	Andhra Pradesh	3520	61	2	6	3	3592	5937.69	4229.51
4	Tamil Nadu	580	38	5	0	0	623	1450.147	1087.48
5	Puducherry	5	0	0	0	0	5	15.48	12.07
6	Kerala	141	15	1	0	0	157	277.37	205.05
7	Karnataka	47	6	1	0	0	54	92.25	73.71
8	Goa	15	6	1	0	0	22	64.78	45.93
9	Maharashtra	58	7	7	0	0	72	297	211
10	Gujarat	9	60	0	0	1	70	411.5	289.5
11	Daman & Diu	0	9	0	0	0	9	45	29
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**5636**	**236**	**19**	**12**	**5**	**5,908**	**10819.527**	**7498.93**

3. Efforts put up by CAA to promote Registration/Renewal of Aqua farms

CAA has undertaken several initiatives in the recent past in terms of introducing single window application through online, sending letters to District Collectors, Secretaries of Fisheries, conducting awareness programmes in coastal States and sensitizing farmers, advising farmers through public notices in leading and vernacular dailies to expedite the process of registration.

- For expediting the process of registration, letters were sent to District Collectors and Secretaries of Fisheries of various coastal States.
- Farmers have been advised through public notices in leading newspapers, CAA website as well as through SLCs/DLCs on the need for farm registration/renewal coastal aquaculture farms with CAA and the consequences to be faced if not registered.
- Awareness on registration/renewal of farms for undertaking farming of shrimp (*P.monodon, SPF L. vannamei*), finfishes, crabs, etc., are created by CAA through awareness programmes conducted in coastal States and through sensitizing the farmers by CAA monitoring team during their field visits.











- Organizing workshops/participation in workshops/awareness programmes and exhibitions connected with coastal aquaculture organized by related institutes, State Fisheries Department, DLCs by power point presentations as well as by distribution of brochures/handout prepared in local languages to aqua farmers and related stakeholders illustrating the importance of registration/renewal coastal aquaculture farms displayed in posters. Farmers also educated about the provision for punishment/penalty, if the farms for aquaculture purpose are not registered with CAA.
- Destroy/disposal of the stock from unapproved farms by the Inspection Team.
- Single application system for registration of new farms by online system in consultation with NIC is in the final stage for introduction.

III. SPF *Litopaneus vannamei* Farming

i) Meeting of the Technical Evaluation Committee on import of broodstock - Selection of SPF *L. vannamei* Broodstock Suppliers

ii) Import of SPF *L.vannamei* broodstock and seed production in the year 2017-18

- CAA grants approvals for import of SPF *L. vannamei* broodstock and seed production in bio secured hatcheries and also for farming SPF *L. vannamei* in biosecured farms. CAA also regularly conducts inspection of the hatcheries and farms. Monitoring of hatcheries and farms is carried out to ensure that the quality of wastewater discharged from the ETS conform to the standards prescribed by CAA.
- After scrutinizing all the applications received from the hatchery operators for issuance of new registration, the Inspection Committee constituted by the CAA inspected the hatcheries to evaluate their facilities and ascertain their suitability. On the basis of the report of the Inspection Committee, 18 new hatcheries (five in Tamil Nadu, nine in Andhra Pradesh, 2 in Gujarat and 2 in Odisha) were given approval by the Authority (in the 52nd to 57th meeting) for import of broodstock and seed production of SPF *L. vannamei* during 2017-18 and LoPs were issued for all the 18 hatcheries to import broodstock.

- As per the recommendation of the committee constituted for granting permission to hatcheries, Letters of Permission were renewed for all the **21** hatcheries approved during 2016-17.





- LoPs for the 18 new hatcheries were approved along with approval of hatcheries during the 52nd to 57th meetings of the Authority held during the current year.
- Registration of a hatchery in Andhra Pradesh has cancelled due to sold of hatchery. (Hatchery was registered in 2016-17)
- Altogether, Letters of Permission have so far been issued to 298 hatcheries(65 in Tamil Nadu, 220 in Andhra Pradesh, six in Odisha, six in Gujarat and one in Karnataka) with production capacity of 29,155 million post larvae per annum and they were permitted to import 7,36,600 numbers of SPF *L vannamei* broodstock for the year 2017-18. The validity of the LoP is up to 31.03.2018. The State-wise details of the approved hatcheries with their production capacity are presented in Table 7, their distribution on percentage in depicted in Figure 20 and the district-wise distribution is shown in Figure 21.

iii) Performance of SPF *L vannamei* Hatcheries during 2017-18

The performance of SPF *L vannamei* hatcheries assessed based on the data on import of broodstock and seed production provided by the hatchery owners in their quarterly reports revealed that:

- The total number of broodstock permitted during 2017-18 was 7,36,600 numbers for all the 298 hatcheries with a minimum production potential of 29,155 million SPF seeds. It is estimated from reports received from the hatcheries, that a total of 5,834.686 million seed (Post Larvae) were produced from 1,19,163 numbers of broodstocks during the year and supplied to the registered shrimp farmers. The hatcheries have produced about 22037.29 million nauplii through 1,90,255.6 spawning and the average survival rate from nauplii to PL shown in the States is estimated at 26.5%.
- The number of *L. vannamei* hatcheries have grown steadily with nine from the commencement of the programme (July 2009) and reached a level of 298 hatcheries

within a period of nine years (March 2018), with a production capacity of 29,155 million seeds.

- Andhra Pradesh retained the first position in development and registration of SPF *L. vannamei* hatcheries during the current year too with 220 hatcheries and producing 4485.626 million post larve and sale of 3,272.086 million seeds which is 76.48% of the seed sold in the country. The production is through 97,340 numbers of broodstocks and releasing of 15,338.5 million nauplii through 1,27,873 spawnings.













- Tamil Nadu retained the second position with 65 registered *L. vannamei* hatcheries producing 1,110.36 million post larve and supply of 809.51 million seeds(18.9% of the seed sold in the country)during the year. The production is through 18,177 number of disease free broodstock. State produced 5,997.79 million nauplii through 61,524.6 spawning and achieved a production of 1,110.36 million with survival rate of 18.5% from nauplii to post larvae.
- All the six hatcheries in Odisha acquired 1,740 broodstocks, much lower than the allotted numbers of 14,400(12.08%) during the year. They reported production of 166.7 million post larvae from 257.5million nauplii with a survival rate of 64.7% from nauplii to post larvae.
- All the six hatcheries in Gujarath obtained 1000 numbers of broodstocks which is 7.81% of the allotted broodstock during the year. However, they could produce 15.5 million post larvae from 130.5million nauplii with a survival rate of 11.9% from nauplii to post larvae.
- The single *L. vannamei* hatchery registered in Karnataka with production capacity of 60 million per annum has imported 906 million pathogen free broodstock which is 56.625% of allotted broodstock. It reported production of 56.5 million seeds from 313 million nauplii with the survival rate of 18.1% from nauplii to PL.
- The performance of SPF *L. vannamei* seed production based on the data provided by the hatchery owners through their quarterly reports is presented in **Table 8.**

Table 8: Performance of SPF *L.Vannamei* Hatcheries during 2017-2018 (State-wise)

Sl. No.	State	No of hatcheries permitted	Production capacity (million)	No of broodstocks permitted	Performance Indicators					
					No of Broodstocks (Imported & from RGCA)	Total no of spawning	Total No of Nauplii Produced (million)	Total No PL Produced	Average survival rate from Nauplii to PL(%)	Total No of seeds (PL) sold (Million)
1	Andhra Pradesh	220	22,589	1,41,600	97,340	127873	15,338.5	4485.626	29.2%	3272.086
2	Tamil Nadu	65	5,429	5,66,200	18,177	61524.6	5997.79	1110.36	18.5%	809.51
3	Gujarat	6	495	12,800	1000	856	130.5	15.5	11.9%	11
4	Odisha	6	582	14,400	1,740	2	257.5	166.7	64.7%	166.7
5	Karnataka	1	60	1600	906	0	313	56.5	18.1%	18.76
Total		298	29,155	7,36,600	1,19,163	1,90,255.6	22037.29	5834.686	26.5%	4278.056

iv) Growth of SPF *L vannamei* Hatcheries in India

Remarkable growth in *L.vannamei* hatcheries was achieved in India within a short span of eight years. The number of *L.vannamei* hatcheries have grown steadily with nine from the commencement of the programme (July 2009) and reached a level of 298 during March 2018, with a production capacity of 29,155 million seeds/annum.

Seed production has also increased considerably from 310.69 million during 2009-10 to 5834.686 million during 2017-18 by the approved hatcheries. The State of Andhra Pradesh contributed considerably to the fast growth starting with six hatcheries during 2008-09 to 220 during 2017-18 followed by Tamil Nadu with three during 2008-09 to 65 in 2017-18. While the number of hatcheries in Gujarat increased from one in 2008-09 to six during 2017-18 and in Odisha number of hatcheries increased from two in 2008-09 to six during 2017-18. During the current year, no hatcheries have been approved in Karnataka.

The growth of SPF *L. vannamei* hatcheries approved by CAA since inception (July 2009) up to 59th meeting (March 2018) in the country is presented in **Table 9** and the State-wise growth in hatcheries and seed production during the period is depicted in Figures.

Growth of Hatcheries

Year	Tamil Nadu	Andhra Pradesh	Gujarat	Odisha	Karnataka	Total
2008-09	3	6	0	0	0	9
2009-10	8	15	1	0	0	24
2010-11	15	29	1	0	0	45
2011-12	20	31	2	0	0	53
2012-13	25	76	2	0	0	103
2013-14	27	85	3	0	0	115
2014-15	43	135	3	1	1	183
2015-16	54	198	3	3	1	259
2016-17	60	211	4	4	1	281
2017-18	65	220	6	6	1	298

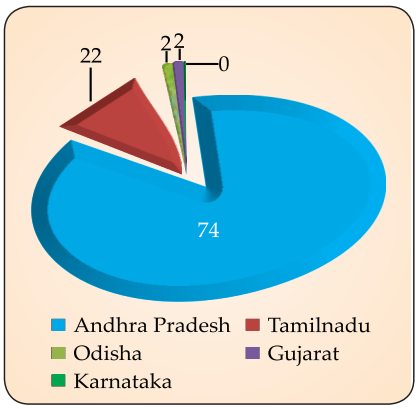


Figure 12 : State-wise distribution of L. vannamei hatcheries

Registration of single hatchery in Andhra Pradesh was cancelled due to its sale

In order to facilitate the hatcheries to enhance production of improved quality SPF *L. vannamei* seeds, CAA has implemented the following measures:

- Amendment to guidelines at Annexure-1 of CAA Rules, 2005 regarding registration of hatcheries was issued by DAHD&F so as to include all shrimp hatcheries (including *P. monodon*) in the coastal areas by the Coastal Aquaculture Authority.
- Simplified the procedures for registration of hatcheries by granting approvals based on the recommendation of the Inspection Team immediately after inspection prior to placing it for the approval of the Authority and to obtain ex-post facto approval by the Authority to avoid delay in issue of LoPs.

- Introduced single window system for issuance of LoPs to hatcheries to dispose with the issue of LoP every year by which the DAHD&F issues SIP as per the recommended capacity of each hatchery as indicated in the Registration Certificate.
- Advocated the use of CAA approved antibiotic-free aquaculture inputs only in seed production to augment supply of good quality antibiotic-free seeds to ensure food safety in the cultured produce.
- Continued approval of consortia of hatcheries based on the production capacity of the lead hatchery to help the partner hatcheries (which have poor maturation performance) to get the nauplii production done at the lead hatchery of the consortium.

Registration of Artemia Hatchery

First project of Artemia Hatchery introduced in India has been approved by the Coastal Aquaculture Authority in 2017-18.

Artemia hatchery is located in the coastal district of East Godavari, Andhra Pradesh.

After the inspection of hatchery and required facility by Inspection Team, CAA approved the registration of Artemia Hatchery project proposed by M/S I & V Bio India Private Limited located at Vemavaram village, East Godavari district, Andhra Pradesh in July 2017.

v) Consortium of Hatcheries

In order to help the hatcheries having lesser production facility, the CAA introduced the concept of consortium of hatcheries which will enable the small hatcheries to import SPF *L vannamei* broodstock jointly with the lead hatcheries and have AQF facility combined together at a lesser cost.

vi) Registration of Nauplii Rearing Centres (NRCs)

NRCs are concentrated mainly in the coastal states of east coast. Based on the recommendation of Inspection Team, the CAA has registered 31 new Nauplii Rearing Centres in Andhra Pradesh and Tamil Nadu during the current year. Out of 31 hatcheries, 26 hatcheries are located in Andhra Pradesh and five hatcheries are in Tamil Nadu.

East Godavari district in Andhra Pradesh has registered highest number of 15 NRCs with the production capacity of 885 million followed by Nellore which has four NRCs with the production capacity of 270 million. Prakasam district has registered three NRCs with the production capacity of 415 million and one each in Visakhapatnam, Viziayanagaram, Krishna and Guntur districts with the production capacity of 100 million, 60 million, 60 million and 80 million respectively.

Five NRCs registered in Villupuram district of Tamil Nadu has the production capacity of 1,615 million.

Production capacity of 31 registered NRCs during 2017-18 is 3,485 million.

No NRCs have been registered in the west coast during 2017-18 whereas in 2016-17, one Nauplii Rearing Centre has been registered in the west coast of Gujarat.

List of NRCs Approved Hatcheries in 2017-18

S. No.	State	District	No of NRCs permitted in 2017-18	Capacity(in millions)
1	Tamil Nadu	Villupuram	5	1615
2	Andhra Pradesh	Prakasam	3	415
		East Godavari	15	885
		Nellore	4	270
		Visakhapattinam	1	100
		Viziayanagaram	1	60
		Krishna	1	60
		Guntur	1	80
Total			31	3485

List of NRCs Approved Hatcheries during 2015-18

S. No.	State	District	No of Hatcheries Permitted			Capacity(in millions)			Dist wise Total
			2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18	
1	Andhra Pradesh	East Godavari	1	6	15	40	675	885	1600
		Prakasam	2	1	3	125	40	415	580
		Nellore	0	1	4	0	70	270	340
		Visakhapattinam			1			100	100
		Viziayanagaram			1			60	60
		Krishna			1			60	60
		Guntur			1			80	80
2	Tamil Nadu	Villupuram	1	1	5	100	30	1615	1745
3	Kerala	Ernakulam	1			2			2
4	Gujarat	Somnath		1			100		100
Total			**5**	**10**	**31**	**267**	**915**	**3,485**	**4,667**

vii) Permission to shrimp farms to culture SPF *L vannamei*

The proposals received from farmers for taking up SPF *L. vannamei* culture were perused and the farms were inspected by the Inspection Team constituted by CAA for the following bio security requirements essential for SPF *L. vannamei* culture. After verification by the team permission has been granted:

i) Peripheral fencing of farms
ii) Crab fencing
iii) Water intake reservoirs
iv) Installation of bird netting/bird scares
v) Effluent Treatment System (ETS)

viii) State-wise performance of SPF *L vannamei* farming

During the year under report (2017-18), the Authority has registered 749 farms with total area of 1,019.94 ha and WSA of 636.04ha, of which Odisha ranked 1st with the registration of 727 farms having total area of 980.09ha and WSA of 609.99ha, Tamil Nadu ranked 2nd with the registration of 12 farms with total area of 17.95ha and WSA of 11.26ha followed by Pondicherry with the registration of 7 farms having 10.32ha and WSA of 6.49ha. Goa has one farm with the total area of 2ha and WSA of 1.80ha.

Table : State-wise details of permission of SPF *L. vannamei* permitted farms since inception (December 2009) up to 59th meeting (March 2018)

S. No.	State	No of Farms	TFA(ha)	WSA(ha)
1	Andhra Pradesh	702	6,238.50	4,289.81
2	Tamil Nadu	176	1171.84	810.52
3	Gujarat	97	1075.88	769.69
4	Maharashtra	53	1237.71	749.23
5	Karnataka	24	72.68	56.97
6	Odisha	1359	2554.94	1597.79
7	Goa	8	40.11	28.61
8	Pondicheryy	9	30.43	20.84
9	Daman & Diu	3	60.00	38.40
10	West Bengal	1	3.00	2.00
11	Kerala	2	32.56	20.46
	Total	2,434	12,517.65	8,384.32

State-wise details of permission of SPF *L. vannamei* farms from April 2017 to March 2018

S. No.	State	No of Farms	TFA(ha)	WSA
1	Andhra Pradesh	0	0	0
2	Tami Nadu	12	17.95	11.26
3	Gujarat	0	0	0
4	Maharashtra	2	9.58	6.50
5	Karnataka	0	0	0
6	Orissa	727	980.09	609.99
7	Goa	1	2.00	1.80
8	Pondicherry	7	10.32	6.49
9	Daman & Diu	0	0	0
10	West Bengal	0	0	0
11	Kerala	0	0	0
	Total	**749**	**1,019.94**	**636.04**

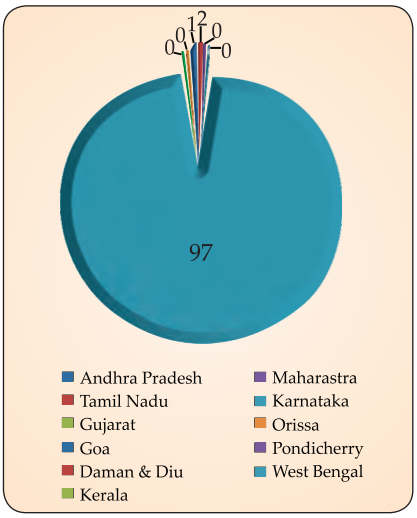


Figure 14 : Percentage distribution of CAA approved *L. vannamei* farms for the year 2017-2018

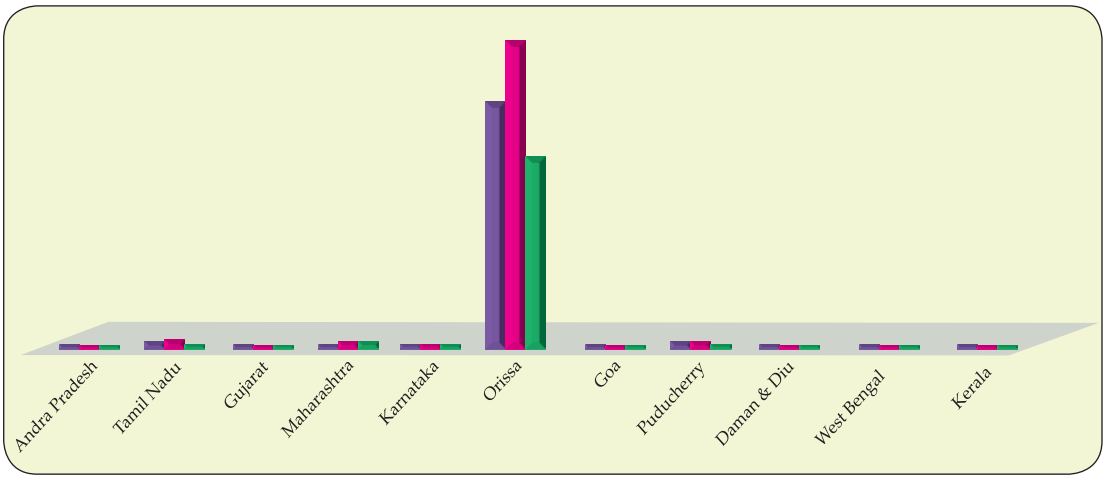


Figure 14 : Details of L. vannamei farms permitted in the current year

CAA has so far registered and issued LoPs to 2,434 SPF *L vannamei* farms till March 2018, covering a total area of 12,517.65 ha and WSA of 8,384ha, the State-wise details of the farms are presented in Table, their percentage distribution is depicted in Figure and area-wise distribution in different States is depicted in Figure

State-wise details of SPF *L. vannamei* farms from April 2015 to March 2018

Sl. No.	Name of the State	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
		No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	87	1236.32	815.44	192	2442.23	1648.69	321	4062.03	2767.58	580	5536.61	3826.88	585	5666.5	3900.71
2	Tamil Nadu	6	90.14	55.41	38	414.35	258.82	79	691.24	472.6	113	986.54	675.05	123	1044.82	718.17
3	Gujarat	4	146	77.99	10	271	174.99	28	443.5	303.55	39	547.87	377.96	51	651.87	453.17
	Maharashtra	10	272.47	168.62	13	424.47	260.12	16	514.11	291.12	29	997.9	599.97	36	1133.03	684.38
4	Karnataka	0	0	0	16	47.04	37.38	17	47.98	38.18	17	47.98	38.18	18	56.3	43.13
5	Odisha	0	0	0	5	140.08	83.78	5	140.08	83.78	16	218.24	132.64	79	488.36	286.5
6	Goa	0	0	0	1	5.6	2.8	1	5.6	2.8	4	23.91	16.71	6	31.11	22.09
7	Puducherry	0	0	0	0	0	0	1	17.07	11.85	1	17.07	11.85	1	17.07	11.85
8	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60	38.4	3	60	38.4
9	West Bengal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2
10	Kerala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**107**	**1744.93**	**1117.46**	**275**	**3744.77**	**2466.58**	**468**	**5921.64**	**3971.46**	**802**	**8436.12**	**5717.64**	**903**	**9152.06**	**6160.4**

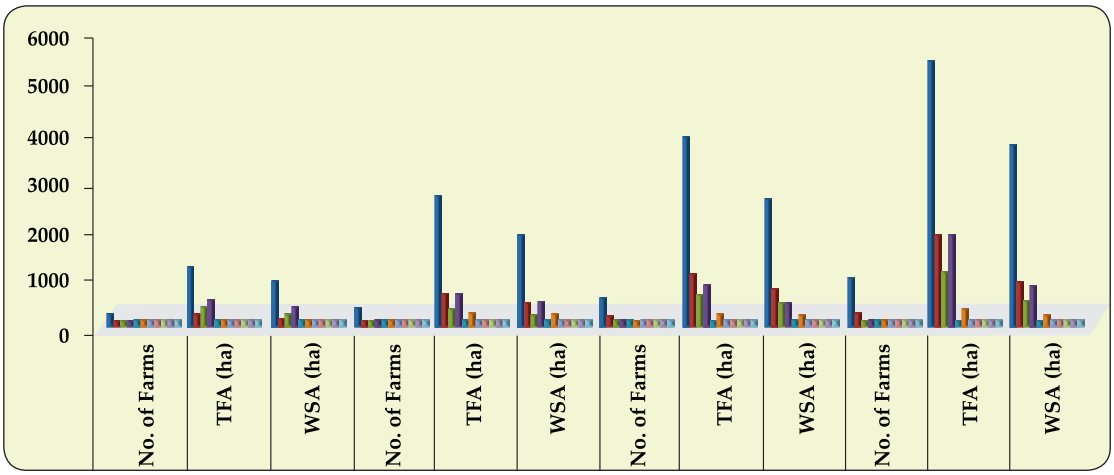


Fig. 19 State-wise growth of *L. vannamei* farms during December 2009 to March 2013

Sl. No.	Name of the State	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18		
		No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	645	5997.32	4131.25	699	6159.65	4244.01	702	6238.5	4289.81	0	0	0
2	Tamil Nadu	147	1123.82	776.03	164	1153.89	799.26	164	1153.89	799.26	12	17.95	11.26
3	Gujarat	86	904.51	638.29	97	1075.88	769.69	97	1075.88	769.69	0	0	0
4	Maharashtra	46	1192.5	724.51	51	1228.13	742.73	51	1228.13	742.73	2	9.58	6.50
5	Karnataka	24	72.68	56.97	24	72.68	56.97	24	72.68	56.97	0	0	0
6	Odisha	115	584.32	359.59	148	699.5	430.59	632	1574.85	987.8	727	980.09	609.99
7	Goa	6	31.11	22.09	7	38.11	26.81	7	38.11	26.81	1	2	1.80
8	Puducherry	2	20.11	14.35	2	20.11	14.35	2	20.11	14.35	7	10.32	6.49
9	Daman & Diu	3	60	38.4	3	60	38.4	3	60	38.4	0	0	0
10	West Bengal	1	3	2	1	3	2	1	3	2	0	0	0
11	Kerala	1	29.26	18.56	1	29.26	18.56	2	32.56	20.46	0	0	0
	Total	1076	10018.6	6782.04	1197	10540.21	7143.5	1685	11497.71	7748.28	749	1019.94	636.04

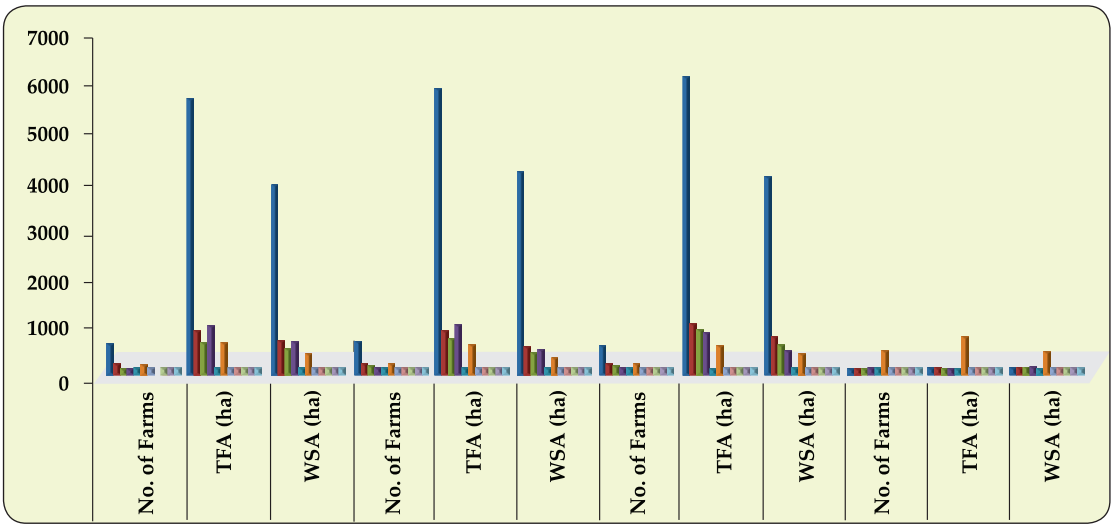


Fig. 20 State-wise growth of *L. vannamei* farms during April 2013 to March 2018

Year	TFA (ha)	WSA (ha)
2009-10	1745	1117
2010-11	3745	2467
2011-12	5922	3971
2012-13	8436	5718
2013-14	9152	6160
2014-15	10019	6782
2015-16	10540	7144
2016-17	11498	7748
2017-18	1020	636

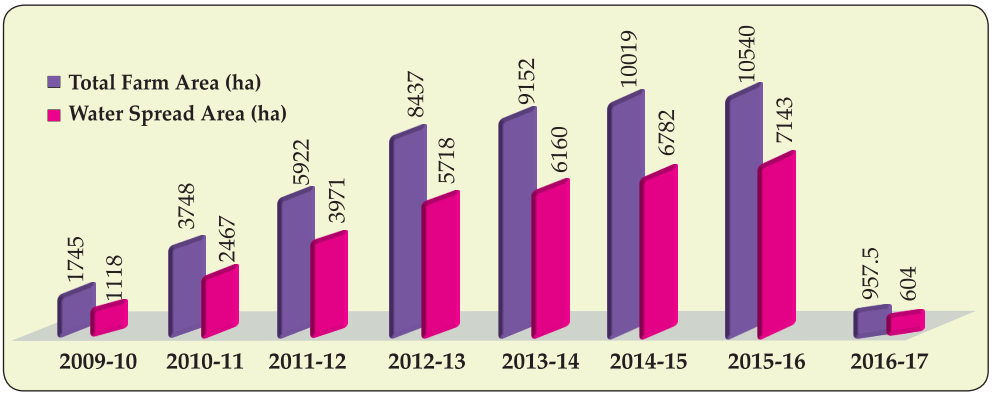


Fig. 18 Growth of L. vannamei farms in terms of area during the year 2009-10 to 2017-18

The growth of *L vannamei* farms in terms of number of LoPs issued in all coastal states during the years 2009-10 to 2017-18 is presented in Table. The country witnessed a fast growth in farming too, starting initially with 107 farms with total farm area of 1,744.9 ha during 2009-10 which has grown steadily to 2,434 farms with total area of 12,517.65ha and water spread area of 8,384.32ha during 2017-18 within a period of nine years.

The state of Odisha contributed much to the growth and attained 1st place starting with five farms with total farm area of 140.08 ha and water spread area of 83.78 ha during 2010-11 and reaching a level of 727 farms with total farm area of 980.09 ha and water spread area of 609.99ha during 2017-18 followed by Tamil Nadu with 6 farms(TFA 90.14 ha and WSA 55.41ha) during 2009-10 to 176 farms(TFA1,171.84ha and WSA 810.52ha) during 2017-18 and Puducherry(3rd place) with one farm having total area of 17.07ha and water spread area of 11.85ha to seven farms having 10.32ha and 6.39ha during 2017-18. The growth in terms of total as well as water spread is depicted in Figure and the State-wise growth during the period is given in Figure . The district-wise distribution of *L vannamei* farms as on March 2018 is given in Figure.

In order to facilitate faster processing of proposals received from farmers for taking up SPF L vannamei culture and issuance of CAA registration to cope up with the faster development in the sector, CAA constituted District Level Teams(DLTs) in the coastal States to inspect farms having water spread area below 5ha and to recommend eligible cases to CAA after verifying the essential bio security requirements.

On the basis of the recommendations of the Inspection Team and District Level Teams, further processing is done at the level of Member Secretary CAA, after which the proposals are placed before the Authority for consideration. After the approval by CAA, the farms are registered and LoPs are issued to the farmers.

ix) Cluster Farming of SPF *L. vannamei*

To help the small scale farmers having common ETS, creek source and to take up SPF *L vannamei* cultivation, CAA introduced the concept of Cluster Farming System. Out of 2,434 farms

x) Action on various complaints against Shrimp Farming

a) Action taken against unauthorised hatcheries

Closure order issued to M/S Shanthi Hatchery of Andhra Pradesh as the hatchery has indulged in seed production of *L vannamei* without approval of the CAA.

b) Action taken against registered hatcheries for non-compliance of CAA guidelines

The Competent Authority in the CAA had issued closure notice for 43 hatcheries which operated without necessary registration with the CAA/which are not complied with

the CAA guidelines in the East Godavari district. Out of 43, 39 hatcheries were closed. Remaining 3 hatcheries could not be closed as, one hatchery not in existence(U Kohtapalli), other hatchery at Thondangi shut down, another two have obtained permission from CAA, Chennai, U Kohtapalli).

District Administration has taken necessary action for the closure of six unauthorised hatcheries. Three hatcheries were seized by District Administration.

1) M/S Vinayaka Hatchery, Tupulipalem(V), Vakadu(M)
2) M/S Auditya Hatchery, Katepalli(V), T P Gudur
3) M/S A-Star Hatchery, Mypadu(v), Indukurpeta(M)

Following three hatcheries which are reported as unauthorised by Coastal Aquaculture Authority were later approved by the government of India by stating that they are located outside the Jurisdiction/Purview of Coastal Aqua culture Authority.

1) M/S Seven Hills Hatchery(Unit-II), Kuditipalem(V), Indukurpeta(M)
2) M/S K-Star hatchery(now renamed as Sri Sainadh), Gangapatnam(V), Indukurpet(M)
3) M/S Amma Hatchery, Gangapatnam(V), Indukarpet(M)

CAA has issued closure order for the following one hatcheries

1. M/S Sri Tripureswari Hatchery, G Musalayapetta village, Thondangi Mandal-closure order issued on 7.10.14

xi) Monitoring of *L. vannamei* hatcheries/farms

Regular monitoring of *L. vannamei* hatcheries and farms by the monitoring team authorized by CAA is carried out by visiting the registered farms/hatcheries at regular intervals to avoid negative social and environmental impacts related to farming such as water pollution, spreading of disease, escapes, habitat/social impacts etc to surrounding communities. The status of biosecurity in the hatcheries/farms, production methods, performance, water quality in the culture system, health of seeds/shrimps, environmental problems if any due to the operation are assessed. Waste water sample discharged from the hatcheries and farms were also collected from final discharge point of ETS in order to test and ensure that wastewater parameters conform to the standard prescribed by CAA.

- During the year 2017-18, CAA team monitored 497 hatcheries permitted by the CAA. The production facilities were inspected and the records were also verified. The hatcheries were advised to maintain proper record as per the guidelines issued by the Authority.
- Analysis of water samples collected at the final discharge point of ETS of hatcheries conformed to the wastewater quality standards prescribed by the CAA, where as one hatchery deviated CAA standards. These hatcheries and farms were cautioned by serving Warning Notices. The CAA also directed the owners of the hatcheries

and farms to carry out modifications in their ETS to minimize the impacts of organic load.

- The production facilities were inspected and the record/registers were also verified and the details on the quantity of broodstock imported, their source, mortality if any, spawning, eggs, nauplii, number of post larvae produced/sold, name and address of the farmers to whom the seeds were sold , date and number of the valid CAA registration of hatcheries/farms; quantity of shrimp produced, sold, name and address of the processor to whom sold etc, in farms as detailed in the guidelines were checked. The farmers and hatchery were reiterated to maintain proper records as per the Guidelines and submission of regular reports to CAA as prescribed in CAA Act and Rules. Also, the farmers were advised to adopt responsible, ecologically and economically sustainable aquaculture practices and in the production of safe and quality aquaculture products using CAA registered antibiotic-free aquaculture inputs and good aquaculture practices (GAqPs).

Strict regulation in identifying the broodstock suppliers, the import procedure and the quarantining of the broodstock ensured use of only SPF *L. vannamei* broodstock free from OIE listed pathogen imported in to the country so far. Similarly, approval of hatcheries and farms after ensuring biosecurity facilities as well as regular monitoring etc, ensured that the guidelines are properly implemented for healthy production. Also, the wastewater quality parameters discharged from ETS of farms and hatcheries were monitored to conform to the standard prescribed by CAA. All these efforts have enabled the shrimp farming sector to avoid diseases especially the Early Mortality Syndrome(EMS), though, it has devastated shrimp farms reported to be still persisting in shrimp farms of a few of the neighbouring south east Asian countries.

Action taken against unauthorised *L vannamei* seed production

I. Registration of Antibiotic-free aquaculture inputs

Due to concerns raised by the DAHD&F and Department of Commerce as well as the Seafood Exports over the reported large scale rejection of seafood meant for exports in recent times due to detection of antibiotics in the products, CAA was asked to take strict measures to prevent use of antibiotics in shrimp hatcheries and farms. Following a meeting held with the shrimp feed manufacturers at CAA on 24th July 2015 to develop standards for aquaculture inputs, the issue was further deliberated with the seafood exporters. A public notice to this effect was issued stating that the aqua farmers and hatchery operators will be permitted to use only the registered inputs in their facilities and consequently all manufacturers (indigenous) and distributors(imported) of aquaculture inputs were directed to register each of their product with CAA by submitting test reports to the effect that they are free from the antibiotics of concern viz. Chloramphenicol & Nitrofuran parent compounds and metabolites[Furazolidone-AOZ, Furaltadone-AMOZ, Nitrofuration-AHD and Nitrofurazone(Semicarbazide)-SEM.

During the current year CAA has registered 497 Antibiotic Free Aquaculture inputs in eight categories such as Feed Additive, Probiotic, Larval Feed, Adult Feed, Chemical, Disinfectant, Immunostimulant and Drug the list of which hosted in our website www.caa.gov.in.

Periodical monitoring and testing of samples of the product from market will be done by CAA to keep the product in the active list and in case antibiotics or prohibited chemicals are found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of approved products. Letters in this regard were sent to the Secretary Fisheries of all coastal States informing the said development and requesting them to create awareness among the stakeholders through the concerned Fisheries officials in their States so as to enable the CAA to initiate suitable punitive action. Due to the above actions initiated and as the registration is kept open as continues process, more number of products are expected to be registered soon.

II. Water Quality Monitoring Laboratory

A water quality monitoring laboratory was established in the Technical section of CAA for analysis of the wastewater samples collected from hatcheries and farms during regular monitoring to ensure that they are within the standards of prescribed by CAA. The laboratory is equipped with the installation of instruments such as CHINSO Analyzer, Spectrophotometer, Nitrogen Kjeltec-Distillation Unit, Multiparameter water quality sondes, Millipore titration system, BOD Incubator, COD Analayser and Gas Chromotography-Mass Spectrum with Head Sampler(GC-MS) apart from other equipments required for water quality monitoring in aquaculture system. All the samples collected from shrimp hatchery and farms during regular were analysed for the required water quality parameters pertinent to CAA regulations.

III. Website updation

In order to facilitate the shrimp farmers and hatchery operators to get full details on the modalities for registration and renewal of aquafarms and hatcheries with the required application forms, guidelines on seed production and farming with related information connected therewith, full details on cultured shrimps and other products to the buyers in abroad for traceability, etc. CAA is having a website viz,www.caa.gov.in which is uploaded through National Informatics Centre, Chennai. Database having detailed information about registration and regulation for shrimp hatcheries and farms, broodstock import and aquatic quarantine on *L. vannamei* farming activities are focused. The website also describes the powers and functions of the Authority, Act, Rules, Regulations and Guidelines, recent Notifications relevant to aquaculture as well as the detailed list of CAA members appointed by the central government, besides details on District level and State Level Committees (DLCs and SLCs). Farming activities of other species in practice are also focused with list of banned antibiotics, procedures for biological sampling for testing

antibiotics, wastewater quality standards etc, are also given in user-friendly downloadable format.

The website also contains full details on the modalities for registration and renewal of hatcheries/aquafarms with the required forms, list of shortlisted suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock, quarterly compliance report, reservation of space in aquatic quarantine, details on DLCs and SLCs, list of banned antibiotics, biological sampling for testing antibiotics, wastewater quality standards etc. Given in user-friendly downloadable format. New and latest information are frequently and exigently uploaded periodically in the website.

The new concept of Online Registration of aqua farms through CAA website has progressed considerably which will be ready shortly for use for the benefit of farmers.






IV. Strengthening of Coastal Aquaculture Authority

The Coastal Aquaculture Authority has the jurisdiction to regulate the coastal aquaculture activities in ten coastal States and four coastal Union Territories. A total of 21 staff originally sanctioned by the Central government to the Aquaculture Authority existing in1977 were continued when CAA was established under the statutory provision of CAA Act, 2005. Until 2008, major activity of CAA was registration of shrimp farms, both new and old, with due inspection carried out by the DLCs and SLCs. Since 2009, with the introduction of the exotic shrimp SPF *L. vannamei* in the country, many additional functions such as

correspondence with coastal States, DLCs/SLCs and meetings with stakeholders, handling the technical committee for overseeing the operation of aquatic quarantine, inspection of hatcheries for permitting import of *L. vannamei* broodstock and seed production, inspection of shrimp farms for permitting *L vannamei* culture, continues monitoring of hatcheries and farms to prevent unauthorised breeding/farming of this species, collection/analysis of wastewater released from hatcheries & farms to assess their conformity with CAA standards, usage of banned drugs and chemicals in aquaculture, registration of antibiotic free aquaculture inputs, implementation of Nauplii Rearing Centres(NRC) awareness creation on responsible aquaculture practices, etc, there is urgent need to strengthen the Coastal Aquaculture Authority. In this regard the following proposals were made:

*A proposal, for the establishment of three Regional Centres in the States of Gujarat, West Bengal and Andhra Pradesh with a staff strength of persons and additional posts for strengthening the headquarters at Chennai in Tamil Nadu was submitted to the DAHD&F, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare requesting approval of the government as the aquaculture sector has picked up very fast in these States and there is urgent need to cater to the needs of farmers, hatchery operators and related stakeholders. A detailed proposal with full justification has been prepared for the consideration of the Committee on non-plan expenditure.

*As the efforts put up for allotment of government land to construct a National Headquarters Complex of the Aquaculture Authority established under CAA Act, 2005 at Chennai to accommodate the staff(present and additional posts proposed for strengthening the headquarters) as well as to have a permanent set up for having the laboratory and other facilities did not materialise, a request for allotment of land at Alamaty, Chennai(a unit under Livestock Health Division of DAHD&F) was submitted to the DAHD&F, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Meanwhile the Department of Fisheries, Government of Tamil Nadu has taken into consideration a proposal to allot adequate space for the office of the CAA in one of the floors in their Fisheries Complex under construction at Saidapet, Chennai by issuing a Notification. The allotted space as per the GO was accepted in principle and the meetings held by the Committee identified by the government to indicate the requirements on partition, permanent cupboards/furniture, electrical points/ fittings etc were attended and the actual requirement of CAA provided.

Implementation of official language Hindi in CAA

CAA is promoting implementation of official language by imparting training, celebrating Hindi Week and conducting seminar/workshop etc in Hindi. Officers and staff members actively participated in the following programmes conducted during the year.

V. Outreach Activities of CAA

VI. Activities likely to be taken up during 2017-18

i) Registration

Registration and renewal of coastal aquaculture farms and hatcheries are continues process. It is expected that more coastal aquaculture farms and hatcheries of the country would be registered during the period between April 2017 and March 2018.

ii) Approval for *L. vannamei* culture

About 2,000 ha of additional farm area is proposed to be brought under *L. vannamei* culture with CAA registration.

iii) Inspection and Monitoring

Periodic monitoring of the facilities, especially the quality of wastewater discharged from shrimp farms and hatcheries are to be taken up to ensure meeting of the standards prescribed the Authority.

iv) Approval for Antibiotic-free Aquaculture Inputs

As the registration is kept open as continues process and also various activities initiated at the level of Secretary Fisheries of all coastal States, more number of products are expected to be registered.

v) Awareness Programmes

Awareness programmes relating to environment protection, suitable development of coastal aquaculture activities and good aquaculture practices are to be organised.

vi) Advertisement and Publication

Public notices are to be issued on important matters from time to time to caution stakeholders on unauthorised activities and for taking precautionary measures to avoid occurrence of disease.

vii) Trainers Training Programme

More numbers of Trainers Training Programmes similar to those conducted during 2017-18 will be conducted for officials of Fisheries Department of coastal States too.

viii) Preparation of Manuals/Brochures

The compendium on Coastal Aquaculture Authority Act, Rules and Guidelines would be further edited incorporating all the Regulations, Guidelines and notifications issued by the Ministry in some local languages.

ix) Workshops and Meetings

Stakeholder meetings would be organized for addressing the problems encountered in the coastal aquaculture activities, where experiences of various groups on technological improvements and other aspects, would also be shared.

CAA would be participating in workshops, exhibitions, seafood fairs, Krishi Mela and aqua shows organised by other agencies on coastal aquaculture activities, whenever possible.

x) Capacity building

Training and study visits would be organised for technical and administrative staff for the effective implementation of regulatory measures as well as for improving the knowledge in their sphere of work.

ANNEXURE

Annual Accounts of CAA for the year 2017-18

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

BALANCE SHEET AS AT 31-03-2018

(Amount - Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILIITES			
CORPUS /CAPITAL FUND	1	11,988,499	15,831,742
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	2	55,642,225	42,083,237
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	3	3,727,958	2,366,463
TOTAL		**71,358,682**	**60,281,442**
ASSETS			
FIXED ASSETS	4	9,581,910	10,970,272
INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	5	2,829,831	2,642,503
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	6	58,946,941	46,668,667
TOTAL		**71,358,682**	**60,281,442**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	14		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	15		

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Director (Tech)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31-03-2018

(Amount - Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Grants/ Subsidies	7	19,791,100	34,269,650
Fees/Subscriptions	8	190	140
Income from Investments (Income on Invest from earmarked/endow.Funds transferred to Funds)	9	-	-
Interest Earned	10	437,280	1,796,272
Other Income	11	79,714	6,926
TOTAL(A)		**20,308,284**	**36,072,988**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	12	13,718,377	23,882,555
Other Administrative Expenses etc.	13	9,244,788	12,190,433
Expenditure on Grants, Subsidies etc.,		-	-
Depreciation	4	1,597,262	1,996,379
TOTAL(B)		**24,560,427**	**38,069,367**
Balance being excess/(shortage) of Income over Expenditure (A-B)		**(4,252,143)**	**(1,996,379)**
Prior Period Items			
- Telephone		-	39,782
- Postage and telegram		200,000	-
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to / from General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS / (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		**(4,052,143)**	**(1,956,597)**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	14		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	15		

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Director (Tech)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2018

Receipts	(Amount-Rs.)		Payments	(Amount-Rs.)	
	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
1. **Opening Balances**			**I. Expenses**		
a) Cash in hand	-	-	a) Establishment Expenses	12,869,658	13,280,531
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses	8,354,749	11,527,130
i) In current accounts	-	-			
ii) In deposit accounts	-	-	**II. Payments made against funds for various projects**		
iii) Savings accounts	33,856,687	18,072,300	(Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project)	-	-
II. Grants Received			**III. Investments and deposits made**		
a) From Government of India-					
Capital Receipts	208,900	15,446	a) Out of Earmarked/ Endowment funds	-	-
Revenue Receipts	19,791,100	37,984,554	b) Out of Own Funds	-	-
b) From State Government	-	-			
c) From Other Source	-	-	**IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital work-in-Progress**		
(Grants for capital & revenue exp to be shown separately)			a) Purchase of Fixed Assets	208,900	15,446
			b) Expenditure on Capital Work-in-progress	-	-

III. Income on Investment from			**V. Refund of surplus money/loans**		
a) Earmarked/ Endowment Funds (FDR Interest)	-	-	a) To the Government of India	-	-
b) Own Funds (other Investment)	-	-	b) To the State Government	-	-
IV. Interest Received					
a) On Bank deposits	437,280	1,796,272	**VI. Finance Charges (Interest)**		
b) Loans, Advances etc.	-	-			
c) On Earmarked fund	1,783,253	-	**VII. Other Payments (Specify)**		
			a) Earnest Money Deposit	-	455,389
V. Other Income (Specify)			b) Performance security Deposit Refund	-	-
Rebate from PO	3,474	-	c) Bank charges (earmarked fund)	454	-
Misc Income	1,729	-	d) Prepaid Expenses	-	-
Festival Advance	-	18,000	e) Expenditure out of Earmarked fund	-	-
RTI Fees	190	140	f) Medical Advance	-	-
MTS Application Fees	-	-	g) LSPC/ CPC arrears	126,556	-
Refund of deposit - CPWD CCD	-	482	h) Post Master	-	400,000
Sale of scrap	-	1,860	i) Stamps in Hand	3,000	20,000
Share of parliament expenditure - Epfo	74,511		j) Bonus payable	69,080	-
VI. Amount Borrowed			k) Travelling expenses for Inspection	-	957,369
D.D.O	-	-	l) Sundry Creditors	-	78,505
			m) TDS	1,109,049	1,344,844
VII. Any other receipts (give details)			n) NPS - K Srinivasan Babu	-	20,620
Earnest Money Deposit	-	-	o) Professional Tax	29,019	29,565

Festival Advance Recovery	-	-	p) Indirect expenses	92,516	132,723
Stamps in Hand	-	26,040	q) Salary payable	-	1,154,155
Letter of Credit	-	-	s) Processing fee (LV hatchery) refunded	210,000	
Endowment Fund (Processing Fees)	4,010,750	7,695,850			
Application Fees - 30%	197,190	303,583	**VIII. Loans and Advances**		
State Fisheries- Andhra Pradesh	-	-	a) Advance for Meeting	59,000	40,000
Security Deposit	-	-	b) Advance for crockeries	10,000	-
Feed Products	6,840,000	5,180,750	c) Advance for Training	-	60,000
NPS - K Srinivasan Babu	175,830	20,773	d) Advance towards Vehicle Hiring	-	5,000
Professional tax	-	13,140	e) Advance for republic day	20,000	-
TDS	1,109,049	1,344,844	f) Advance for diesel(generator)	-	-
Muthu Soft labs	31,194		g) Advance for audit	15,000	-
Fund Transfer from CPF, GPF, Pension A/c		8,000	h) Advance for stamps	10,000	-
			i) Advance for hindi seminar	5,000	-
Advance Refund			j) Advance for MS seal	1,700	-
a) Advance for Meeting	1,607	12,499	k) Advance for pooja expenses	-	-
b) Advance towards Vehicle Hiring	-	1,010	l) Advance for staff welfare	62,000	25,000
c) Advance for crockeries	11	-	m) Advance for travelling / tour expenses	328,950	145,968
d) Advance for audit	89	-	n) LTC Advance	-	218,764
e) Advance for republic day	4,950		o) Advance for consultant & Programmer Interview	160,000	180,000

f)Advance for hindi seminar	127	-	p) Advance for Telephone	1,000	5,000
g)Advance for stamps	5,000	-	q)Advance for Contingent expense	17,000	5,000
h) Advance for Travelling / Tour Expenses	65,927	23,063	r) Advance for repair and maintenance	8,000	12,000
i) LTC Advance	-	-			
j) Advance for repair and maintenance	357	595	***Fund Transfer to CPF, GPF,Pension A/c***		8,780,247
k) Advance for consultant and programmer deposit	139,962	137,197	**IX. Closing Balances**		
l) Advance for contingent expense	5,185	3,870	a) Cash in hand	-	-
m) Advance for staff welfare	2,923	11,664	b) Bank Balances		
n) Advance for telephone	251	800	i) In current accounts	-	-
o) Advance for MS seal	670		ii) In Deposit accounts	-	-
			iii) Savings accounts	45,360,998	33,856,687
Direct Expenses reversal					
a) Establishment Expenses	382,128	20,239			
b) Administrative Expenses	1,305	56,972			
Total	**69,131,629**	**72,749,943**	**Total**	**69,131,629**	**72,749,943**

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Director (Tech)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2018

(Amount - Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND		
Balance at the Begning of the year	15,831,742	14,057,989
Add : Grant received towards Corpus/Capital Fund	208,900	15,446
Add : Grant unspent as on 31.03.2018 transferred to corpus	-	3,714,904
	16,040,642	17,788,339
Less :Expenditure Over Income transferred from the Income & Expenditure A/c	(4,052,143)	(1,956,597)
Add: Excess of Income over Expenditure Transferrerd from Income & Expenditure A/c		-
BALANCE AS AT THE YEAR - END	**11,988,499**	**15,831,742**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2018

	FUND-WISE BREAK UP												TOTALS	
SCHEDUEL2 - EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS :	**Farm Registration Fees**	**Processing Fees (L.V Farms)**	**Processing Fees (L.V Hatchery)**	**General Provident Fund**		**Contributory Provident Fund**		**Pension Fund**		**Interest**	**Feed Products**	**Expense out of Earmarked Fund**	**Current Year**	**Previous**
				IOB	**Indian Bank**	**IOB**	**Indian Bank**	**IOB**	**Indian Bank**					
a) Opening balance of the funds	1,287,306	7,650,379	16,287,350	2,383	2,110,773	1,918	433,983	24,796	9,827,033	914,124	10,030,750	(6,487,558)	42,083,237	20,770,053
b) Addition to the Funds:													-	-
i.Donations/grants	-												-	-
ii. Income from Investment made on account of Earmarked funds	-	-	-							-			-	188,480
iii Fees	197,190	317,150	3,483,600								6,840,000		10,837,940	13,180,183
iv Contributions					231,000		85,420		1,184,698				1,501,118	8,780,247
v Interest receipts				33	136,444	16	22,344	904	347,562	1,970,127			2,477,430	224,548
TOTAL (a+b)	**1,484,496**	**7,967,529**	**19,770,950**	**2,416**	**2,478,217**	**1,934**	**541,747**	**25,700**	**11,359,293**	**2,884,251**	**16,870,750**	**(6,487,558)**	56,899,725	43,143,511
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds														
i. **Capital Expenditure**														
- Fixed Assets	-	-	-	-		-		-					-	-

	FUND-WISE BREAK UP												TOTALS	
SCHEDUEL2 - EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS :	**Farm Registration Fees**	**Processing Fees (L.V Farms)**	**Processing Fees (L.V Hatchery)**	**General Provident Fund**		**Contributory Provident Fund**		**Pension Fund**		**Interest**	**Feed Products**	**Expense out of Earmarked Fund**	**Current Year**	**Previous**
				IOB	**Indian Bank**	**IOB**	**Indian Bank**	**IOB**	**Indian Bank**					
- Others - Settlement	-	-	-	-	1,257,500			-					1,257,500	-
Total	-	-	-	-		-		-					-	-
													-	-
ii. **Revenue Expenditure**													-	-
- Salaries, Wages and Allowances etc.	-	-	-	-		-		-					-	-
- Travelling Expenses on Inspection of Farms etc	-	-	-	-		-		-					-	1,060,274
- JIFSAN Training Expenses	-	-	-	-		-		-					-	-
- Seminar/conference etc Expenses	-	-	-	-		-		-					-	-
Total	-	-	-	-		-		-					-	-
d) Transferred to Indian Bank account													-	-
TOTAL (c)	-	-	-	-	1,257,500	-	-	-	-	-	-		1,257,500	1,060,274
NET BALANCE AS AT THE YEAR - END (a+b-c)	**1,484,496**	**7,967,529**	**19,770,950**	**2,416**	**1,220,717**	**1,934**	**541,747**	**25,700**	**11,359,293**	**2,884,251**	**16,870,750**	**(6,487,558)**	**55,642,225**	**42,083,237**
Notes														
1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants. 2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds														

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2018

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 3 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS				
A. CURRENT LIABILITIES				
1.Acceptances				
2. Sundry Creditors:				
i) For Goods	-	-	-	-
ii) Others		**31,194**		
a. Muthu soft labs	31,194			
3. Performance Security Deposit		**3,662**		**-**
a) Aishwarya Construction	3,662		-	
4.Earnest Money Deposit		**50,000**		**50,000**
a) Merit Enterprises	-		-	
b) Orbit Tecnologies	-		-	
c) Day N Day services(P) Ltd	30,000		30,000	
d) Bio-incorp/Agilent Technology	-		-	
e) Siva Cabs	-		-	
f) Broadline	5,000		5,000	
g) Muthu Soft Labs	5,000		5,000	
h) Nucum Technology	5,000		5,000	
i) Sri Vignesh Cabs	5,000		5,000	
5. Interest accrued but not due on :				
a) Secured Loan/borrowings				
b) Unsecured Loans/borrowings				
6. Statutory Liabilities:				
a) New Pension Scheme (Employee Contribution)				

	Current Year		Previous Year	
7. Security Deposit				
a) Hitachi System Micro Clinic Pvt Ltd	7,293	**7,293**	10,955	**10,955**
8. State fisheries- Andhra Pradesh	50,700	**50,700**	50,700	**50,700**
9. Other Provision (Contingent)	500,000	**500,000**	500,000	**500,000**
10. Salary payable - March 2016	1,208,025	**1,208,025**	-	-
11. IOB - Account 209501000010000	117,692	**117,692**	113,174	**113,174**
12. NPS deduction - Shri K Srinivasan Babu	95,659	**95,659**	153	**153**
13. CPC / LSPC Arrears	1,445,845	**1,445,845**	1,572,401	**1,572,401**
14. Bonus payable	-	**-**	69,080	**69,080**
14. Rent payable	217,888	**217,888**		
TOTAL		**3,727,958**		**2,366,463**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2018

SCHEDULE 4		Gross Block					Depreciation					Net Block	
Item	Rate of Dep.	Cost / Valuation as at Beginning of the Year	Addition during the year		Deduction during the Year	Cost Valuation at the Year end	As at the Beginning of the Year	on Addition during the Year	at 100% on purchase of assets below Rs. 5,000	On Deduction during the Year	Total upto the Year end	As at the Current Year end	As at the Previous Year end
			up to 30.09.17	after 30.09.17									
Plant & Machinery	15%	10,807,581				10,807,581	6,833,501	596,112	-		7,429,613	3,377,968	3,974,080
Lab Equipments	15%	5,254,588				5,254,588	2,477,595	416,549			2,894,144	2,360,444	2,776,993
Office Equipment	15%	4,465,669	96,760	55,600		4,618,029	2,620,345	295,483			2,915,828	1,702,201	1,845,324
Car	15%	330,860				330,860	313,512	2,602			316,114	14,746	17,348
Furniture & Fixtures	10%	4,568,171		45,540		4,613,711	2,366,264	222,468			2,588,732	2,024,979	2,201,907
Computers & Peripherals	40%	3,374,900		11,000		3,385,900	3,260,924	47,790			3,308,714	77,186	113,976
Library Books & Technical Books	40%	2,358,882				2,358,882	2,318,238	16,258	-		2,334,496	24,386	40,644
TOTAL of Current Year		**31,160,651**	**96,760**	**112,140**	**-**	**31,369,551**	**20,190,379**	**1,597,262**	**-**	**-**	**21,787,641**	**9,581,910**	**10,970,272**
Previous Year													
B.Capital Work-In-Progress	-												
TOTAL												**9,581,910**	**10,970,272**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2018

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 5 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS		
Fixed Deposit Receipts (IOB)	2,829,831	2,642,503
TOTAL	**2,829,831**	**2,642,503**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2018

SCHEDULE 6 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS:		
1. Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
- On Savings Accounts	45,360,998	33,856,687
2. Stamps in Hand		
a) Stamps (Franking Machine)	260,024	196,229
b) Stamps (Postal)	1,964	12,113
3. Bank balances (Earmarked funds)		
a. IOB:-		
Pension Fund Investment in SB A/c No:209501000007601	25,700	24,796
General Provident Fund Investment in SB A/c No:209501000006535	2,416	2,383
Contributory Provident Fund Investment in SB A/c No:209501000006536	1,934	1,918
IOB - 209501000010000	122,276	117,758
b. INDIAN BANK:-		
Pension Fund Investment in SB A/c No:6349080748	11,359,293	9,827,033
General Provident Fund Investment in SB A/c No:6349080908	1,220,717	2,110,773
Contributory Provident Fund Investment in SB A/c No:6349081107	541,747	433,983
TOTAL (A)	**58,897,069**	**46,583,673**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2018

B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) Prepayments (Annexure-1)	0	25,122
b) Advance for Inspection (Annexure-1)	0	0
c) Staff Festival Advance (Annexure-1)	0	0
d) Advance for Travel (Annexure - 1)	10,000	20,000
e) Salary recoverable	90	90
f) Telephone deposits	39,782	39,782
TOTAL (B)	**49,872**	**84,994**
TOTAL (A + B)	**58,946,941**	**46,668,667**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31-03-2018

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 7 - GRANTS/SUBSIDIES (Irrevocable Grants & Subsidies Received)	Current Year	Previous Year
1) Central Government	19,791,100	34,269,650
TOTAL	**19,791,100**	**34,269,650**

SCHEDULE 8 - FEES/SUBCRIPTIONS	Current Year	Previous Year
1) Tender Fees	-	-
2) RTI Fees	190	140
3) MTS Application Fees	-	-
TOTAL	**190**	**140**

Note - Accounting Policies towards each item are not be disclosed

SCHEDULE 9 - INCOME FROM INVESTMENTS	Investment from Earmarked Fund	
	Current Year	Previous Year
Income on Invest from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)		
Interest on Fixed Deposit with Indian Bank	-	-
TOTAL	**-**	**-**
TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	**-**	**-**

SCHEDULE 10 - INTEREST EARNED	Current Year	Previous Year
1) On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks	-	-
2) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	437,280	1,796,272
TOTAL	**437,280**	**1,796,272**
Note - Tax deducted at source to be indicated		

SCHEDULE 11 - OTHER INCOME	Current Year	Previous Year
Miscellaneous Income	1,729	2,342
Rebate from PO	3,474	-
Share of expense recd from EPFO	74,511	-
Interest - IOB 209501000010000	-	4,584
TOTAL	**79,714**	**6,926**

SCHEDULES 12-ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year	Current Year
a) Salaries and Wages	11,514,798	22,922,231
b) Bonus	93,258	110,528
c) LTC facility	26,317	230,972
d) PF Contribution	293,330	291,700
e) Reimbursement of Tution Fees		102,210
f) Medical expenses	54,692	194,411
g) Staff welfare	78,743	11,267
h) Leave encashment	8,820	19,236
i) GSLI	720	-
j) Nps	409,982	-
j) Pension contribution	1,184,698	-
j) Professional tax	29,019	-
k) Sitting fee	24,000	-
TOTAL	**238,82,555**	**183,31,711**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31-03-2018

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 13 - OTHER ADMINSTRATIVE EXPENSES ETC	Current Year	Previous Year
1. Advertisement and Publicity	609,041	60,998
2. Publication	-	79,590
3. Domestic Travelling Expenses	1,459,543	-
4 Supply & Materials		-
5. **Office Expenditure**		
Repairs and maintenance	106,571	86,779
Electricity and Power	565,025	531,192
Fuel Charges	78,000	45,200
Rent, Rates, and Taxes	2,995,272	4,481,880
Photostate Expenses	-	-
Postage, Telegram	222,337	525,340
Printing ,Stationery and Consumables	314,675	309,904
Water Charges	-	-
Cutleries and Crockeries	9,989	-
Computer Maintenance	5,850	68,828
Telephone Expenses	426,647	-
Professional Charges	593,546	2,338,877
Vehicle Hire Charges	341,085	780,703
Meeting Expenses	173,300	52,255
Telephone and Mobile Reimburesment Expenses		407,810
Mobile Reimburesment Expenses		68,609
Telephone equipments		4,200
Miscellaneous Expenses	59,195	64,057

SCHEDULE 13 - OTHER ADMINSTRATIVE EXPENSES ETC	Current Year	Previous Year
Seminar/Workshops/Training Expenses	124,123	35,478
Other Contractual Service	883,271	1,244,341
Website Maintenance Charges	-	598,360
Website Development	-	-
AMC Expenses(A.C, Computers, Office Equipment Etc)	52,511	216,611
Conveyance	4,843	-
Annual PRA Maintenance Charges(NSDL)	-	2,222
Translation charges	-	-
Newspaper and Magazine	745	9,086
Liveries (Uniform)	-	-
Sweeper Salary	-	-
Web Hosting Charges	8,625	43,000
Web auditing charges	17,700	-
Shifting Expenses	-	-
Lab Chemicals	-	38,804
Bank Charges	11,381	6,852
Audit Expenses	17,395	31,700
Internal audit fees	139,080	-
MTS Exam	-	3,000
Interview expense	20,038	42,803
Legal fee	5,000	9,000
Pooja expense	-	2,955
TOTAL	**9,244,788**	**12,190,433**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

Annex-1

Staff Festival Advance			
S.No	**Name**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
1	Smt G. Priya, STA	-	-
2	Shri. Ramesh Kumar,S TA	-	-
3	Kumari. S. Priya, StenoGr D	-	-
4	Shri. V. Selvam, Staff Car Driver	-	-
5	Shri. Elavarasan, MTS	-	-
6	Shri. P. Rajesh, MTS	-	-
7	Shri. V. Prasad, MTS	-	-
8	Smt. Jayanthi, Jr.clerk	-	-
	Total	**-**	**18,000**

S.NO	**Other Advances**		
1	Prepaid Expenses	-	25,122
2	Advance for inspection	-	-
3	Advance for travel - Mr. Jayaraman	10,000	20,000
	Total	**10,000**	**45,122**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULE - 14 : ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The Financial Statement are prepared under the historical cost convention, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles(GAAP), the applicable mandatory Accounting Standards (AS) issued by ICAI and relevant Presentational requirements for Central Autonomous Bodies as prescribed by CGA. The Authority Follows the accrual method of accounting in respect of all items of expenditure and Income except where otherwise stated.

2. FIXED ASSESTS

a) Fixed Assets are accounted for after these are taken on charge duly inspected.

b) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation cost comprises the purchase price, inward freight, duties & taxes and any other directly attributable cost of bringing the Assets to its working conditions for its intended use. Financing cost relating to acquisition/construction of qualifying fixed assets are also included to the extent they relate to the period till such assets are ready for their intended use.

c) Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of Rs.1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA.

d) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at value stated by corresponding credit to capital fund. Fixed Assets received as free gift are taken into account at nominal value of Rs.1/-

e) Fixed Assets acquired against specific grant-in-aid accounted for as fixed assets in the Authority's account. Cost of assets created out of grants-in-aid is credited to Capital Fund .Depreciation on those assets is also charged over the useful life of the assets at the rates prescribed by the Income Tax Act and Rules and is recognized in the income and Expenditure Account.

3. DEPRECIATION

a) Depreciation is provided on written down value method as per rates Specified in Income tax Act.1961

b) In respect of additions/ deductions of fixed assets during the year, full depreciation is charged at the rates specified in the Income Tax Rules on the assets acquired in the first half of the financial year and 50% of depreciation is charged on the assets acquired in the second half of financial year.

c) Each item of fixed assets costing Rs.5000/- and below are fully depreciated in the year of acquisition.

4. LEASE/ RENT

Lease/ Rent rentals are accounted as expenses according to the terms and conditions of lease.

5. IMPAIRMENT OF ASSETS

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceeds its recoverable value. The impairment loss is charged to Income & Expenditure statement for the year in which the assets is identified as impaired. The impairment loss is recognized or recoverable amount.

6. GOVT.GRANTS / SUBSIDIES

Capital expenditure i.e. cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund" account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account'. Excess of grant over the expenses is transferred to capital fund account at the end of the year.

7. RETIREMENT BENEFITS

a) Authority's contribution paid/ payable during the year to new pension scheme is recognized in the Income and Expenditure Statement.

b) The liabilities in respect of Gratuity, which is ascertained annually on actuarial valuation at the year and, will be provided and funded separately.

c) The liabilities for the leave encashment to employees are ascertained annually on accrual basis based on actuarial valuation at the year end and provided for.

8. TAXATION

The Authority is not liable to pay to Union/ State in respect of wealth tax, income tax, service Tax, CST or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

9. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGEMENT ASSETS

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent liabilities are not recognized but are disclosed in the Notes forming part of the accounts. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

10. INCOME AND EXPENSES

All the income and expenses of the year, except those specified later in this paragraph, are accounted for on accrual basis under the specific direct heads of accounts:

a) Income or Expenditure of earlier year, which arise as a result of errors of omissions in making provision/creating the liability in the one or more prior periods, is accounted for under "prior period Adjustment" account.

b) If actual expenditure or income exceeds the liability created/provision made on expenditure basis, the same is accounted for on cash basis.

c) Expenditure/Income accruing to the Authority on account of decision taken after the date of finalization of annual accounts and extra-ordinary items. if any, having retrospective effect, is accounted for on cash basis.

d) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance sheet and/or Income and Expenditure Account, due consideration is given to the concept of materiality and hence pre paid/prior period items up to Rs.1,000 in each case are accounted for to the natural heads of account on cash basis.

11. REVENUE RECOGNITION

a) Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that Authority is Collecting Processing Fees for *Litopenaeus vannamei* Farms and Hatchery .As per the exiting policy of the Authority; fee is accounted as Earmarked/Endowment Fund of the authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes. b)

b) Interest income is recognized on a Cash basis taking into account the amount outstanding and rate applicable.

12. SEPARATE DISCLOSURE

Separate disclosers are made in the Income and Expenditure Account in respect of:

a) "Prior period" items which comprise material items of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or expenses which arise in the current period as a result or errors of omissions in the preparation of the financial statements of one or more prior periods. A sum of Rs. 39,782 being amount paid towards telephone deposits were charged to income and expenditure a/c in previous years. As a result current assets ie. Telephone deposits were not recognized in institute's Balance sheet. The same was rectified in current year accounts.

b) "Extra–ordinary" items, which are material items of income or expenses that arise from event or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and. Therefore, are not expected to recur frequently or regularly.

c) Any item under the head "Miscellaneous Income "which exceeds Rs.50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

Any item under the head 'Miscellaneous Expenses' which exceeds Rs.50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

Sd/-	Sd/-
Sr. Admin. Officer	Director (Tech)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULE – 15

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

Contingent liabilities

As on 31st Mar.2018, there does not appear to be any case of contingent liability.

Fixed Assets

Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of Rs.1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA. Depreciation on all the assets at the prescribed rate in Income Tax Rules have been calculated and charged for the financial year 2017-18 to Income and Expenditure Account.

Current Assets, Loans and Advances

Authority has taken Franking Machine from Post Office and the same is filled with stamps for a lump sum amount .In addition to that Authority purchase Govt. Postal stamp from Post Office, The amount so paid is shown as stamps in hand. On the basis of register maintained for daily consumption of stamp, total expenditure incurred on stamps is debited to relevant expenditure head by corresponding credit to stamps in hand account on yearly basis. As on 31st Mar, 2018 the stamps in hand amounted to Rs.208,342/-

Current Liabilities

Security deposits of Rs. 3,662/- received as performance guaranty will be retained till completion of its warranty period.

Taxation

The Authority is not liable to pay wealth tax, income –tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No Provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

Government Grants/Fees Collected

Capital expenditure i.e. cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund" account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account'. Excess of Income over Expenditure is transferred to capital fund account at the end of the year as on 31st March, 2018.

Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC shared in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that Authority is Collecting Processing Fees for L.V Farms and Hatchery. As per the exiting policy of the Authority; fee is accounted as Earmarked/Endowment Fund of the authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes. Out of The Earmarked Fund a sum of Rs. 10,60,274 was utilized towards Travelling Expenses for Inspection of Farms & Hatcheries in connection with registration of farms etc.

Previous year Figures

The accounting procedure laid down by the CAG for autonomous bodies, specifies to show the previous year's figures in the Balance Sheet, Income & Expenditure Account & Receipt & Payment account along with various schedules attached thereto.

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Director (Tech)

भाग II

वर्ष 2017-18 के लिए सीएंडएजी की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)
Chennai
"LEKHA PARIKSHA BHAVAN", 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.
दूरभाष / Phone : 044 - 2431 6400 फैक्स / Fax : 044 - 2433 8924
तार / E-mail : dgacchennai@cag.gov.in

सं. पीडीए(सी)/सीई/V/28–39/2018–19/ दिनांकः 04.02.2019

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
कृषि मंत्रालय,
पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110001

महोदय,

विषयः वर्ष 2017–18 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में।

मैं वर्ष 2017–18 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखा विवरण के साथ अग्रेषित करता हूँ। संसद के समक्ष यथा प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट की तीन प्रतियाँ आने वाले समय में इस कार्यालय को अग्रेषित की जाएँ।

कृपया संलग्नकों के साथ इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

भवदीय
ह./–
उप निदेशक/प्रशासन

संलग्नः उपर्युक्त

सं. पीडीए(सी)/सीई/V/28–39/2018–19/78 दिनांकः 04.02.2019

तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई की वर्ष 2017–18 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और प्रबंधन पत्र की प्रतिलिपि के साथ प्रति सदस्य सचिव, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई को अग्रेषित की गई है। अनुरोध है कि पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के हिंदी पाठ की 3 प्रतियाँ और संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट की 3 प्रतियाँ शीघ्र भेजें। यह भी अनुरोध है कि वर्ष 2017–18 के लेखे संसद में पेश किए जाने की तारीखें भेजें।

उप निदेशक/प्रशा.

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) का कार्यालय
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै–600018

सेवा में,

सदस्य सचिव,
तटीय जलकृषि प्राधिकरण,
12–ए, जीडीआर टावर, भारथी स्ट्रीट,
वानुवमपेट्टी, चेन्नई–600091

महोदय,

मैं इसके साथ दिनांक 04.02.2019 का पत्र सं. पीडीए(सी)/सीई/V/28–39/18–19/78 अग्रेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,

निदेशक/प्रशासन

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 की धारा 20 (3) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा के संलग्न तुलनपत्र का लेखापरीक्षा किया है। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुरूप लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन–देनों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों की सूचना निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से दी जाती है।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम योजना और लेखापरीक्षा के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए है कि क्या वित्तीय विवरण सामग्री गतल विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में जांच, एक परीक्षण के आधार पर, राशि और वित्तीय विवरण में प्रकटन का समर्थन सबूत शामिल हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करने के रूप में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारा लेखापरीक्षा दी गई राय के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. हमें सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं, जो हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हैं।

ii. इस रिपोर्ट से निपटाए गए तुलनपत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियों एवं भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।

iii. हमारी राय में, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई द्वारा प्राधिकरण के नियमों और विनियमों में की गई अपेक्षा के अनुसार बही खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का उचित रखरखाव किया गया है, जहां तक यह ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iv. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क. तुलन पत्र

देयताएं

पूंजी/कॉर्पस निधि – (अनु. 1) – रु. 1.21 करोड़

निर्धारित/संचयी निधियां – (अनु. 2) – रु. 4.25 करोड

देयताओं और तदनुरूपी निर्धारित निधियां परिसंपत्तियों के अधीन कुल 4.25 करोड़ की कुल निर्धारित निधियां तुलनपत्र में 4.82 करोड़ (आईओबी में एफडी – अनुसूची 5 – रु. 28,29,831, अनुसूची 6 के अनुसार निर्धारित निधि में बैंक में नकदी रु. 4,53,60,998) दर्शाई गई थीं।

निर्धारित निधियों पर अर्जित ब्याज को पूर्व वर्षों में तत्संबंधी निर्धारित निधियों में इसे जमा करने की बजाय संस्थान की आय के रूप में आईएंडई खाते में लेखांकन करने की अनुचित पद्धति के परिणामस्वरूप देयताओं साइड पर प्रकट की गई निर्धारित निधियों और तुलनपत्र में तदनुरूपी परिसंपत्तियों के बीच 57.00 लाख रुपये का संचयित अंतर आया है। इस प्रकार, निर्धारित/संचयित निधियों को कम दर्शाया गया था और पूंजी/कॉर्पस निधि 57.00 लाख रुपये अधिक दर्शाई गई थी।

ख. सामान्य

1. वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक खातों के लिए एक समान प्रारूप में दिशा–निर्देशों के अनुसार, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी संस्थान द्वारा प्राप्त/अलग रखी गई किसी भी निधि को 'निर्धारित निधि' के रूप में अलग से लेखांकित करना होगा। उन निधियों पर प्रोद्भूत व्यय और किसी अर्जित ब्याज को तत्संबंधित निर्धारित निधियों में लेखांकित किया जाना चाहिए।

   संस्थान ने तत्संबंधी चार निर्धारित निधियों के अधीन चार निर्धारित निधियां नामतः पंजीकरण शुल्क, लिटोपेनियस वननामी (एलवी) के लिए प्रक्रिया शुल्क, फार्म सृजित की है। तथापि, संबंधित निर्धारित निधियों से अर्जित व्यय और ब्याज को समान निधियों में लेखांकित के बजाय संस्थान ने खातों के एकसमान प्रारूप का उल्लंघन करते हुए अर्जित ब्याज और उक्त चार निधियों पर किए गए व्यय का लेखांकन करने के लिए अन्य दो निर्धारित निधियों को गलत तरीके से बनाया है। टिप्पणी पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल की गई थी, परंतु संस्थान द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

2. बीमांकिक आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात् उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण के लिए लेखाओं में प्रावधान नहीं किया गया है जोकि एएस–15 का उल्लंघन है।

ग. लेखाओं में संशोधन का प्रभाव

प्राधिकरण के खातों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप परिसंत्तियों और देयताओं में 1.32 करोड़ रुपये की कमी आई।

घ. सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त 1.98 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान में से प्राधिकरण ने 31 मार्च 2018 को शून्य शेष राशि छोड़ते हुए 1.98 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया था।

ङ. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के सदस्य सचिव के ध्यान में लाया गया है।

v. पिछले अनुच्छेद में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलनपत्र, आय और व्यय खाते तथा प्राप्तियों एवं भुगतान खाता बही खातों के अनुसार हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखांकन नीतियों और लेखा पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों और अन्य मामलों के अधीन, आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

क. जहां तक तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के कार्यों की 31 मार्च 2018 की स्थिति के तुलनपत्र का संबंध है; और

ख. जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय खाते का संबंध है।

भारत के सीएंडएजी के लिए और ओर से

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चेन्नई

स्थानः चेन्नई

दिनांकः 04.02.2019

अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2017–18 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है क्योंकि कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली, शक्तियां सौंपे जाने के लिए तथा संविदा के आधार पर नियुक्त परामर्शदाताओं के कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

3. अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

वर्ष 2017–18 के लिए अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।

4. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2017–18 के लिए वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन किया गया था।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

सांविधिक देयताओं के भुगतान में प्राधिकरण नियमित था।

उप निदेशक/प्रशासन

सत्यमेव जयते

ANIM CHERIAN, IAAS

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय)
चेन्नै
लेखापरीक्षा भवन
361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.

PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)
Chennai
"LEKHA PARIKSHA BHAVAN"
361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

अ. स. नं. / D.O. No. : PDA(C)/CAB/V/28-39/2018-19/ 78
दिनांक / Date : 04 February 2019

प्रिय महोदय,

कृपया 29.01.2019 को जारी वर्ष 2017–18 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए), चेन्नई के वार्षिक खातों के लेखापरीक्षा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अवलोकन करें। मैं लेखांकन पद्धतियों/प्रक्रियाओं में देखी गई निम्नलिखित त्रुटियों को उपचारात्मक कार्रवाई के लिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ।

1. आईओबी, हैडोज रोड शाखा (खाता सं. 2095010000010000) में सीएए द्वारा रखे गए खाते में अंत बैंक जमाशेष का प्रकटन तुलनपत्र में मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत किया गया है। हालांकि, इस बैंक खाते में लेनदेन (प्रारंभिक शेष, प्राप्तियां, भुगतान और अंत शेष) वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा में प्रकट नहीं किए गए थे।

2. आईओबी, हैडोस रोड शाखा (खाता सं. 209501000006548) में सीएए द्वारा संचालित बैंक खाता लेखापरीक्षा द्वारा आईओबी से प्राप्त बैंक विवरणों के अनुसार 153.90 रुपये का अंत शेष प्रकट करता है। हालांकि, इस बैंक खाते को तुलनपत्र में वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत बैंक जमाशेष की सूची के तहत शामिल करने के लिए छोड़ दिया गया था ।

3. क्रम सं. 1 और 2 में उल्लिखित बैंक खातों सहित, सीएए आईओबी, हैडोस रोड शाखा, नुंगमबक्कम, चेन्नई में पांच बैंक खातों का संचालन कर रहा है। कुल 1,52,480 रुपये के शेष वाले पांचों बैंक खाते तीन साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े थे। यदि इन बैंक खातों की आवश्यकता नहीं है, तो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से खातों को बंद करने और चालू खातों में धनराशि अंतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

सादर,

आपका,

डॉ सी. गोपाल,
सदस्य सचिव,
तटीय जलकृषि प्राधिकरण,
12–ए, जीडीआर टॉवर, भारती स्ट्रीट, वानुवामपेट्टई,
चेन्नई–600091

वर्ष 2017–18 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु पैरा–वार स्पष्टीकरण

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>A.</td><td>तुलनपत्र

देयताएं

पूंजी/कॉर्पस निधि – अनु.1 – रु. 1.21 करोड़

निर्धारित/संचयी निधि – अनु.–2 – रु. 4.25 करोड़

देयताओं तथा तदनुरूपी निर्धारित निधि परिसंपत्तियों के अधीन कुल रु. 4.25 करोड़ की कुल निर्धारित निधियां (आईओबी में एफडी – अनुसूची 5 – रु. 28,29,831, अनुसूची 6 के अनुसार निर्धारित निधि में बैंक में रोकड़ – रु. 4,53,60,998) तुलनपत्र में प्रकट की गई थीं।

लेखांकन की अनुचित पद्धति इसे पूर्व वर्षों में तत्संबंधी निर्धारित निधियों में जमा किए जाने की बजाय आईएंडई लेखा में संस्थान की आय के रूप में निर्धारित निधियों पर अर्जित ब्याज, तुलनपत्र में देयताओं की तरफ और तदनुरूपी परिसंपत्तियों पर प्रकट की गई निर्धारित निधियों के बीच रु. 57.00 लाख का संचयित अंतर आया है। इस प्रकार, निर्धारित/संचयी निधियां कम उल्लिखित की गई थीं और पूंजी/कॉर्पस निधि में रु. 57.00 लाख तक अति उल्लिखित किया गया है।</td><td>यह सूचित किया गया है कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा पृथक खाते सृजित या अनुरक्षित नहीं किए गए थे। तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा केवल एक निर्धारित निधि खाता ही अनुरक्षित किया गया है।

निर्धारित निधि अनुरक्षित करने के लिए पृथक बैंक खाता वर्ष 2015–16 के दौरान 23.06.2015 को सृजित किया गया था।

<table>
<tr><td>I.</td><td>यह निवेदन किया गया है कि वर्ष 2015–16 के दौरान, वास्तविक की अधिकता में शेष में भिन्नता के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लेनदेन हुए हैं:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(क). मुख्य खाते से निर्धारित निधि लेखा में अंतरित किए जाने के लिए देय राशि
[ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि अनुबंध–(क) के रूप में संलग्न की गई है।]</td><td>रु.42,68,501</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख). वर्ष 2015–16 के दौरान निर्धारित निधि खाते से मुख्य खाते से में आहरण राशि
[ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि अनुबंध–(ख) के रूप में संलग्न की गई है।]</td><td>रु.90,18,959</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ख.</td><td>सामान्य</td><td></td></tr>
<tr><td>ख.1</td><td>वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखाओं के लिए निर्धारित एकसमान प्रारूप में दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी संस्थान द्वारा प्राप्त/अलग रखी गई किन्हीं निधियों को 'निर्धारित निधि' के रूप में अलग–से लेखांकित करना होगा।

उन निधियों पर उपार्जित कोई ब्याज और व्यय तत्संबंधी निर्धारित निधियों में लेखांकित किया जाएगा।</td><td></td></tr>
</table>

	इस संस्थान को फार्म पंजीकरण शुल्क, लिटोपेनियस वननामी (एलवी) फार्मों, एलवी हैचरी और फीड उत्पादों के लिए प्रक्रिया शुल्क प्राप्त हुआ है। प्राप्त शुल्क को तत्संबंधी चार निर्धारित निधियों के अधीन लेखांकित किया गया है। तथापि, अर्जित ब्याज और प्रोद्भूत व्यय का तत्संबंधी निर्धारित निधियों से उन निधियों में लेखांकन की बजाय, संस्थान ने उक्त चार निधियों पर प्रोद्भूत व्यय तथा अर्जित ब्याज के लेखांकन के लिए अनुचित रूप से दो अन्य निर्धारित निधियां सृजित की हैं। पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी को शामिल किया गया था, परंतु संस्थान द्वारा शोधन कार्रवाई नहीं की गई है।		
			(ग). मुख्य खाते से निर्धारित खाते में वापिस की गई कुल राशि [ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि अनुबंध–(ग) के रूप में संलग्न की गई है।]	रु.1,30,72,503
			(घ). यह निवल घाटा है [(ग) – (क+ख)]	**(-)रु.2,14,957**
		II.	वर्ष 2015–16 के दौरान, मुख्य खाते से किए गए व्यय को त्रुटिवश निर्धारित निधि खाते में लेखांकित किया गया था [ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि अनुबंध–(घ) के रूप में संलग्न की गई है।]	रु.10,20,072
		III.	वर्ष 2016–17 के दौरान, वास्तविक की अधिकता में शेष में भिन्नता के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लेनदेन हुए हैं:	
			(क). वर्ष 2016–17 के दौरान निर्धारित निधि से ऋण आहरण [ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि अनुबंध–(ङ) के रूप में संलग्न की गई है।]	रु.45,00,000

			(ख). वर्ष 2016–17 के दौरान मुख्य खाते से निर्धारित निधि खाते में पुनर्भुगतान [ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि अनुबंध–(च) के रूप में संलग्न की गई है।]	रु.65,82,175
			(ग). निर्धारित निधि खाते में भुगतान किया गया कुल आधिक्य [ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि (क–ख) के रूप में संलग्न की गई है।]	**रु.20,82,175**
		IV	वर्ष 2015–16 के दौरान, मुख्य खाते से किए गए व्यय को त्रुटिवश निर्धारित निधि खाते में लेखांकित किया गया था [ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि अनुबंध–(छ) के रूप में संलग्न की गई है।]	**रु.10,60,274**
		V	वर्ष 2016–17 के दौरान, निर्धारित निधि खाते से उपार्जित ब्याज राशि को त्रुटिवश मुख्य खाते में लेखांकित किया गया था [ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि अनुबंध–(ज) के रूप में संलग्न की गई है।]	**रु.17,52,847**
		VI	**Iघ + II + IIIग + V + V**	**57,00,411.00**

		देयताओं की तरफ और तुलनपत्र में तदनुरूपी परिसंपत्तियों पर प्रकट की गई निर्धारित निधियों के बीच रु. 57,00,411/– के अंतर के परिणामस्वरूप उपर्युक्त लेनदेनों (I+II+III+IV एवं V) का निवल प्रभाव। यह निवेदन किया गया है कि मुख्य खाते और निर्धारित निधि खाते में त्रुटिवश लेखांकित दूसरी दो प्रविष्टियों की पहचान तथा शोधन किया गया है।
		यह निवेदन किया गया है कि प्रविष्टियों के परिवर्तन द्वारा जरूरी शोधन कार्रवाई की गई है और जिसका प्रभाव वर्ष 2019–20 के संशोधित लेखाओं के प्रारंभिक एवं अंत जमाशेष में दर्शाया गया है। 01 अप्रैल 2019 को निर्धारित निधि लेखा का संशोधित प्रारंभिक जमाशेष रु. 8,06,72,553/– है और 31 मार्च 2020 को निर्धारित निधि खाते के लिए अंत जमाशेष रु. 9,56,08,528/– है। तुलनपत्र में तदनुरूपी परिसंपत्तियां रु. 9,56,08,528/– (बैंक जमाशेष रु. 9,23,82,612/– + सावधि जमा रु. 32,25,916/–) है। तदनुसार, सीएजीआई द्वारा 2015–16 से 2019–20 तक निर्दिष्ट अंतरों का वर्ष 2019–20 के संशोधित वार्षिक लेखाओं तथा तुलनपत्र में परिसंपत्तियों तथा देयताओं के बीच मिलान किया गया है। वर्ष 2019–20 के लिए संशोधित वार्षिक लेखे संलग्न किए गए हैं।
ख.2	लेखाओं में बीमांकन आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात् उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान नहीं किया गया है जोकि एएस–15 का उल्लंघन नहीं है।	तीन वर्षों 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 की अवधि के लिए सीएए कर्मचारियों के लिए उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण देयता के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए बीमांकन मूल्यांकन उपलब्ध करवाते हुए बीमांकन मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के लिए जरूरी कार्रवाई की गई है।
ग.	**लेखाओं में संशोधन का प्रभाव** प्राधिकरण के लेखे लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों एवं देयताओं में रु. 1.32 करोड तक कमी आई।	लेखापरीक्षा द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है इसलिए इसे शून्य माना जाए।

घ.	**सहायता अनुदान** वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 1.98 करोड़ के सहायता अनुदान में से, प्राधिकरण ने 31 मार्च 2018 को शेषजमा रु. शून्य छोड़ते हुए रु. 1.98 करोड़ की राशि का उपयोग किया था।	लेखापरीक्षा द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है इसलिए इसे शून्य माना जाए।
	अनुबंध	
1.	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** वर्ष 2017–18 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया था।	भविष्य में अनुपालन के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है क्योंकि कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी, शाक्तियां सौंपने तथा संविदा आधार पर नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।	
3.	**वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली** वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन वर्ष 2017–18 के लिए किया गया था।	लेखापरीक्षा द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है इसलिए इसे शून्य माना जाए।
4.	**वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली** वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन वर्ष 2017–18 के लिए किया गया था।	
5.	**सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता** इस प्राधिकरण ने सांविधिक देयताओं का नियमित भुगतान किया था।	लेखापरीक्षा द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है इसलिए इसे शून्य माना जाए।

प्रबंधन पत्र के लिए पैरा–वार स्पष्टीकरण

पैरा सं.	प्रबंधन पत्र में टिप्पणी	स्पष्टीकरण
1.	आईओबी, हड्डोस रोड शाखा (खाता सं. 209501000010000) में सीएए द्वारा अनुरक्षित खाते में अंत बैंक जमाशेष तुलनपत्र में वर्तमान परिसंपत्तियों के अधीन प्रकट किया गया है। तथापि, इस बैंक लेखा में लेनदेनों (प्रारंभिक जमाशेष, प्राप्तियां, भुगतान एवं अंत जमाशेष) को वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्राप्तियां एवं भुगतान में प्रकट नहीं किया गया था।	अंत जमाशेष 2019–20 में दर्शाया गया है। वर्तमान परिसंपत्तियां अनुसूची सहित प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे और टैली सॉफ्टवेयर में बैंक समूह खाते भी अनुबंध–(ञ) रूप में संलग्न किए गए हैं।
2.	सीएए द्वारा आईओबी, हड्डोस रोड शाखा (खाता सं. 209501000006548) में सीएए द्वारा परिचालित बैंक खाता लेखापरीक्षा द्वारा आईओबी से प्राप्त बैंक विवरणों के अनुसार रु. 153.90 का अंत जमाशेष प्रकट करता है। तथापि, यह बैंक खाता तुलनपत्र में वर्तमान परिसंपत्तियों के अधीन बैंक जमाशेष की सूची के अधीन शामिल किए जाने के लिए विलुप्त किया गया था।	वर्तमान परिसंपत्तियों में पूंजी निधि जमा करते हुए और बैंक खाता नामे करते हुए 2019–20 के लेखाओं में शोधन प्रविष्टि की गई है। पूंजी निधि लेखा और वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रासंगिक अनुसूचियां अनुबंध–(ट) रूप में संलग्न किया गया है।
3.	क्र.सं. 1 एवं 2 में उल्लिखित बैंक खातों सहित, सीएए आईओबी, हड्डोस रोड शाखा, नुनगामबक्कम, चेन्नई में पांच बैंक खातों का परिचालन कर रहा है। सभी पांच बैंक खातों में रु. 1,52,480/– का कुल जमाशेष तीन वर्षों से अधिक समय से अपरिचालित पड़े है। यदि इन बैंक खातों की आवश्यकता नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इन खातों को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें और निधियों को परिचालनधीन खातों में अंतरण करें।	इस कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 7.1.2021 द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक से अनुरोध किया था कि अपरिचालित खातों को बन्द किया जाए और यह भी अनुरोध किया था कि खाता जमाशेष को नए बैंक खातों के खाता जमाशेष में अंतरण किया जाए। प्रतिसाद में, आईओबी ने अपने ईमेल दिनांक 22.3.2021 द्वारा बताया है कि उनकी हड्डोस रोड शाखा को कॉलेज रोड शाखा के साथ मिला दिया गया है और यह भी बताया गया है कि सीएए के सभी चारों खाते डॉरमेंट/परिचालन आवस्था में नहीं है जिन्हें परिचालित करवाये जाने की जरूरत है। जैसाकि बैंक द्वारा अनुरोध किया गया है, कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 8.4.2021 और 5.7.2019 द्वारा अपेक्षित दस्तावेज/सूचना भेजी थीं और सीएए के सभी चारों बचत खातों को परिचालन खाते बनाने और हमारे पत्र दिनांक 07.01.2021 में यथा किए गए अनुरोध के अनुसार इन खातों को बन्द करने की प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध किया गया था।

		उसके बाद, आईओबी ने अपने ईमेल दिनांक 8.7. 2021 द्वारा केवाईसी प्रपत्र और खातों को बन्द करने के हमारे अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। हमने हमारे पत्र दिनांक 14.9.2021 द्वारा सीएए के सभी चार खातों के लिए केवाईसी प्रपत्र भेजे थे और अनुरोध किया था कि सभी चार खातों में जमा राशि आईडीबीआई बैंक, थिरूवामियुर शाखा में सीएए के नए खाते में अंतरण किया जाए। आईओबी ने तीन खाते बंद कद दिए हैं और शेष जमाराशि का आईडीबीआई, थिरूवनमियुर शाखा में 13.10.2021 को जमा किया गया है। इसके अलावा, आईओबी से पूछताछ करने पर, प्रबंधक, आईओबी ने सूचित किया है कि शेष एक खाता किसी तकनीकी कारण से बन्द नहीं किया जा सका था। इसलिए, यह मामला उनके मुख्यालय के साथ उठाया गया है। यह कार्यालय शेष एक खाता बन्द करने के लिए आईओबी के संपर्क में रहेगा और सीएए के तदनुरूपी खाते में अंतरण की कार्यवाही की जाएगी। आगामी लेखापरीक्षा के दौरान इसकी पुष्टि की जाएगी। अतः यह अनुरोध है कि पैरा को निपटान किया मानकर निरस्त करें।

संदर्भः पीडीए का पत्र सं. पीडीए (ग)/सीई/**IV**/28–39/2018–19 दिनांक 04.2.2019

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

अनुलग्नक-(ए)

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 2: निर्धारित/संचयी निधियां:

(राशि-₹)

विवरण	फार्म पंजीकरण शुल्कर	प्रसंस्करण शुल्क (एल. वी. फार्म)	प्रसंस्करण शुल्क (एल.वी. हैचरी)	सामान्य भविष्य निधि	अंशदायी भविष्य निधि	पेंशन निधि	रुचि	योग	
								चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) **निधियों का प्रारंभिक शेष**	21,11,823	44,67,784	21,07,250	8,68,000	9,60,358	10,87,019	3,41,396	1,19,43,630	72,15,433
ख) **निधियों में वर्धन:**				2,33,416	3,66,932	37,232		6,37,580	29,15,377
i. दान/अनुदान	-	-	-			……..		-	-
ii. निर्धारित निधियों के लेखा पर किए गए निवेश से आय	-	-	-			……..	1,92,662	1,92,662	3,41,396
iii. शुल्क	4,17,345	14,86,995	9,35,000			……..		28,39,340	14,71,424
जोड़ (क+ख)	**25,29,168**	**59,54,779**	**30,42,250**	**11,01,416**	**13,27,290**	**11,24,251**	**5,34,058**	**1,56,13,212**	**1,19,43,630**
ग) **निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोगिता/व्यय**									
i. पूंजी व्यय									
- अचल परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-		-	-
- अन्य – निपटान	-	-	-	-	12,81,951	-		12,81,951	-
जोड़	-	-	-	-	-	-		-	
ii. **राजस्व व्यय**									
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-		64,87,558	-
- फार्मों के निरीक्षण पर यात्रा व्यय आदि		-	-	-	-	-			
- जेआईएफएसएएन प्रशिक्षण व्यय	-	-	-	-	-	-		-	-
- सेमिनार/सम्मेलन आदि व्यय	-	-	-	-	-	-		-	-
जोड़	-	-	-	-	-	-		-	-
जोड़ (ग)	-	-	-	-	12,81,951	-	-	77,69,509	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	**25,29,168**	**59,54,779**	**30,42,250**	**11,01,416**	**45,339**	**11,24,251**	**5,34,058**	**78,43,703**	**1,19,43,630**

विवरण	वि.व.2014-15			वि.व.2015-16			
	मुख्य खाता	सावधि जमा	जोड़	मुख्य खाता	ईएमएफ खाता	सावधि जमा	जोड़
प्रारंभिक	69,58,478	20,69,775	90,28,253	33,10,260	-	22,62,437	55,72,697
			-				-
प्राप्तियां			-				-
आवेदन शुल्क-30%	4,17,345		4,17,345	24,900	5,15,011		5,39,911
फार्म पंजीकरण शुल्क	-		-	-			-
फ़ीड उत्पाद	-		-	1,20,000	47,30,000		48,50,000
प्रक्रिया शुल्क (एल.वी. फार्म)	14,86,995		14,86,995	1,82,835	2,87,015		4,69,850
प्रक्रिया शुल्क (एल.वी. हैचरी)	9,35,000		9,35,000	6,00,000	61,75,000		67,75,000
निरीक्षण के लिए यात्रा व्यय	-		-	30,506			30,506
ब्याज आय		1,92,662	1,92,662			1,91,586	1,91,586
जोड़	97,97,818	22,62,437	1,20,60,255	42,68,501	1,17,07,026	24,54,023	1,84,29,550
भुगतान			-				-
व्यय	64,87,558		64,87,558		35,516		35,516
			-		10,20,072		10,20,072
जोड़	64,87,558	-	64,87,558	-	10,55,588	-	10,55,588
अंत शेष	**33,10,260**	**22,62,437**	**55,72,697**	**42,68,501**	**1,06,51,438**	**24,54,023**	**1,73,73,962**
मुख्य खाते में जमा संचयी ईएमएफ							
31.03.2015 तक		3,310,260					
30.06.2015 तक		4,268,501					

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31.03.2015 तक तुलनपत्र की अनुसूची भाग

अनुसूची 5 : निर्धारित/संचयी निधियों से निवेश

(राशि-₹)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सावधि जमा प्राप्तियां (आईओबी)	22,62,437	20,69,775
बचत खाता सं. 209501000007601 में पेंशन निधि निवेश	11,24,251	10,87,019
बचत खाता सं. 209501000006535 में सामान्य भविष्य निधि निवेश	11,01,416	8,68,000
बचत खाता सं. 209501000006536 में अंशदायी भविष्य निधि निवेश	45,339	9,60,358
जोड़	**45,33,443**	**49,85,152**

इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता)

अनुलग्नक-(बी)

1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016

बही खाता:

दिनांक	विवरण		वाउचर प्रकार	वाउचर सं.	नामे	जमा
08/07/2015	द्वारा	नकद	कांट्रा	17		1,736.00
08/07/2015	द्वारा	बैठक के लिए अग्रिम	भुगतान	267		3,500.00
08/07/2015	द्वारा	टेलीफोन एवं मोबाइल प्रतिपूर्ति व्यय	भुगतान	268		2,500.00
08/07/2015	द्वारा	समाचारपत्र में विज्ञापन	भुगतान	271		9,522.00
09/07/2015	द्वारा	जनशक्ति	भुगतान	272		4,927.00
09/07/2015	द्वारा	नकद	कांट्रा	18		1,543.00
09/07/2015	द्वारा	टेलीफोन एवं मोबाइल प्रतिपूर्ति व्यय	भुगतान	274		2,152.00
09/07/2015	द्वारा	टेलीफोन व्यय	भुगतान	275		1,011.00
13/07/2015	द्वारा	बैठक व्यय	भुगतान	277		25,342.00
14/07/2015	द्वारा	नकद	कांट्रा	19		2,895.00
14/07/2015	द्वारा	(ब्योरों के अनुसार)	भुगतान	279		1,253.00
14/07/2015	द्वारा	टेलीफोन व्यय	भुगतान	280		1,000.00
14/07/2015	द्वारा	टेलीफोन व्यय	भुगतान	281		26,861.00
14/07/2015	द्वारा	डाक और टेलीग्रम	भुगतान	282		21,088.00
14/07/2015	द्वारा	बैठक व्यय	भुगतान	283		10,904.00
14/07/2015	द्वारा	(ब्योरों के अनुसार)	भुगतान	284		1,46,679.00
14/07/2015	द्वारा	टीडीएस	भुगतान	285		3,085.00
16/07/2015	द्वारा	नकद	कांट्रा	20		1,890.00
16/07/2015	द्वारा	लैपटाप बैग के लिए अग्रिम	भुगतान	287		6,000.00
17/07/2015	द्वारा	चिकित्सा व्यय	भुगतान	290		6,474.00
20/07/2015	द्वारा	प्रिंटिंग और स्टेशनरी तथा कंप्यूटर उपभोज्य	भुगतान	291		1,625.00
22/07/2015	द्वारा	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	कांट्रा	22		5,00,000.00
05/11/2015	द्वारा	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	कांट्रा	46		15,00,000.00
30/11/2015	द्वारा	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	कांट्रा	51		8,00,000.00
07/12/2015	द्वारा	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	कांट्रा	53		7,00,000.00
23/12/2015	द्वारा	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	कांट्रा	57		7,00,000.00
29/12/2015	द्वारा	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	कांट्रा	59		9,00,000.00
31/12/2015	द्वारा	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	कांट्रा	60		6,00,000.00

12/01/2016	द्वारा	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	कांट्रा	63		**5,00,000.00**
07/03/2016	द्वारा	प्रशिक्षण	भुगतान	903		**36,972.00**
31/03/2016	द्वारा	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	कांट्रा	80		**25,00,000.00**
						90,18,959.00
	को	अंत जमा			90,18,959.00	
					90,18,959.00	**90,18,959.00**

इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता)

अनुलग्नक-(सी)

1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016

बही खाता:

दिनांक	विवरण		वाउचर प्रकार	वाउचर सं.	नामे	जमा
23/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	कांट्रा	13	**1000.00**	
03/07/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	कांट्रा	16	**50,00,000.00**	
23/07/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	कांट्रा	23	**20,54,000.00**	
28/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	कांट्रा	68	**60,17,503.00**	
					1,30,72,503.00	
	द्वारा	अंत शेष				1,30,72,503.00
					1,30,72,503.00	**1,30,72,503.00**

अनुलग्नक-(डी)

निरीक्षण के लिए यात्रा व्यय

	इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता)			1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016		
दिनांक		विवरण	वाउचर प्रकार	वाउचर सं.	नामे	जमा
16/04/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	41	16,169.00	
16/04/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	42	20,831.00	
16/04/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	43	27,769.00	
30/04/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	97	25,040.00	
07/05/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	109	2,599.00	
07/05/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	110	7,218.00	
19/05/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	126	70.00	
19/05/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	127	8,505.00	
08/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	189	3,404.00	
10/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	196	2,223.00	
10/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	197	32,783.00	
15/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	200	21,042.00	
15/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	201	37,301.00	
17/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	205	1,543.00	
17/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	206	26,967.00	
18/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	213	3,111.00	
18/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	214	13,638.00	
18/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	215	5,441.00	
30/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	245	17,088.00	
09/07/2015	में	इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता)	भुगतान	276	30,506.00	
05/08/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	337	8,122.00	
05/08/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	338	8,113.00	
12/08/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	355	3,450.00	
25/08/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	372	4,724.00	
25/08/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	373	4,776.00	
25/08/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	374	2,544.00	
01/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	406	3,373.00	
01/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	407	11,182.00	
02/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	408	11,079.00	
02/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	409	17,440.00	

02/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	415	3,975.00	
02/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	416	1,457.00	
22/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	447	920.00	
22/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	448	8,249.00	
22/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	449	2,165.00	
19/10/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	535	7,841.00	
19/10/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	536	12,744.00	
19/10/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	539	1,700.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	592	7,988.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	593	8,599.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	594	6,837.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	595	8,599.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	596	16,498.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	597	14,971.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	598	5,729.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	599	9,955.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	600	5,719.00	
11/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	607	89,043.00	
26/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	624	975.00	
26/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	625	25,051.00	
05/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	727	7,408.00	
05/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	728	36,695.00	
05/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	729	10,820.00	
13/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	748	2,680.00	
13/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	749	17,355.00	
13/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	750	2,458.00	
13/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	751	10,807.00	
13/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	752	10,903.00	
17/02/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	827	1,250.00	
17/02/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	828	47,643.00	
17/02/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	829	1,455.00	
17/02/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	830	19,274.00	
17/02/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	831	8,410.00	
17/02/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	832	10,210.00	
24/02/2016	में	निरीक्षण के लिए अग्रिम	जरनल	103	2,645.00	
08/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	908	9,652.00	
08/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	909	15,844.00	

08/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	910	**6,380.00**	
08/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	911	**6,460.00**	
16/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	931	**2,501.00**	
16/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	932	**7,786.00**	
16/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	933	**10,353.00**	
16/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	935	**41,793.00**	
21/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	947	**3,743.00**	
29/03/2016	में	निरीक्षण के लिए अग्रिम	जरनल	132	**12,451.00**	
31/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	970	**13,857.00**	
31/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	971	**82,173.00**	
		जोड़			**10,20,072.00**	

अनुलग्नक·(इ)

इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता) बही

1 अप्रैल 2016 से 12 अगस्त 2016

दिनांक	विवरण		वाउचर प्रकार	वाउचर सं.	नामे	जमा
01/04/2016	में	प्रारंभिक शेष			**1,59,90,125.00**	
18/04/2016	द्वारा	इंडियन बैंक खाता– मुख्य	कांट्रा	4		**25,00,000.00**
05/05/2016	द्वारा	इंडियन बैंक खाता– मुख्य	कांट्रा	7		**10,00,000.00**
18/05/2016	द्वारा	इंडियन बैंक खाता– मुख्य	कांट्रा	10		**10,00,000.00**
					1,59,90,125.00	45,00,000.00
	द्वारा	अंत शेष				1,14,90,125.00
					1,59,90,125.00	**1,59,90,125.00**

अनुलग्नक·(एफ)

इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता) बही

1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017

दिनांक	विवरण		वाउचर प्रकार	वाउचर सं.	नामे	जमा
01/04/2016	में	प्रारंभिक शेष			**1,59,90,125.00**	
30/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता– मुख्य	कांट्रा	17	**45,00,000.00**	
31/03/2017	में	इंडियन बैंक खाता– मुख्य	भुगतान	757	**20,82,175.00**	
					2,25,72,300.00	
	द्वारा	अंत शेष				2,25,72,300.00
					2,25,72,300.00	**2,25,72,300.00**

अनुलग्नक-(जी)

निरीक्षण के लिए यात्रा व्यय

1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017

दिनांक	विवरण		वाउचर प्रकार	वाउचर सं.	नामे
13/04/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	47	2,646.00
13/04/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	48	54,198.00
19/04/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	61	5,187.00
19/04/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	62	16,214.00
02/05/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	99	7,910.00
02/05/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	100	3,350.00
20/05/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	160	1,524.00
20/05/2016	में	यात्रा व्ययों के लिए अग्रिम	जरनल	16	5,000.00
20/05/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	161	15,035.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	203	4,235.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	204	13,911.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	205	4,931.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	206	9,080.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	207	3,682.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	208	2,255.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	209	938.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	210	2,850.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	211	24,734.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	212	6,505.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	213	1,542.00
21/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	226	970.00
21/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	227	21,830.00
21/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	228	300.00
24/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	236	1,650.00
24/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	237	1,650.00
28/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	242	5,750.00
28/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	243	62,282.00
28/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	244	3,906.00
28/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	245	16,551.00
15/07/2016	में	यात्रा व्यय के लिए अग्रिम	जरनल	35	11,168.00
15/07/2016	में	यात्रा व्यय के लिए अग्रिम	जरनल	36	12,096.00

15/07/2016	में	दौरा व्यय के लिए अग्रिम	जरनल	37	**14,720.00**
22/07/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	294	**4,590.00**
22/07/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	295	**7,015.00**
22/07/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	296	**28,299.00**
22/07/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	297	**2,850.00**
22/07/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	298	**11,939.00**
22/07/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	299	**7,278.00**
28/07/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	325	**1,986.00**
28/07/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	326	**15,696.00**
12/08/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	350	**2,650.00**
12/08/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	351	**14,490.00**
12/08/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	352	**2,836.00**
12/08/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	353	**23,365.00**
12/08/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	354	**8,227.00**
12/08/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	355	**7,877.00**
30/08/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	370	**2,750.00**
30/08/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	371	**23,071.00**
16/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	405	**450.00**
16/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	406	**18,787.00**
16/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	407	**950.00**
16/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	408	**18,787.00**
23/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	412	**965.00**
23/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	413	**14,404.00**
23/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	414	**2,350.00**
23/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	415	**12,720.00**
23/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	416	**450.00**
23/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	417	**2,350.00**
23/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	418	**5,849.00**
23/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	419	**725.00**
03/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	442	**6,375.00**
03/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	443	**11,392.00**
06/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	448	**2,750.00**
06/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	449	**13,185.00**
06/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	450	**2,237.00**
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	487	**3,090.00**
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	488	**12,377.00**

28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	489	3,000.00
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	490	23,266.00
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	491	12,259.00
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	492	11,199.00
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	493	3,430.00
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	494	2,600.00
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	495	49,056.00
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	496	77,333.00
28/11/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	524	5,400.00
28/11/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	525	3,350.00
28/11/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	526	450.00
02/12/2016	में	यात्रा के लिए अग्रिम – जयरमन	जरनल	91	8,953.00
26/12/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	572	9,617.00
24/03/2017	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	708	234.00
24/03/2017	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	709	290.00
28/03/2017	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	727	225.00
29/03/2017	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	729	1,57,388.00
29/03/2017	में	यात्रा के लिए अग्रिम – जयरमन	जरनल	120	31,006.00
29/03/2017	में	यात्रा के लिए अग्रिम – जयरमन	जरनल	121	19,962.00
31/03/2017	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	735	7,544.00
		जोड़			10,60,274

इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता) बही

अनुलग्नक·(एच)

1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017

दिनांक	विवरण		वाउचर प्रकार	वाउचर सं.	नामे	जमा
22/07/2015	में	अग्रदाय खाता	प्राप्ति	90	1028	
24/07/2015	में	अग्रदाय खाता	प्राप्ति	92	26	
31/07/2015	में	अग्रदाय खाता	प्राप्ति	116	1278	
30/11/2015	में	अग्रदाय खाता	प्राप्ति	288	30803	
31/12/2015	में	अग्रदाय खाता	प्राप्ति	366	76910	
30/01/2016	में	अग्रदाय खाता	प्राप्ति	495	4041	
30/01/2016	में	अग्रदाय खाता	प्राप्ति	496	98858	
16/07/2015	द्वारा	बैंक प्रभार	भुगतान	289		255
24/02/2016	द्वारा	बैंक प्रभार	भुगतान	848		56
13/04/2016	द्वारा	बैंक प्रभार	भुगतान	49		1682
30/04/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	187	7255	
04/05/2016	द्वारा	बैंक प्रभार	भुगतान	117		169

30/06/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	333	92,502	
31/07/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	380	2,43,431	
31/08/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	419	58,908	
30/09/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	446	2,11,562	
18/10/2016	द्वारा	बैंक प्रभार	भुगतान	454		91
18/10/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	458	2,729	
31/10/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	461	6,732	
30/11/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	491	21,575	
31/12/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	526	2,47,542	
31/12/2016	द्वारा	बैंक प्रभार	भुगतान	591		51
31/01/2017	में	ब्याज आय	प्राप्ति	542	2,326	
31/01/2017	में	ब्याज आय	प्राप्ति	543	2,61,744	
28/02/2017	में	ब्याज आय	प्राप्ति	577	79,270	
31/03/2017	में	ब्याज आय	प्राप्ति	622	2,28,921	
					16,77,441	2,304
		निवल जोड़				16,75,137

इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता)

1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017

दिनांक	विवरण		वाउचर प्रकार	वाउचर सं.	नामे	जमा
26/11/2015	में	एमटीएस आवेदन शुल्क	प्राप्ति	281	50.00	
26/11/2015	में	एमटीएस आवेदन शुल्क	प्राप्ति	282	50.00	
26/11/2015	में	एमटीएस आवेदन शुल्क	प्राप्ति	283	50.00	
26/11/2015	में	वाहनों के लिए अग्रिम	प्राप्ति	284	1,568.00	
09/03/2016	में	राज्य मत्स्यपालन, आंध्र प्रदेश	प्राप्ति	691	50,700.00	
23/03/2016	में	आरटीआई शुल्क	प्राप्ति	844	10.00	
23/03/2016	में	आरटीआई शुल्क	प्राप्ति	845	10.00	
11/04/2016	में	प्रशिक्षण	प्राप्ति	111	25,272.00	
		जोड़			77,710	

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वां तल, एकीकृत कार्यालय कॉम्पलेक्स, वेटरिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नन्दानाम, चेन्नई–600035

31–03–2020 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां	(राशि–रू.)		भुगतान	(राशि–रू.)	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रारंभिक शेष	-		**I. व्यय**	-	
क) हाथ में नकदी	-	-	क) स्थापना व्यय	1,17,20,831	1,67,61,683
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय	1,20,61,468	1,35,58,327
i) वर्तमान लेखों में	-	-			
ii) जमा खातों में	-	-	**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों की एवज में किए गए भुगतान**	-	
iii) बचत खातें	8,43,96,516	4,53,60,998	(निधि या परियोजना का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतानों के विवरणों के साथ दर्शाये जाने चाहिए)	-	-
iv) आईओबी - '10000	-	1,22,276			
प्रारंभिक शेष – समायोजन	(172)				
पूर्व अवधि व्यय समायोजन (वि.व. 2018–19)	9,81,086				
II. प्राप्त अनुदान	-				
क) भारत सरकार से –			**III. किए गए निवेश और जमाराशियां**		
पूंजी प्राप्तियां	1,03,250	6,962	क) निर्धारित/संचयी निधियों में से	-	-
राजस्व प्राप्तियां		3,99,93,038	ख) स्वयं की निधियों में से	-	-
जीआईए वेतन	2,15,00,000				
जीआईए सामान्य	2,33,96,750				
ख) राज्य सरकार से	-	-			
ग) अन्य स्रोत से	-	-	**IV. अचल परिसंपत्तियों और प्रगतिधीन पूंजी पर व्यय**	-	
(पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग'से दर्शायें)			क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद	1,03,250	6,962
			ख) प्रगतिधीन कार्यपूंजी पर व्यय	-	-
III. निम्न से निवेश पर आय					
क) निर्धारित/संचयी निधियां (एफडीआर ब्याज)	-		**V. अधिशेष धनराशि/ऋणों की वापिसी**		
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)	-	-	क) भारत सरकार को	-	-
			ख) राज्य सरकार के लिए	-	-
IV. प्राप्त ब्याज	-	-	**VI. वित्त प्रभार (ब्याज)**		
क) बैंक जमाराशियों पर	6,09,716	2,79,782	क) पीएओ, एग्री को ब्याज वापिसी	2,79,782	
ख) ऋण, अग्रिम आदि	-	-		-	
ग) निर्धारित निधि पर	47,57,317	31,62,038	**VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**	-	
			क) देय किराया	2,17,888	2,17,888
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)	-	-	ख) प्रदर्शन प्रतिभूति जमा वापिसी	-	-

पीओ से रियायत	-	-	ग) बैंक प्रभार (निर्धारित निधि)	15	-
विविध आय	-	12	घ) पूर्वभुगतान व्यय	-	-
त्योहार अग्रिम	-	-	ड.) निर्धारित निधि में से व्यय	3,20,000	1,00,000
आरटीआई शुल्क	860	20	च) चिकित्सा अग्रिम	-	-
एमटीएस आवेदन शुल्क	-	-	छ) एलएसपीसी/सीपीसी बकाया	-	-
जुमा की वापिसी – सीपीडब्ल्यूडी सीसीडी	-	-	ज) पोस्ट मास्टर, सेंट थॉमस माउंट	-	5,00,000
स्क्रेप की बिक्री	28,599	-	झ) हाथ में स्टांप्स	-	25,000
संसद व्यय की हिस्सेदारी – ईपीएफओ	-	-	ञ) देय बोनस	-	-
VI. उधार ली गई राशि	-	-	ट) निरीक्षण के लिए यात्रा व्यय	-	-
डी.डी.ओ.	-	-	ठ) विविध देनदार	-	-
			ड) टीडीएस	9,07,083	11,63,124
VII. कोई अन्य प्राप्तियां (ब्योरे दें)			ढ) एनपीएस – के श्रीनिवासन बाबू	-	-
जमानत राशि जमा	10,000	-	ण) प्रोफेशनल टैक्स	-	-
त्योहार अग्रिम वसूली	-	-	त) अप्रत्यक्ष व्यय	-	-
हाथ में स्टांप	-	-	थ) देय वेतन	-	12,08,025
साख पत्र	-	-	द) वापिस किया गया प्रक्रिया शुल्क (एल वी हैचरी)	-	-
संचयी निधि (प्रक्रिया शुल्क)	27,84,100	78,91,950		-	-
आवेदन शुल्क - 30%	3,16,540	3,37,384	**VIII. ऋण और अग्रिम**	-	-
राज्य मत्स्यपालन – आंध्र प्रदेश	-	-	क) बैठक के लिए अग्रिम	81,349	1,79,620
प्रतिभूमि जमा	20,800	-	ख) क्रॉकरियों के लिए अग्रिम	-	-
फीड उत्पाद	72,82,750	2,11,01,290	ग) स्थानांतरण अग्रिम	75,000	5,000
एनपीएस – के श्रीनिवासन बाबू	-	14,078	घ) हिंदी सप्ताह के लिए अग्रिम	-	5,000
प्रोफेशनल टैक्स	-	-	ड.) गणतंत्र दिवस के लिए अग्रिम	-	14,000
टीडीएस	-	-	च) प्रचार सप्ताह के लिए अग्रिम	-	6,500
स्टाफ कटौती और प्रेषण	60,442	-	छ) लेखापरीक्षा के लिए अग्रिम	-	10,000
मुथु सॉफ्ट लैब्स			ज) स्टांपों के लिए अग्रिम	-	-
सीपीएफ, जीपीएफ, पेंशन आदि से निधि अंतरण			झ) हिंदी सेमिनार के लिए अग्रिम	-	-
अग्रिम वापिसी			ञ) एमएस सील के लिए अग्रिम	-	-
क) बैठक के लिए अग्रिम	1,052	28,481	ट) पूजा व्ययों के लिए अग्रिम	-	20,000
ख) प्रचार सप्ताह के लिए अग्रिम	-	2,832	ठ) स्टाफ कल्याण के लिए अग्रिम	33,000	48,000
ग) क्राकरियों के लिए अग्रिम	-	-	ड) यात्रा/दौरा व्ययों के लिए अग्रिम	1,00,000	6,47,405
घ) लेखापरीक्षा के लिए अग्रिम	-	-	ढ) एलटीसी अग्रिम	1,00,000	28,300
ड.) स्वतंत्रता/गणतंत्र दिवस के लिए अग्रिम	-	1,647	ण) परामर्शदाता और प्रोग्रामर साक्षात्कार के लिए अग्रिम	-	-
च) हिंदी सेमिनार के लिए अग्रिम	-	-	त) टेलीफोन के लिए अग्रिम	-	-
छ) स्टांपों के लिए अग्रिम	-	-	थ) आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम	-	-
ज) यात्रा/दौरा व्ययों के लिए अग्रिम	-	89,940	द) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए अग्रिम	-	-

झ) पूजा व्यय के लिए अग्रिम	-	8,520			
ञ) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए अग्रिम	-	-	**सीपीएफ, जीपीएफ, पेंशन लेखा में निधि अंतरण**		
ट) परामर्शदाता और प्रोग्रामर जमा के लिए अग्रिम	-	-	**IX. अंत शेष**	-	
ठ) आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम	-	-	क) हाथ में नकदी	-	-
ड) स्टाफ कल्याण के लिए अग्रिम	225	515	ख) बैंक शेष		
ढ) टेलीफोन के लिए अग्रिम	-	-	i) वर्तमान लेखा में	-	-
ण) एमएस सील के लिए अग्रिम	-	-	ii) जमा खातों मे	-	-
			iii) बचत खात	9,77,91,945	8,43,96,516
प्रत्यक्ष व्यय वापिसी			iv) अंतरण में निधियां	2,26,00,000	
क) स्थापना व्यय	1,41,779	4,61,097			
ख) प्रशासनिक व्यय	-	38,490			
जोड़	**14,63,91,611**	**11,89,01,350**	**जोड़**	**14,63,91,611**	**11,89,01,350**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वां तल, एकीकृत कार्यालय कॉम्पलेक्स, वेटरिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नन्दानाम, चेन्नई–600035

31.03.2020 तक तुलनपत्र की अनुसूचियां भाग

अनुसूची 6 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:		
1. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों में:		
- बचत खातों पर	9,77,91,945	8,53,77,602
- अंतरण में निधियां	2,26,00,000	
2. हाथ में स्टांप्स		
क) अनुसूचित बैंकों में	4,09,757	62,113
ख) स्टांप्स (डाक)	17,558	24,084
ग) पोस्ट मास्टर	-	5,00,000
जोड़ (क)	**12,08,19,260**	**8,59,63,799**

बैंक खाते

समूह सार

विवरण	1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020			
	प्रारंभिक शेष	लेनदेन		अंत शेष
		नामे	जमा	
आईडीबीआई निर्धारित निधि		9,23,82,612.00		9,23,82,612.00 Dr
आईडीबीआई मुख्य खाता	76,47,679.00 Dr	2,15,52,805.00	1,62,74,454.50	52,78,350.50 Dr
इंडियन बैंक खाता मुख्य	7,76,03,370.00 Dr	2,79,20,969.00	3,55,68,648.00	
इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता)	1,26,553.00 Dr	85,86,363.00	8,61,89,733.00	
आईओबी खाता सं. 209501000010000		4,429.00		1,30,982.00 Dr
सकल जोड़	**8,53,77,602.00 डा.**	**15,04,47,178.00**	**13,80,32,835.50**	**9,77,91,944.50 डा.**

अनुलग्नक-(के)

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वां तल, एकीकृत कार्यालय कॉम्पलेक्स, वेटरिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नन्दानाम, चेन्नई–600035

31.03.2020 तक तुलनपत्र की अनुसूचियां भाग

अनुसूची 1 : कॉर्पस/पूंजी निधिः

(राशि–रू.)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्ष की शुरूआत में शेष	1,28,75,112	1,21,06,191
प्रारंभिक शेष – समायोजन		
घटायें: बैंक ब्याज और अन्य प्राप्तियां	17,52,847	
घटायें: ईएमएफ अनुसूची में गलती से लेखांकित अनुदान व्यय	20,80,346	
घटायें: बैंक प्रभार	172	
घटायें: सीएटी वेतन	8,62,835	
घटायें: वेतन और भत्ते – मार्च 2019 प्रावधान	9,81,086	
जोड़ें: कॉर्पस/पूंजी निधि के लिए प्राप्त अनुदान	1,03,250	6,962
जोड़ें: आईओबी – खाता 209501000010000	-	-
घटायें: पीएओ, एग्री को वापिस किया गया ब्याज	2,79,782	-
घटायें: आय और व्यय लेखा से अंतरण की गई आय पर व्यय	70,21,295	1,21,13,153
जोड़ें: आय एवं व्यय लेखा से अंतरण किए गए व्यय पर आय की अधिकता	(5,67,971)	7,61,959
वर्ष के अंत में शेष	**64,53,323**	**1,28,75,112**
ख. भारत सरकार का ब्योरा – अनुदान		
प्रारंभिक शेष	-	
वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	4,50,00,000	
व्यय	3,43,67,742	
31-03-2020 तक अव्ययित शेष	**1,06,32,258**	-
वर्ष के अंत तक शेष (क+ख)	**1,70,85,581**	**1,28,75,112**

PART II

Separate Audit Report of the C & AG for the year 2017-18

सत्यमेव जयते

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)
Chennai
"LEKHA PARIKSHA BHAVAN", 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.
दूरभाष / Phone : 044 - 2431 6400 फैक्स / Fax : 044 - 2433 8924
तार / E-mail : dgacchennai@cag.gov.in

No. PDA(C)/CE/V/28-39/2018-19/ **Dated: 04.02.2019**

To

The Secretary to Government of India,
Ministry of Agriculture,
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries,
Shastri Bhavan,
New Delhi – 110 001.

Sir,

Sub: Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2017-18 – Reg.

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2017-18 along with the statement of accounts. Three copies of the Report for the year 2017-18 as presented to Parliament may be forwarded to this office in due course.

The receipt of this letter with enclosures may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

----Sd----

Deputy Director/Admn.

Encl: As above.

Endt.No. PDA(C)/CE/V/28-39/2018-19/ 78 **Dated: 04.02.2019**

Copy together with a copy of the Separate Audit Report of Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2017-18 and Management Letter forwarded to the Member Secretary, Coastal Aquaculture Authority, Chennai. It is requested to furnish 3 copies of the Hindi version of the Audit Report and 3 copies of the Annual Report as presented to Parliament at an early date. It is also requested to furnish the dates of presentation of the accounts to Parliament for the year 2017-18.

Deputy Director/Admn.

महा निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) का कार्यालय
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै- 600 018

सेवामें,

The Member Secretary,
Coastal Aquaculture Authority,
12-A, GDR Tower, Bharathi Street,
Vanuvampettai, Chennai – 600 091.

मै इसके साथ दिनांक 04.02.2019 के पत्र सं. PDA(C)/CE/V/28-39/18-19/78

अग्रेषित कर रहा हूँ ।

भवदीय,

एस. वासुदेवन

उप निदेशक/प्रशासन

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year ended 31st March 2018.

We have audited the attached Balance Sheet of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as on 31 March 2018, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 20(3) of the Coastal Aquaculture Authority Act 2005. These financial statements are the responsibility of the Authority's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Coastal Aquaculture Authority, Chennai as required in the rules and regulations of the Authority, in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A. Balance Sheet

Liabilities

Capital/Corpus Fund — Sch.1 — ₹ 1.21 crore.

Earmarked 1 Endowment Funds — Sch-2 - ₹ 4.25 crore.

Total earmarked funds of 4.25 crore were disclosed under liabilities and corresponding earmarked funds assets were shown as Rs. 4.82 crore (FD in IOB —Schedule 5- ₹ 228,29,831, Cash at Bank in Earmarked Fund as per Schedule 6 — Rs. 4,53,50,998) were disclosed in balance sheet.

Incorrect practice of accounting the interest earned on earmarked funds as institute's income in I&E account instead of crediting the same to respective earmarked funds in earlier years, has resulted in an accumulated difference of ₹ 57.00 lakh between the Earmarked Funds disclosed on the liabilities side and corresponding assets in balance sheet. Thus, the Earmarked/Endowment Funds were understated and Capital/Corpus fund overstated to the extent of ₹ 57.00 lakh.

B. General

1. According to the guidelines in uniform format for annual accounts of Central Autonomous Bodies prescribed by the Ministry of Finance, any funds received / kept aside by an institute for a specific objective have to be accounted separately as an 'earmarked fund'. Any interest earned and expenditure incurred on those funds has to be accounted in respective earmarked funds.

   The institute has been receiving Farm registration fee, processing fee for *Litopenaeus vannamei (L.V)* Farms, L.V. Hatcheries and Feed Products. The fee received has been accounted under respective four earmarked funds. However, instead of accounting the interest earned and expenditure incurred from the respective earmarked funds to those funds, the institute has incorrectly created two other earmarked funds for accounting the interest earned and expenditure incurred on the said four funds. Comment was included in previous year Separate Audit Report, but corrective action has not been taken by the Institute.

2. No provision for retirement benefits viz., Gratuity and Leave Encashment on actuarial basis has been made in the accounts which is in contravention of AS-15.

C. Effect of Revision in Accounts

The accounts of the Authority were revised based on audit comments which resulted in decrease of Assets & Liabilities by ₹ 1.32 crore.

D. Grants in aid

Out of the grants-in-aid of ₹ 1.98 crore received during the year, the authority utilised a sum of ₹ 1.98 crore, leaving a balance of ₹ NIL as on 31st March 2018.

E. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Member Secretary, Coastal Aquaculture Authority, Chennai through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as at 31 March 2018; and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place : Chennai

Date : 04.02.2019

Principal Director of Audit (Central)
Chennai

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit was not conducted for the year 2017-18.

2. Adequacy of Internal Control System

Internal control system is inadequate as there was no internal audit system, no system for delegation of powers and for assessing the performance of consultants appointed on contract basis.

3. Physical verification of fixed assets.

Physical verification of fixed assets was done for the year 2017-18.

4. System of Physical Verification of Inventory

Physical verification of inventory was done for the year 2017-18.

5. Regularity in payment of statutory dues

The Authority was regular in payment of statutory dues.

Deputy Director/Admn.

9/9

सत्यमेव जयते

ANIM CHERIAN, IAAS

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय)
चेन्नै
लेखापरीक्षा भवन
361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.

PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)
Chennai
"LEKHA PARIKSHA BHAVAN"
361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

अ. स. नं. / D.O. No. : PDA(C)/CAB/V/28-39/2018-19/ 78
दिनांक / Date : 04 February 2019

Dear Sir,

Please refer to the Separate Audit Report on the audit of Annual Accounts of Coastal Aquaculture Authority (CAA), Chennai for the year 2017-18 issued on 29.01.2019. I wish to bring the following defects noticed in accounting practices/procedures to your notice for remedial action.

1. The closing bank balance in an account maintained by CAA in IOB, Haddows Road branch (A/c.No.209501000010000) has been disclosed under current assets in balance sheet. However, the transactions in this bank account (opening balance, receipts, payments and closing balance) were not disclosed in the Receipts & Payments Account enclosed to the annual financial statements.

2. A bank account operated by CAA in IOB, Haddows Road branch (A/c No.209501000006548) discloses a closing balance of ₹.153.90 as per the bank statements obtained from IOB by Audit. However, this bank account was omitted to be included under the list of bank balances under Current Assets in Balance Sheet.

3. Including the bank accounts mentioned in S.No.1&2, CAA is operating five bank accounts in IOB, Haddows Road branch, Nungambakkam, Chennai. All the five bank accounts with a total balance of ₹.1,52,480 were lying inoperative for more than three years. If these bank accounts are not required, necessary action may be taken to close the accounts with the approval of competent authority and transfer the funds to operative accounts.

With Regards, Yours sincerely,

Dr. C.Gopal,
Member Secretary, Coastal Aquaculture Authority,
12-A, GDR Tower, Bharathi Street, Vanuvampettai, Chennai – 600 091.

दूरभाष / Phone : 044-2431 6698

फैक्स / Fax : 044 - 2433 8924
तार / E-mail : dgacchennai@cag.gov.in

Para-wise clarification for Separate Audit Report for the year 2017-18

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Para No. in SAR</th><th>Clarification</th></tr>
<tr><td>A.</td><td>Balance Sheet

Liabilities

Capital/Corpus Fund - Sch.1 - Rs.1.21 crore
Earmarked/Endowment Funds - Sch-2 - Rs.4.25 crore

Total earmarked funds of Rs.4.25 crore were disclosed under liabilities and corresponding earmarked funds assets were shown as Rs.4.82 crore (FD in IOB - Schedule 5 - Rs.28,29,831, Cash at Bank in Earmarked Fund as per Schedule 6 - Rs.4,53,60,998) were disclosed in balance sheet.

Incorrect practice of accounting the interest earned on earmarked funds as institute's income in I&E account instead of crediting the same to respective earmarked funds in earlier years, has resulted in an accumulated difference of Rs.57.00 lakh between the Earmarked Funds disclosed on the liabilities side and corresponding assets in balance sheet. Thus, the Earmarked/ Endowment Funds were understated and Capital / Corpus Fund overstated to the extent of Rs.57.00 lakh.</td><td rowspan="2">It is informed that there were no separate accounts created or maintained by Coastal Aquaculture Authority. Only one Earmarked Fund Account has been maintained by Coastal Aquaculture Authority all through.

A separate bank Account to maintain the Earmarked Fund was created on 23.6.2015 during the year 2015 – 16.

<table>
<tr><td>I.</td><td>It is submitted that during the year 2015-16, the following transactions resulted into difference in balance in excess of actual.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(A). The amount due to be transferred from the Main account to Earmarked Fund account [Copy of statement showing the details is attached as Annexure-(a)]</td><td>Rs.42,68,501</td></tr>
<tr><td></td><td>(B). The amount drawn from Earmarked Fund account to Main account during the year 2015 – 16 [Copy of statement showing the details is attached as Annexure-(b)]</td><td>Rs.90,18,959</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>B.</td><td>General</td></tr>
<tr><td>B.1</td><td>According to the guidelines in uniform format for annual accounts of Central Autonomous Bodies prescribed by the Ministry of Finance, any funds received / kept aside by an institute for a specific objective have to be accounted separately as an 'earmarked fund'. Any interest and expenditure incurred on those funds has to be accounted in respective earmarked funds.</td></tr>
</table>

	The institute has been received Farm registration fee, processing fee for Litopenaeus Vannamei (LV) Farms, LV Hatcheries and Feed products. The fee received has been accounted under respective four earmarked funds. However, instead of accounting the interest earned and expenditure incurred from the respective earmarked funds to those funds, the institute has incorrectly created two other earmarked funds for accounting the interest earned and expenditure incurred on the said four funds. Comment was included in previous year Separate Audit Report, but corrective action has not been taken by the Institute.		(C). The total amount returned to Earmarked Fund account from Main account [Copy of statement showing the details is attached as **Annexure-(c)**]	Rs.1,30,72,503
			(D). This is the net deficit [(C) – (A+B)]	**(-)Rs.2,14,957**
		II.	During 2015 – 16, the expenditure made from Main account was erroneously accounted in Earmarked Fund account [Copy of statement showing the details is attached as **Annexure-(d)**]	RS.10,20,072
		III.	During the year 2016 – 17, the following transactions resulted in a difference in balance in excess of actual	
			(A). Loan drawn from Earmarked Fund during 2016 – 17 [Copy of statement showing the details is attached as **Annexure-(e)**]	Rs.45,00,000

			(B). Repaid from Main account to Earmarked Fund account during 2016 – 17 [Copy of statement showing the details is attached as **Annexure-(f)**]	Rs.65,82,175
			(C). Total excess paid to Earmarked Fund account [Copy of statement showing the details is attached as (A – B)	**Rs.20,82,175**
		IV	During 2016 – 17 the expenditure made from Main account was erroneously accounted in Earmarked Fund account [Copy of statement showing the details is attached as **Annexure-(g)**]	**Rs.10,60,274**
		V	During the year 2016 – 17, the accrued interest amount from Earmarked Fund account was erroneously accounted for Main account [Copy of statement showing the details is attached as **Annexure-(h)**]	**Rs.17,52,847**
		VI	**ID + II + IIIC + V + V**	**57,00,411.00**
		The net effect of the above stated transactions (I+II+III+IV & V) resulted in a difference of Rs.57,00,411/- between the Earmarked Funds disclosed on the liabilities side and corresponding assets in Balance Sheet. It is submitted that another two entries erroneously accounted in Main account and Earmarked Fund account have been identified and rectified.		

		It is submitted that necessary corrective action by way of change of entries have been made and the effect of which has been reflected in the opening and closing balance of the revised accounts for the year 2019 – 20. The revised opening balance of Earmarked Fund account as on 01st April 2019 is Rs.8,06,72,553/- and the closing balance for Earmarked Fund account as on 31st March 2020 is Rs.9,56,08,528/-. The corresponding assets in the balance sheet is Rs.9,56,08,528/- (Bank balance Rs.9,23,82,612/- + Fixed Deposit Rs.32,25,916/-). Accordingly, the differences indicated by CAGI from 2015 – 16 uptill 2019 – 20 have been tallied between the Assets and Liabilities in the revised annual accounts and balance sheet for the year 2019 – 20. The revised annual accounts for the year 2019 – 20 is enclosed.
B.2	No provision for retirement benefits viz, Gratuity and Leave Encashment on actuarial basis has been made in the accounts which are in contravention of AS-15.	Necessary action taken for engagement of Actuarial Valuer providing actuarial valuation for the purpose of assessing the gratuity and leave encashment liability for CAA employees for a period of three years 2019-20, 2020-21 & 2021-22.
C.	**Effect of Revision in Accounts** The accounts of the Authority were revised based on audit comments which resulted in decrease of Assests & Liabilities by Rs.1.32 crore.	No observation made by audit hence may be treated as nil.
D.	**Grants in aid** Out of the grants-in-aid of Rs.1.98 crore received during the year, the authority utilized a sum of Rs.1.98 crore, leaving a balance of Rs.Nil as on 31st March, 2018.	No observation made by audit hence may be treated as nil.

	Annexure	
1.	**Adequacy of Internal Audit System** Internal Audit was not conducted for the year 2017-18.	Necessary action will be taken for future compliance.
2.	**Adequacy of Internal Control System** Internal control system is inadequate as there was no internal audit system, no system for delegation of powers and for assessing the performance of consultants appointed on contract basis.	
3.	**Physical verification of fixed assets.** Physical verification of fixed assets was done for the year 2017-18.	No observation made by audit hence may be treated as nil.
4.	**System of physical verification of inventory** Physical verification of inventory was done for the year 2017-18.	
5.	**Regularity in payment of statutory dues** The Authority was regular in payment of statutory of dues.	No observation made by audit hence may be treated as nil.

Para wise clarification for Management letter

Para No.	Observation in Management letter	Clarification
1.	The closing bank balance in an account maintained by CAA in IOB, Haddows Road branch (A/c No.209501000010000) has been disclosed under current assets in balance sheet. However, the transactions in this bank account (opening balance, receipts, payments and closing balance) were not disclosed in the Receipts & Payments Account enclosed to the annual financial statements.	The closing balance has been shown in 2019-20. Copy of Receipts and Payment accounts including Current Assets Schedule and Group of Bank accounts in Tally Software also enclosed as **Annexure- (j).**
2.	A bank account operated by CAA in IOB, Haddows Road branch (A/c No. 209501000006548) discloses a closing balance of Rs.153.90 as per the bank statements obtained from IOB by Audit. However, this bank account was omitted to be included under the list of bank balances under Current Assets in Balance Sheet.	Rectification entry has been made in Accounts of 2019 – 20 by crediting capital fund account and debiting bank account in current assets. The relevant schedules of capital fund account and current assets are enclosed as Annexure-(k).
3.	Including the bank accounts mentioned in S.No.1&2, CAA is operating five bank accounts in IOB, Haddows Road branch, Nungambakkam, Chennai. All the five bank accounts with a total balance of Rs.1,52,480 were lying inoperative for more than three years. If these bank accounts are not required, necessary action may be taken to close the accounts with the approval of competent authority and transfer the funds to operative accounts.	The office vide its letter dated 7.1.2021 requested the Indian Overseas Bank to close the in-operative accounts and also requested to transfer the account balance to the new bank accounts. In response, the IOB vide its e-mail dated 22.3.2021 has stated that their Haddows Road Branch merged with College Road Branch and also stated that all the four accounts of CAA are Dormant / in-operative status which requires activation. Hence, IOB requested the CAA to send the modified letter also requesting to activate the four accounts. As requested by the bank, the office vide its letter dated 8.4.2021 and 5.7.2019 has furnished the requisite documents / information and requested to made all four savings accounts of CAA as operative accounts and complete the procedure to close these accounts as requested in our letter dated 07.01.2021.

		Thereafter, the IOB vide its e-mail dated 8.7.2021 has requested to submit the KYC Forms and more document proof to take action on our request of closure of accounts. We have vide our letter dated 14.9.2021 furnished the KYC Forms for all the four accounts of CAA and requested that balance at credit of the all four accounts shall be transferred to the new bank account of CAA at IDBI Bank, Thiruvanmiyur Branch. The IOB has closed three accounts and transferred the balance at credit to the IDBI Bank, Thiruvanmiyur Branch on 13.10.2021. Further, on enquiry with IOB, the Manager, IOB has informed that remaining one account could not be closed due to some technical issue. Hence, matter has been taken up with their Head Office. This office will follow up with the IOB to get the remaining one account closed and the proceeds will be transferred the corresponding account of CAA. The same will be confirmed during the ensuing Audit. Hence, it is requested to drop the para as settled.

Ref.: PDA's letter No.PDA(C)/CE/IV/28-39/2018-19 dated 04.2.2019.

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

Annexure (a)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015

Schedule 2: Earmarked/ Endowment Funds

(Amount- ₹)

Description	Farm Registration Fees	Processing Fees (L.V Farms)	Processing Fees (L.V Hatchery)	General Provident Fund	Contributory Provident Fund	Pension Fund	Interest	Total	
								Current Year	Previous Year
a) Opening balance of the funds	21,11,823	44,67,784	21,07,250	8,68,000	9,60,358	10,87,019	3,41,396	1,19,43,630	72,15,433
b) Addition to the Funds:				2,33,416	3,66,932	37,232		6,37,580	29,15,377
i. Donations/grants	-	-	-			……..		-	-
ii. Income from Investment made on account of Earmarked funds	-	-	-			……..	1,92,662	1,92,662	3,41,396
iii. Fees	4,17,345	14,86,995	9,35,000			……..		28,39,340	14,71,424
TOTAL (a+b)	**25,29,168**	**59,54,779**	**30,42,250**	**11,01,416**	**13,27,290**	**11,24,251**	**5,34,058**	**1,56,13,212**	**1,19,43,630**
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds									
i. **Capital Expenditure**									
- Fixed Assets	-	-	-	-	-	-		-	-
- Others - Settlement	-	-	-	-	12,81,951	-		12,81,951	-
Total	-	-	-	-	-	-		-	
ii. **Revenue Expenditure**									
- Salaries, Wages and Allowances etc.	-	-	-	-	-	-		64,87,558	-
- Travelling Expenses on Inspection of Farms etc		-	-	-	-	-			
- JIFSAN Training Expenses	-	-	-	-	-	-		-	-
- Seminar/conference etc Expenses	-	-	-	-	-	-		-	-
Total	-	-	-	-	-	-		-	-
TOTAL (c)	-	-	-	-	12,81,951	-	-	77,69,509	-
NET BALANCE AS AT THE YEAR - END (a+b-c)	**25,29,168**	**59,54,779**	**30,42,250**	**11,01,416**	**45,339**	**11,24,251**	**5,34,058**	**78,43,703**	**1,19,43,630**

Particulars	FY 2014-15			FY 2015-16			
	Main A/c	Fixed Deposit	Total	Main A/c	EMF A/c	Fixed Deposit	Total
Opening	69,58,478	20,69,775	90,28,253	33,10,260	-	22,62,437	55,72,697
			-				-
Receipts			-				-
Application Fee-30%	4,17,345		4,17,345	24,900	5,15,011		5,39,911
Farm Registration Fees	-		-	-			-
Feed Product	-		-	1,20,000	47,30,000		48,50,000
Processing Fees (L.V Farms)	14,86,995		14,86,995	1,82,835	2,87,015		4,69,850
Processing Fees (L.V Hatchery)	9,35,000		9,35,000	6,00,000	61,75,000		67,75,000
Travelling Expenses for Inspection	-		-	30,506			30,506
Interest Income		1,92,662	1,92,662			1,91,586	1,91,586
Total	97,97,818	22,62,437	1,20,60,255	42,68,501	1,17,07,026	24,54,023	1,84,29,550
Payments			-				-
Expenditure	64,87,558		64,87,558		35,516		35,516
			-		10,20,072		10,20,072
Total	64,87,558	-	64,87,558	-	10,55,588	-	10,55,588
Closing Balance	**33,10,260**	**22,62,437**	**55,72,697**	**42,68,501**	**1,06,51,438**	**24,54,023**	**1,73,73,962**
Cumulative EMF Deposited in Main A/c							
Upto 31.03.2015		33,10,260					
Upto 30.06.2015		42,68,501					

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015

Schedule 5

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
Fixed Deposit Receipts (IOB)	22,62,437	20,69,775
Pension Fund Investment in SB A/c No:209501000007601	11,24,251	10,87,019
General Provident Fund Investment in SB A/c No:209501000006535	11,01,416	8,68,000
Contributory Provident Fund Investment in SB A/c No:209501000006536	45,339	9,60,358
Total	**45,33,443**	**49,85,152**

Indian Bank(Earmarked Fund A/c)

Annexure (b)

1-Apr-2015 to 31-Mar-2016

Ledger:

Date	Particulars		Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
08/07/2015	By	Cash	Contra	17		1,736.00
08/07/2015	By	ADVANCE FOR MEETING	Payment	267		3,500.00
08/07/2015	By	Telephone & Mobile Reimbursement Exp	Payment	268		2,500.00
08/07/2015	By	Advertisement in News Paper	Payment	271		9,522.00
09/07/2015	By	Manpower	Payment	272		4,927.00
09/07/2015	By	Cash	Contra	18		1,543.00
09/07/2015	By	Telephone & Mobile Reimbursement Exp	Payment	274		2,152.00
09/07/2015	By	Telephone Expenses	Payment	275		1,011.00
13/07/2015	By	Meeting Expenses	Payment	277		25,342.00
14/07/2015	By	Cash	Contra	19		2,895.00
14/07/2015	By	(as per details)	Payment	279		1,253.00
14/07/2015	By	Telephone Expenses	Payment	280		1,000.00
14/07/2015	By	Telephone Expenses	Payment	281		26,861.00
14/07/2015	By	Postage& Telegram	Payment	282		21,088.00
14/07/2015	By	Meeting Expenses	Payment	283		10,904.00
14/07/2015	By	(as per details)	Payment	284		1,46,679.00
14/07/2015	By	Tds	Payment	285		3,085.00
16/07/2015	By	Cash	Contra	20		1,890.00
16/07/2015	By	ADVANCE FOR LAPTOP BAG	Payment	287		6,000.00
17/07/2015	By	Medical Expenses	Payment	290		6,474.00
20/07/2015	By	Printing & Stationery and Computer Consumables	Payment	291		1,625.00
22/07/2015	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	22		5,00,000.00
05/11/2015	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	46		15,00,000.00
30/11/2015	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	51		8,00,000.00
07/12/2015	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	53		7,00,000.00
23/12/2015	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	57		7,00,000.00
29/12/2015	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	59		9,00,000.00
31/12/2015	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	60		6,00,000.00

12/01/2016	By	**Indian Bank A/c- Main**	**Contra**	63		**5,00,000.00**
07/03/2016	By	**Training**	**Payment**	903		**36,972.00**
31/03/2016	By	**Indian Bank A/c- Main**	**Contra**	80		**25,00,000.00**
						90,18,959.00
	To	**Closing Balance**			90,18,959.00	
					90,18,959.00	**90,18,959.00**

Indian Bank(Earmarked Fund A/c)

Annexure (c)

1-Apr-2015 to 31-Mar-2016

Ledger:

Date		Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
23/06/2015	To	**INDIAN OVERSEAS BANK-Main**	**Contra**	13	**1000.00**	
03/07/2015	To	**INDIAN OVERSEAS BANK-Main**	**Contra**	16	**50,00,000.00**	
23/07/2015	To	**INDIAN OVERSEAS BANK-Main**	**Contra**	23	**20,54,000.00**	
28/01/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Contra**	68	**60,17,503.00**	
					1,30,72,503.00	
	By	**Closing Balance**				1,30,72,503.00
					1,30,72,503.00	**1,30,72,503.00**

Annexure (d)

TRAVELLING EXPENSES FOR INSPECTION

Indian Bank(Earmarked Fund A/c)

1-Apr-2015 to 31-Mar-2016

Date		Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
16/04/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	41	16,169.00	
16/04/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	42	20,831.00	
16/04/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	43	27,769.00	
30/04/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	97	25,040.00	
07/05/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	109	2,599.00	
07/05/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	110	7,218.00	
19/05/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	126	70.00	
19/05/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	127	8,505.00	
08/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	189	3,404.00	
10/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	196	2,223.00	
10/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	197	32,783.00	
15/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	200	21,042.00	
15/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	201	37,301.00	
17/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	205	1,543.00	
17/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	206	26,967.00	
18/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	213	3,111.00	
18/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	214	13,638.00	
18/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	215	5,441.00	
30/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	245	17,088.00	
09/07/2015	To	Indian Bank(Earmarked Fund A/c)	Payment	276	30,506.00	
05/08/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	337	8,122.00	
05/08/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	338	8,113.00	
12/08/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	355	3,450.00	
25/08/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	372	4,724.00	
25/08/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	373	4,776.00	
25/08/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	374	2,544.00	
01/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	406	3,373.00	
01/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	407	11,182.00	
02/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	408	11,079.00	
02/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	409	17,440.00	

02/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	415	3,975.00	
02/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	416	1,457.00	
22/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	447	920.00	
22/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	448	8,249.00	
22/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	449	2,165.00	
19/10/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	535	7,841.00	
19/10/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	536	12,744.00	
19/10/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	539	1,700.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	592	7,988.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	593	8,599.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	594	6,837.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	595	8,599.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	596	16,498.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	597	14,971.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	598	5,729.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	599	9,955.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	600	5,719.00	
11/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	607	89,043.00	
26/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	624	975.00	
26/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	625	25,051.00	
05/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	727	7,408.00	
05/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	728	36,695.00	
05/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	729	10,820.00	
13/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	748	2,680.00	
13/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	749	17,355.00	
13/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	750	2,458.00	
13/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	751	10,807.00	
13/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	752	10,903.00	
17/02/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	827	1,250.00	
17/02/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	828	47,643.00	
17/02/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	829	1,455.00	
17/02/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	830	19,274.00	
17/02/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	831	8,410.00	
17/02/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	832	10,210.00	
24/02/2016	To	ADVANCE FOR INSPECTION	Journal	103	2,645.00	
08/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	908	9,652.00	
08/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	909	15,844.00	

08/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	910	6,380.00	
08/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	911	6,460.00	
16/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	931	2,501.00	
16/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	932	7,786.00	
16/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	933	10,353.00	
16/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	935	41,793.00	
21/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	947	3,743.00	
29/03/2016	To	ADVANCE FOR INSPECTION	Journal	132	12,451.00	
31/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	970	13,857.00	
31/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	971	82,173.00	
		Total			10,20,072.00	

Indian Bank (Earmarked Fund A/c) Book

Annexure (e)

1-Apr-2016 to 12-Aug-2016

Date	Particulars		Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
01/04/2016	To	Opening Balance			1,59,90,125.00	
18/04/2016	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	4		25,00,000.00
05/05/2016	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	7		10,00,000.00
18/05/2016	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	10		10,00,000.00
					1,59,90,125.00	45,00,000.00
	By	Closing Balance				1,14,90,125.00
					1,59,90,125.00	1,59,90,125.00

Indian Bank (Earmarked Fund A/c) Book

Annexure (f)

1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Date	Particulars		Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
01/04/2016	To	Opening Balance			1,59,90,125.00	
30/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Contra	17	45,00,000.00	
31/03/2017	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	757	20,82,175.00	
					2,25,72,300.00	
	By	Closing Balance				2,25,72,300.00
					2,25,72,300.00	2,25,72,300.00

Annexure (g)

TRAVELLING EXPENSES FOR INSPECTION

1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Date	Particulars		Vch Type	Vch No.	Debit
13/04/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	47	2,646.00
13/04/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	48	54,198.00
19/04/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	61	5,187.00
19/04/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	62	16,214.00
02/05/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	99	7,910.00
02/05/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	100	3,350.00
20/05/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	160	1,524.00
20/05/2016	To	Advance for Travelling Expenses	Journal	16	5,000.00
20/05/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	161	15,035.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	203	4,235.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	204	13,911.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	205	4,931.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	206	9,080.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	207	3,682.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	208	2,255.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	209	938.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	210	2,850.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	211	24,734.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	212	6,505.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	213	1,542.00
21/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	226	970.00
21/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	227	21,830.00
21/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	228	300.00
24/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	236	1,650.00
24/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	237	1,650.00
28/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	242	5,750.00
28/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	243	62,282.00
28/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	244	3,906.00
28/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	245	16,551.00
15/07/2016	To	Advance for Travelling Expenses	Journal	35	11,168.00
15/07/2016	To	Advance for Travelling Expenses	Journal	36	12,096.00

15/07/2016	To	**Advance for Tour Expenses**	**Journal**	37	**14,720.00**
22/07/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	294	**4,590.00**
22/07/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	295	**7,015.00**
22/07/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	296	**28,299.00**
22/07/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	297	**2,850.00**
22/07/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	298	**11,939.00**
22/07/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	299	**7,278.00**
28/07/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	325	**1,986.00**
28/07/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	326	**15,696.00**
12/08/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	350	**2,650.00**
12/08/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	351	**14,490.00**
12/08/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	352	**2,836.00**
12/08/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	353	**23,365.00**
12/08/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	354	**8,227.00**
12/08/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	355	**7,877.00**
30/08/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	370	**2,750.00**
30/08/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	371	**23,071.00**
16/09/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	405	**450.00**
16/09/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	406	**18,787.00**
16/09/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	407	**950.00**
16/09/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	408	**18,787.00**
23/09/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	412	**965.00**
23/09/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	413	**14,404.00**
23/09/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	414	**2,350.00**
23/09/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	415	**12,720.00**
23/09/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	416	**450.00**
23/09/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	417	**2,350.00**
23/09/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	418	**5,849.00**
23/09/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	419	**725.00**
03/10/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	442	**6,375.00**
03/10/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	443	**11,392.00**
06/10/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	448	**2,750.00**
06/10/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	449	**13,185.00**
06/10/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	450	**2,237.00**
28/10/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	487	**3,090.00**
28/10/2016	To	**Indian Bank A/c- Main**	**Payment**	488	**12,377.00**

28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	489	3,000.00
28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	490	23,266.00
28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	491	12,259.00
28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	492	11,199.00
28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	493	3,430.00
28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	494	2,600.00
28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	495	49,056.00
28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	496	77,333.00
28/11/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	524	5,400.00
28/11/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	525	3,350.00
28/11/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	526	450.00
02/12/2016	To	Advance for Travel - Jayaraman	Journal	91	8,953.00
26/12/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	572	9,617.00
24/03/2017	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	708	234.00
24/03/2017	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	709	290.00
28/03/2017	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	727	225.00
29/03/2017	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	729	1,57,388.00
29/03/2017	To	Advance for Travel - Jayaraman	Journal	120	31,006.00
29/03/2017	To	Advance for Travel - Jayaraman	Journal	121	19,962.00
31/03/2017	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	735	7,544.00
		Total			10,60,274

Indian Bank (Earmarked Fund A/c) Book

Annexure (h)

1-Apr-2015 to 31-Mar-2017

Date	Particulars		Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
22/07/2015	To	Interest A/c	Receipt	90	1,028	
24/07/2015	To	Interest A/c	Receipt	92	26	
31/07/2015	To	Interest A/c	Receipt	116	1,278	
30/11/2015	To	Interest A/c	Receipt	288	30,803	
31/12/2015	To	Interest A/c	Receipt	366	76,910	
30/01/2016	To	Interest A/c	Receipt	495	4,041	
30/01/2016	To	Interest A/c	Receipt	496	98,858	
16/07/2015	By	Bank Charges	Payment	289		255
24/02/2016	By	Bank Charges	Payment	848		56
13/04/2016	By	Bank Charges	Payment	49		1,682
30/04/2016	To	Interest Income	Receipt	187	7,255	
04/05/2016	By	Bank Charges	Payment	117		169

30/06/2016	To	Interest Income	Receipt	333	92,502	
31/07/2016	To	Interest Income	Receipt	380	2,43,431	
31/08/2016	To	Interest Income	Receipt	419	58,908	
30/09/2016	To	Interest Income	Receipt	446	2,11,562	
18/10/2016	By	Bank Charges	Payment	454		91
18/10/2016	To	Interest Income	Receipt	458	2,729	
31/10/2016	To	Interest Income	Receipt	461	6,732	
30/11/2016	To	Interest Income	Receipt	491	21,575	
31/12/2016	To	Interest Income	Receipt	526	2,47,542	
31/12/2016	By	Bank Charges	Payment	591		51
31/01/2017	To	Interest Income	Receipt	542	2,326	
31/01/2017	To	Interest Income	Receipt	543	2,61,744	
28/02/2017	To	Interest Income	Receipt	577	79,270	
31/03/2017	To	Interest Income	Receipt	622	2,28,921	
					16,77,441	2,304
		Net Total				16,75,137

Indian Bank (Earmarked Fund A/c)

1-Apr-2015 to 31-Mar-2017

Date		Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
26/11/2015	To	MTS Application Fee	Receipt	281	50.00	
26/11/2015	To	MTS Application Fee	Receipt	282	50.00	
26/11/2015	To	MTS Application Fee	Receipt	283	50.00	
26/11/2015	To	Advance for Vehicles	Receipt	284	1,568.00	
09/03/2016	To	State Fisherires,Andhra Pradesh	Receipt	691	50,700.00	
23/03/2016	To	RTI FEES	Receipt	844	10.00	
23/03/2016	To	RTI FEES	Receipt	845	10.00	
11/04/2016	To	Training	Receipt	111	25,272.00	
		Total			77,710	

Annexure (j)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRING

5th Floor, Integrated office Complex, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai - 600 035

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2020

Receipts	(Amount-Rs.)		Payments	(Amount-Rs.)	
	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
1. Opening Balances	-		**I. Expenses**	-	
a) Cash in hand	-	-	a) Establishment Expenses	1,17,20,831	1,67,61,683
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses	1,20,61,468	1,35,58,327
i) In current accounts	-	-			
ii) In deposit accounts	-	-	**II. Payments made against funds for various projects**	-	
iii) Savings accounts	8,43,96,516	4,53,60,998	(Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project)	-	-
iv) IOB - '10000	-	1,22,276			
Opening Balance - Adjustment	(172)				
Prior period Expenditure Adjustment (FY 2018-19)	9,81,086				
II. Grants Received	-				
a) From Government of India-			**III. Investments and deposits made**		
Capital Receipts	1,03,250	6,962	a) Out of Earmarked/ Endowment funds	-	-
Revenue Receipts		3,99,93,038	b) Out of Own Funds	-	-
GIA Salary	2,15,00,000				
GIA General	2,33,96,750				
b) From State Government	-	-			
c) From Other Source	-	-	**IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital work-in-Progress**	-	
(Grants for capital & revenue exp to be shown separately)			a) Purchase of Fixed Assets	1,03,250	6,962
			b) Expenditure on Capital Work-inprogress	-	-
III. Income on Investment from					
a) Earmarked/Endowment Funds (FDR Interest)	-		**V. Refund of surplus money/loans**		
b) Own Funds (other Investment)	-	-	a) To the Government of India	-	-
			b) To the State Government	-	-
IV. Interest Received	-	-	**VI. Finance Charges (Interest)**		
a) On Bank deposits	6,09,716	2,79,782	a) Interest Refund to PAO, Agri	2,79,782	
b) Loans, Advances etc.	-	-		-	
c) On Earmarked fund	47,57,317	31,62,038	**VII. Other Payments (Specify)**	-	
			a) Rent payable	2,17,888	2,17,888
V. Other Income (Specify)	-	-	b) Performance security Deposit Refund	-	-

Rebate from PO	-	-	c) bank charges (earmarked fund)	15	-
Misc Income	-	12	d) Prepaid Expenses	-	-
Festival Advance	-	-	e) Expenditure out of Earmarked fund	3,20,000	1,00,000
RTI Fees	860	20	f) Medical Advance	-	-
MTS Application Fees	-	-	g) LSPC/ CPC arrears	-	-
Refund of deposit - CPWD CCD	-	-	h) Post Master, St. Thomas Mount	-	5,00,000
Sale of scrap	28,599	-	i) Stamps in Hand	-	25,000
Share of parliament expenditure - Epfo	-	-	j) Bonus payable	-	-
VI. Amount Borrowed	-	-	k) Travelling expenses for Inspection	-	-
D.D.O	-	-	l) Sundry Creditors	-	-
			m) TDS	9,07,083	11,63,124
VII. Any other receipts (give details)			n) NPS - K Srinivasan Babu	-	-
Earnest Money Deposit	10,000	-	o) Professional Tax	-	-
Festival Advance Recovery	-	-	p) Indirect expenses	-	-
Stamps in Hand	-	-	q) Salary payable	-	12,08,025
Letter of Credit	-	-	s) Processing fee (LV hatchery) refunded	-	-
Endowment Fund (Processing Fees)	27,84,100	78,91,950		-	-
Application Fees - 30%	3,16,540	3,37,384	**VIII. Loans and Advances**	-	-
State Fisheries- Andhra Pradesh	-	-	a) Advance for Meeting	81,349	1,79,620
Security Deposit	20,800	-	b) Advance for crockeries	-	-
Feed Products	72,82,750	2,11,01,290	c) Shifting advance	75,000	5,000
NPS - K Srinivasan Babu	-	14,078	d) Advance for Hindi Week	-	5,000
Professional tax	-	-	e) Advance for republic day	-	14,000
TDS	-	-	f) Advance for campaign week	-	6,500
Staff Deduction & Remittances	60,442	-	g) Advance for audit	-	10,000
Muthu Soft labs			h) Advance for stamps	-	-
Fund Transfer from CPF, GPF,Pension A/c			i) Advance for hindi seminar	-	-
Advance Refund			j) Advance for MS seal	-	-
a)Advance for Meeting	1,052	28,481	k) Advance for pooja expenses	-	20,000
b)Advance for campain week	-	2,832	l) Advance for staff welfare	33,000	48,000
c)Advance for crockeries	-	-	m) Advance for travelling / tour expenses	1,00,000	6,47,405
d)Advance for audit	-	-	n) LTC Advance	1,00,000	28,300
e) Advance for Independence / republic day	-	1,647	o) Advance for consultant & Programmer Interview	-	-
f)Advance for hindi seminar	-	-	p) Advance for Telephone	-	-
g) Advance for stamps	-	-	q) Advance for Contingent expense	-	-
h) Advance for Travelling / Tour Expenses	-	89,940	r) Advance for repair and maintenance	-	-

i) Advance for pooja expense	-	8,520			
j) Advance for repair and maintenance	-	-	***Fund Transfer to CPF, GPF,Pension A/c***		
k) Advance for consultant and programmer deposit	-	-	**IX. Closing Balances**	-	
l) Advance for contingent expense	-	-	a) Cash in hand	-	-
m) Advance for staff welfare	225	515	b) Bank Balances		
n) Advance for telephone	-	-	i) In current accounts	-	-
o) Advance for MS seal	-	-	ii) In Deposit accounts	-	-
			iii) Savings accounts	9,77,91,945	8,43,96,516
Direct Expenses reversal			iv) Funds in Transit	2,26,00,000	
a) Establishment Expenses	1,41,779	4,61,097			
b) Administrative Expenses	-	38,490			
Total	**14,63,91,611**	**11,89,01,350**	**Total**	**14,63,91,611**	**11,89,01,350**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRING

5th Floor, Integrated office Complex, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai - 600 035

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

Schedule 6 : Current Assets, Loans, Advances *etc.*

	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS:		
1. Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
- On Savings Accounts:	9,77,91,945	8,53,77,602
- Funds in Transit	2,26,00,000	
2. Stamps in Hand		
a) Stamps (Franking Machine)	4,09,757	62,113
b) Stamps (Postal)	17,558	24,084
c) Post Master	-	5,00,000
Total (A)	**12,08,19,260**	**8,59,63,799**

Bank Accounts

Group Summary

Particulars	1-Apr-2019 to 31-Mar-2020			
	Opening Balance	Transactions		Closing Balance
		Debit	Credit	
IDBI Earmarked Fund		9,23,82,612.00		9,23,82,612.00 Dr
IDBI Main Account	76,47,679.00 Dr	2,15,52,805.00	1,62,74,454.50	52,78,350.50 Dr
Indian Bank A/c Main	7,76,03,370.00 Dr	2,79,20,969.00	3,55,68,648.00	
Indian Bank (Earmarked Fund A/c)	1,26,553.00 Dr	85,86,363.00	8,61,89,733.00	
IOB A/c No 209501000010000		4,429.00		1,30,982.00 Dr
Grand Total	**8,53,77,602.00 Dr**	**15,04,47,178.00**	**13,80,32,835.50**	**9,77,91,944.50 Dr**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Annexure (k)

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRING
5th Floor, Integrated office Complex, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai - 600 035

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

Schedule 1 - Corpus/ Capital Fund

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
A. Balance at the Begning of the year	1,28,75,112	1,21,06,191
Opening Balance - Adjustments		
Less: Bank Interest and Other Receipts	17,52,847	
Less: Grant Expenditure wrongly booked in EMF Schedule	20,80,346	
Less: Bank charges	172	
Less: CAT salary	8,62,835	
Less: Salary and Allowance - Mar 2019 provision	9,81,086	
Add : Grant received towards Corpus/Capital Fund	1,03,250	6,962
Add : IOB - Account 209501000010000	-	-
Less: Interest Refund to PAO, Agri	2,79,782	-
Less : Expenditure Over Income transferred from the Income & Expenditure A/c	70,21,295	1,21,13,153
Add: Excess of Income over Expenditure Transferrerd from Income & Expenditure A/c	(5,67,971)	7,61,959
Balance at the end of the year	**64,53,323**	**1,28,75,112**
B. DETAIL OF GOI - GRANT		
Opening Balance	-	
Fund Received during Year	4,50,00,000	
Expenditure	3,43,67,742	
Unspent Balance as at 31.03.2020	**1,06,32,258**	-
BALANCE AS AT THE YEAR - END (A+B)	**1,70,85,581**	**1,28,75,112**



तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जल कृषि प्राधिकरण

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

(भारत सरकार / Government of India)

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिपक्कम पोस्ट

GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam Post

चेन्नै / Chennai-600 091 तमिल नाडु / Tamil Nadu, भारत / India

फोन / Phone : +91 44 2260 3783, 3784, 3502

टेलीफैक्स / Telefax : +91 44 2260 3780

ई-मेल / E-mail : aquaauth@vsnl.net / aquaauth@gmail.com

वेबसाइट / Website : www.caa.gov.in